द्वितीय माला, खण्ड ४—अंक १५
१ अगस्त, १९५७ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Second Session)

(खण्ड ४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश म)

113 LSD

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४—अंक ११ से २०—२७ जुलाई से ५ सितम्बर, १९५७

अंक ११श—निवार, २७ जुलाई, १९५७ पृष्ठ

सभा का कार्य २४७५
वि.शेषाधिकार का प्रश्न २४७५–७६
सभापति तालिका २४९०
अनुदानों की मांगें . . . . . २४७६—८९, २४९०—२५३४
स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . . २४९०—२५०७
सामुदायिक विकास मंत्रालय . . . . २५०७—३४
दैनिक संक्षेपिका २५३५

अंक १२—सोमवार, २९ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४२८ और ४३० से ४३२ . २५३६–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४११, ४२९, ४३३ से ४४२, ४४४ और ४४५ . . . २५६२—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३१६ और ३१८ से ३३९ . २५७०—८५
स्थगन प्रस्ताव—
यमुना में पानी का बढ़ जाना २५८५
सभा पटल पर रखे गये पत्र २५८५–८६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
पहला प्रतिवेदन २५८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बम्बई के गोदी मजदूरों और सरकार के बीच हुआ समझौता . २५८६
समितियों के लिए निर्वाचन—
(१) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . . . २५८७
(२) भारतीय लाख उपकर समिति . . . २५८७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . . २५८७
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५८७–८८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—पुरःस्थापित . २५८८
अन्तर्राज्यीय निगम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८८
अनुदानों की मांगें . . . . . २५८८—२६३५
सामुदायिक विकास मंत्रालय . . . . . २५८८—२६२०

पृष्ठ

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . २६२०—३५

दैनिक संक्षेपिका . . २६३७—३९

अंक १३—मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . २६४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४७, ४४९ से ४५१, ४५३, ४५५ से ४६०, ४६७ से ४६६, ४६८ से ४७१, ४७३ और ४७४ . . २६४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४६, ४४८, ४५२, ४५४, ४६१, ४६२, ४६७, ४७२ और ४७५ से ४८५ . . . २६६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२ और ३४४ से ३७७ . २६७२—८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २६८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कुछ मिलों के उत्पादन में कमी तथा उसका प्रभाव . . २६८९—९०

अनुदानों की मांगें—

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . २६९०—२७४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७४३—४४

अंक १४—बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४८८, ५०७, ४८९ से ४९२, ४९४ से ४९६ ४९९, ५०१ से ५०४, ५०६, ५०९ और ५१२ से ५१४ . २७४७—७२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . २७७२—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या ४९३, ४९७, ४९८, ५००, ५०५, ५०८, ५१०, ५१५ और ५१८ से ५२९ . . २७७४—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३९३, ३९५ से ४०४ और ४०६ से ४१६ २७८२—९८

स्थगन प्रस्ताव— .

नई दिल्ली में नगरपालिका के कर्मचारियों और भंगियों की हड़ताल . २७९८—९९

पृष्ठ

सभा—पटल रखा गया पत्र . . २७९९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंजन और माल गाड़ी में टक्कर २८००–०१

अनुपस्थिति की अनुमति . . . २८०१–०२

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) काफी बोर्ड . . . २८०२

(२) रबड़ बोर्ड २८०२

अनुदानों की मांगें—

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . . २८०२–४०

दैनिक संक्षेपिका . . . २८४१–४४

अंक १५—गुरुवार, १ अगस्त, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . २८४५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३०, ५३२, ५६७, ५३३ से ५४३, ५४६, ५४७, ५४४, ५४५ और ५४८ . . २८४५–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५६५, ५६८ और ५६९ . २८७०–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१७ से ४४२ . . . २८७८–९०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल और पुलिस द्वारा गोली चलाना . २८९१–९९

अनुदानों की मांगें—

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . २८९९–२९३४

दैनिक संक्षेपिका . . . २९३५–३७

अंक १६—शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७० से ५७३ और ५७५ से ५८२ . . २९३९–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७४, ५८३ से ६०६ . २९६२–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ से ४६७ . . २९७२–८१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . २९८१

कार्य मंत्रणा समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . २९८१

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- पृष्ठ

आसनसोल पर माल डिब्बे का विस्फोट . . . २९८२

नुदानों की मांगें २९८२-३००७
विधि मंत्रालय २९८२-९४
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . २९९५-३००७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति—
तीसरा प्रतिवेदन . . . ३००७

जाति के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना बन्द करने के बारे में
सकल्प ३००७-१८

प्रति व्यक्ति औसत आय के संबंध में प्रादेशिक असमानता की जांच के लिये
एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . ३०१९-२१

दैनिक संक्षेपिका ३०२२-२४

अंक १७—शनिवार, ३ अगस्त, १९५७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल तथा पुलिस द्वारा गोली चलाना ३०२५, ३०७५-९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०२६
सभा का कार्य ३०२६

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर की शुद्धि . . . ३०२६-२७
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्धियों तथा सेवा की शर्तों के बारे
में एक जांच आयोग की नियुक्ति के संबंध में वक्तव्य . . ३०२७

अन्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०२८-३२

अनुदानों की मांगें—
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ३०३२-३८, ३०६९-७४

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३०६८-६९

कार्य मंत्रणा समिति
छठा प्रतिवेदन ३०७४-७५

दैनिक संक्षेपिका ३०९७-९८

अंक १८--सोमवार, ५ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०७, ६१६, ६१९, ६२०, ६२२ से ६२६ और
६२९ . . . . . ३०९९-३१२५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ३१२६-२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ८५

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१८, ६२१, ६२७, ६३० से ६३५, ६३५-क, ६३६ से ६४६ . . . . . . ३१२६-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७२, ४७४ से ४७६, ४८१ से ४८६, ४६१ से ४६२ . . . . . . ३१३६-५०

सभा पटल रखे गये पत्र . . ३१५०-५२

कार्य मंत्रणा समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ३१५३

अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक . . . ३१५३-३२००

विचार करने का प्रस्ताव ३१५६-६५

खंडवार विचार ३१६६-३२००

दैनिक संक्षेपिका ३२०१-०४

अंक १६—मंगलवार, ६ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५० से ६५३, ६५५ से ६६३, ६६५, ६६६, ६६८ और ६६६ . . . . ३२०५-२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ३२२८-२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४, ६६४, ६६७, ६७० से ६७१, ६६३, ६६४, ६६४-क, ६६५ से ६६७ और ५३१ . . . ३२२६-४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ५०० और ५०२ से ५२५ ३२४१-५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . . ३२५५-५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३२५६

सभा का कार्य ३२५७

अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक ३२५७-८६

खंडवार विचार ३२५७-८३

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३२५७-८३

पारित करने का प्रस्ताव ३२८३

अनुदानों की माँगें ३२८६-६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३२८६-६८

दैनिक संक्षेपिका . ३२६६-३२०२

अंक २०—गुरुवार, ८ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से ७०२, ७२६, ७०४, ७०५ और ७०७ से ७१७ . . . . ३३०३-२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ३३२५-२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०६, ७१८ से ७२८ और ७३० से ७३९ ३३२७–३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२६ से ५२८, ५३० से ५६० और ५६२ से ५६९ . . . . . ३३३७–५१

कुछ अत्यावश्यक सेवाओं में काम रोके जाने की संभावना के सम्बन्ध में वक्तव्य ३३५२–५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३३५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जीवन बीमा निगम के निरीक्षकों की सेवा को समाप्त करने के संबंध में . ३३५५

अनुदानों की मांगे . ३३५५–३४११

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३३५५–८४
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ३३८५–३४१०

डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल की सूचना वापस लेने के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ३३९३

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४१२–१५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरवार, १ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[प्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रा० बा० राउत (कोलाबा)

†**प्रध्यक्ष महोदय** : मैं नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र दोनों की घोषणा कराऊंगा ताकि अन्य माननीय सदस्य यह जान जायें कि माननीय सदस्य किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में भूमिहीन श्रमिक

†*५३०. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब में भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) पंजाब को इस कार्य के लिए १९५७-५८ में कितना अनुदान और ऋण दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त एक योजना के आधार पर १९५६-५७ में २,२५,००० रुपए का ऋण और १,३०,००० रुपए का अनुदान मंजूर किए गए थे। और कोई योजना अथवा मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मंजूर किए जाने वाले ऋणों और अनुदानों की राशियों पर योजना की प्राप्ति पर विचार किया जाएगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र के विचारार्थ क्या योजना प्रस्तुत की गई थी?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गतवर्ष यह योजना पेप्सू सरकार ने प्रस्तुत की थी। उसने केवल इतना कहा था कि वह ४,००० एकड़ भूमि काम में लाकर लगभग ४०० भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास करना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या समस्त पंजाब में केवल ४०० भूमिहीन श्रमिक हैं, क्या पंजाब सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों की संख्या कम नहीं बताई है, और क्या इस संबंध में समस्या पर विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० ० जैन)** : जहां तक पुराने पंजाब राज्य, अर्थात् वर्तमान पंजाब राज्य में से पेप्सू को निकालकर, का संबंध है उन्होंने अभी तक कोई भी योजना नहीं भेजी है। माननीय सदस्य को इस संबंध में राज्य सरकार से शीघ्रता करानी चाहिए।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह योजना केवल पंजाब के लिए है अथवा समस्त भारत के लिए कोई सर्वतोमुखी योजना है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : समस्त भारत के लिए एक योजना है। वास्तव में हमने समस्त राज्यों से अपनी योजनायें प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उनमें से अधिकांश ने प्रस्तुत कर दी हैं जबकि कुछ राज्यों ने अभी तक नहीं प्रस्तुत की हैं। पंजाब ने अभी तक कोई योजना नहीं भेजी है और वह दूसरी योजना में सम्मिलित नहीं की गई है।

†**पंडित ० ना० तिवारी** : बिहार के संबंध में क्या स्थिति है ?

†**श्री तिम्मय्या** प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने भूमिहीन श्रमिक भूमि पर पुनर्वासित किए गए हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने लगभग ४० लाख रुपए व्यय किए हैं; विभिन्न राज्यों को हमने १२ लाख रुपए का अनुदान और ३० लाख रुपए का ऋण दिया है। मेरे पास पुनर्वासित व्यक्तियों की सही संख्या नहीं है, परन्तु मोटे तौर से केन्द्रीय सरकार ने लगभग ५०० परिवार भोपाल में पुनर्वासित किए हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या भूमि के प्लाट देने के अतिरिक्त कुटीर उद्योगों की स्थापना के रूप में भी कोई पुनर्वास कार्य किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वह कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। पुनर्वास मंत्रालय और कुटीर उद्योगों में रुचि रखने वाले विभिन्न अन्य मंत्रालयों के अन्तर्गत अनेक योजनायें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री पुन्नूस उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दुःख है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। जैसे ही कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं मैं उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए एक या दो अवसर देता हूँ। तुरन्त ही, मैं सदा विरोधी दल को अवसर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस ओर को देखता हूँ। परन्तु माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए। इसलिए मैंने यह समझा कि मुझे यह प्रश्न समाप्त करके अगला प्रश्न लेना चाहिए। यदि माननीय सदस्य अब खड़े होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**एक माननीय सदस्य** : आपको सब तरफ देखना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं हमेशा सब तरफ देखता हूँ। अगला प्रश्न। प्रश्न सं० ५३२।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ऐसा ही एक और प्रश्न है, अर्थात् प्रश्न ५६७।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दें। क्या प्रश्न सं० ५६७ पूछने वाले माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, हां।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न सं० ५६७ दूसरे विषय, अर्थात् वार्ताओं के संबंध में है। परन्तु यह प्रश्न एक खास विषय, अर्थात्, न्यायाधिकरण से संबंधित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों के उत्तर एक साथ दिये जा सकते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : तब अनुपूरक प्रश्नों की संख्या कम हो जायगी।

रेलवे कर्मचारियों की व्यथाय

+

†*५३२. { **श्री तंगामणि** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों की 'एकल सदस्य न्यायाधिकरण' को १९५३ में निर्दिष्ट की गई व्यथाओं के संबंध में जुलाई, १९५७ के अन्त तक क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या विभिन्न प्रदेशों के किसी मान्यता प्राप्त संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने वाद विषयों को वार्ता द्वारा सुलझाने की दृष्टि से न्यायाधिकरण से सुनवाइयां स्थगित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार पांच निर्देश-पदों में से तीन पर वार्ता हुई और समझौता हो गया। शेष पदों पर वार्ता पुनः प्रारंभ हुई है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ

†*५६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड और भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के बीच जुलाई, १९५७ के पहले सप्ताह में जो वार्ता चल रही थी वह समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के मुख्य वाद-विषय क्या थे?

मूल अंग्रेजी में।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) वार्ता समाप्त नहीं हुई है।

(ख) मुख्य वाद-विषय यह था :

"संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप निर्णय किए गए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन क्रमों के पुनर्वितरण का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।"

†श्री गामणि : क्या एकल सदस्य न्यायाधिकरण, अर्थात् शंकर शरण न्यायाधिकरण, की बैठकें भविष्य में नहीं हुआ करेंगी ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं; सारा उद्देश्य न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित करना था। न्यायाधिकरण को वाद विषय निर्दिष्ट किए जाने के पूर्व बोर्ड और संघ के बीच वार्ता आवश्यक समझी गई ताकि हम ऐसे वाद-विषयों पर समझौता कर सकें जो इस प्रक्रिया द्वारा हल की जा सकें ; शेष वाद-विषय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिए जायेंगे ।

†श्री तंगामणि : जो दो वाद विषय अभी भी विचारार्थ पड़े हुए हैं उन पर न्याय निर्णय करने में न्यायाधिकरण को कितना समय लगेगा ?

†श्री जगजीवन राम : वह इस बात पर निर्भर होगा कि वार्ता द्वारा समझौते के उपरान्त न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के लिए कौन से मुख्य वाद विषय रहते हैं।

†श्री तंगामणि : क्या श्री गुरुस्वामी अभी भी असेसर बने हुए हैं अथवा उनके स्थान पर कोई और व्यक्ति नियुक्त किया गया है ?

†श्री जगजीवन राम : मान्यता प्राप्त संघ कर्मचारियों के मामले का प्रतिनिधित्व करता है।

†श्री साधन गुप्त : राष्ट्रीय संघ वार्ता द्वारा समझौता कब करना चाहता है और यह वार्ता कब से लम्बित है ?

†श्री जगजीवन राम : संभवत : माननीय सदस्य जानते हैं कि न्यायाधिकरण का कार्य अप्रैल, १९५५ में किसी समय संघ के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। उस समय से न्यायाधिकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। इस वर्ष न्यायाधिकरण को मार्च में किसी समय पुनर्जीवित करना आवश्यक समझा गया। रेलवे विभाग ने इसके संबंध में सहमत होने के लिए संघ को लिखा। अब हमारी वार्ता चल रही है। वार्ता जुलाई में हुई थी; और अब उनकी इस महीने की पांच तारीख से फिर बैठक हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, जो वाद-विषय वार्ता द्वारा हल नहीं किए जा सकेंगे उन्हें न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जायगा।

†श्री ब० स० मूर्त्ति . प्रश्न संख्या ५६७ के संबंध में क्या मैं जान सकता हूँ कि संघ और रेलव बोर्ड की आगामी बैठक कब होगी और वे कौन से विषय हैं जिन पर चर्चा की जानी है ?

†श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी बैठक इस महीने की पांच तारीख से फिर हो रही है और बहुत से विषय हैं। सूची में ३०० के लगभग पद हैं और वे उन मामलों पर चर्चा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री साधन गुप्त : क्या गत दो वर्षों से इन वार्ताओं में कोई प्रगति हुई है अथवा वे दो वर्ष पूर्व की स्थिति में ही हैं ?

†श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा है, न्यायाधिकरण ने अप्रैल, १९५५ में किसी समय संघ के अनुरोध पर कार्य बन्द कर दिया था और हम ने न्यायाधिकरण को इसी वर्ष के दौरान में पुनर्जीवित किया है। इस तरह न्यायाधिकरण के समक्ष जो वाद विषय थे उन पर वार्ता करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ ।

†श्री तंगामणि : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि न्यायाधिकरण को निर्देश केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं के प्रश्न पर था और इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि निर्देश लगभग चार वर्ष पूर्व किया गया था, क्या सरकार उसको या तो न्यायाधिकरण द्वारा अथवा वार्ता द्वारा यथाशीघ्र तय करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री जगजीवन राम : जब संघ और बोर्ड की फिर से बैठक होगी वे यह विचार करेंगे कि वाद-विषय पर आपस में चर्चा की जानी चाहिए अथवा उसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन संगठन के सिद्धान्तों की जांच के सरकार के विचार को दृष्टिगत रखते हुए छोड़ देना चाहिए ?

श्री ब० स० मूर्त्ति : ५ तारीख और उसके बाद के दिनों में जिन ४०० पदों पर चर्चा की जायगी, क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का प्रश्न भी उनमें सम्मिलित है ?

†श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूँ कि उनमें सभी कर्मचारियों का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि संघ जिन रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है उनमें स्टेशन मास्टर सम्मिलित नहीं हैं।

रेलों के लिये विदेशी सहायता

+

†*५३३. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसमें जिन योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख है क्या उनके अतिरिक्त भी कोई योजनायें और परियोजनायें इन दो स्रोतों और किन्ही अन्य स्रोतों से सहायता के लिए विचाराधीन हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास और कोई नहीं है।

† मूल अंग्रेजी में ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : रेलों को कुल कितनी डीजल रेल कारों की आवश्यकता है और वे कहां कहां चलेंगी ?

†श्री शाहनवाज़ खां : मुझे इस प्रश्न के लिए पृथक पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी।

†श्री श्रीनारायण दास : कुछ सामान व साज सामग्री प्रविधिक सहयोग सहायता के अन्तर्गत प्राप्त होनी है। इन सामानों व साज सामग्री का संभरण संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा किया जायगा अथवा भारत सरकार प्रत्यक्ष खरीद करेगी ?

†श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक प्रविधिक सहयोग शिष्ट-मंडल द्वारा दी जाने वाली सहायता का संबंध है, वे चीजें या तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा संभरण की जाती हैं या उनके साथ वार्ता द्वारा खरीद की जाती हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता संबंधित देशों, जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा दी जाती है।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या भारत सरकार ये सब सामान व साज-सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका में खुले बाजार में खरीद कर सकती है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : ये वार्तायें सामान्यतः वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती हैं और सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार इस बात पर जोर देती है कि सामग्री की खरीद उसके माध्यम से की जाय। परन्तु हम भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर करते हैं। हम अधिक भुगतान नहीं करते हैं।

†श्री फीरोज गांधी : क्या इस सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीयित मार्ग नियंत्रण किस्म की और अन्य प्रकार की सिगनलिंग साज़-सामग्री के निर्माण के लिए एक कर्मशाला अथवा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): इस समय नहीं; परन्तु कुछ सिगनलिंग साज-सामग्री प्राप्त करने का एक प्रस्ताव है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : चूंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों की आवश्यकताओं और विदेशी सहायता की उपलब्धता के बीच बहुत चौड़ी खाई का अनुभव किया गया है, क्या सरकार ने दूसरी योजना के अन्तर्गत रेलों की आवश्यकतायें कम कर देने की वांछनीयता पर विचार किया है, और यदि हां तो किस हद तक ?

†श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो गई है कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में कटौती करने के प्रश्न पर विचार करें।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तो सरकार का रेलवे का आवश्यकताओं की कमी की पूर्ति किस तरह करने का विचार है यदि उसे आशातीत विदेशी सहायता प्राप्त न हुई ?

†श्री जगजीवन राम: प्रश्न कल्पनात्मक है जिसमें 'यदि' और 'परन्तु' भरे हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मछली पकड़ने के क्षेत्र

†*५३४. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री अखिल भारतीय मीनक्षेत्र सम्मेलन, १९५६ की कार्यवाही के विवरण के पृष्ठ ४१ पर भाग १ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समुद्र तट के किनारे स्थित प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों के शीघ्र वाणिज्यिक विदोहन के कोई प्रस्ताव हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) कार्यवाही के विवरण के पृष्ठ ४१ पर भाग १ में निर्दिष्ट प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं वाडगे तट और पेड्रो तट।

(ख) इस समय नहीं।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार ने वाडगे तट और पेड्रो तट से पकड़ी जाने वाली मछलियों का कोई वार्षिक अनुमान लगाया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा:** हमारे पास कोई अधिकृत प्राक्कलन नहीं है। परन्तु जो लोग वहां गए हैं, जिनमें हमारी कुछ नावें भी सम्मिलित हैं, उनसे हमने सुना है कि उन तटों में बहुत मछलियां हैं, विशेषकर पेड्रो मछली जो दक्षिण में बहुत स्वादिष्ट समझी जाती है। वहां बहुत बड़ा गुप्त संग्रह है और हम उसका विदोहन करना चाहते हैं तथा मानसून समाप्त हो जाने पर और उस क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण कराने के पश्चात् कार्य प्रारंभ कर देंगे।

†**श्री वें० प० नायर:** मैंने जिस कंडिका का निर्देश किया है उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का उल्लेख है जो इन तटों के सफल वाणिज्यिक विदोहन के मार्ग में आती हैं। क्या सरकार के पास वाणिज्यिक विदोहन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में इन कठिनाइयों को हल करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वह पुराने प्रतिवेदन के संबंध में है। संभवतः यह लड़ाई से पहले के दिनों की बात है जब मद्रास सरकार और लंका सरकार के पास कुछ नावें थीं और ये नावें वहां गईं और उन्होंने देखा कि वहां मछली पकड़ने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लड़ाई के पहले के दिनों में मछली बहुत सस्ती थी। संभवतः अब जबकि मछली की इतनी अधिक मांग है, और मछली का भाव लगभग ५ या ६ गुना बढ़ गया है इससे बहुत लाभ होता है और यह वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हो गया है कि वहां बाहर से मछलियां आ गई हैं और उनका बहुत बड़ा संग्रह है।

†**श्री व० प० नायर:** मुझे प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि इन मछलियों के विदोहन के लिए १९०२ से प्रयत्न किए जा रहे हैं परन्तु सफलता नहीं मिली है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कि गैर-सरकारी उद्योग इसमें कुछ भी नहीं कर सका है, क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार के धन से इन विस्तृत संसाधनों के विदोहन का कोई कार्यक्रम है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यही तो मैंने माननीय सदस्य को बताया था। हम कोचीन से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुसन्धानात्मक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हमने अपनी दो प्रमुख नावें, प्रताप और अशोक, भेजी हैं। दोनों वहां मानसून के तुरन्त पश्चात् प्राविधिक सहायता शिष्टमंडल की नावों के साथ मिलकर प्रयत्न करने गई हैं। पहले, हम क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं फिर मछली पकड़ने के क्षेत्रों और धाराओं और विरोधी धाराओं के नक्शे बनाते हैं। फिर हम या तो कोचीन की तरफ से या ट्यूटीकोरिन की तरफ से वाणिज्यिक विदोहन कार्य प्रारंभ करने का विचार रखते हैं।

†**श्री दासप्पा :** क्या सरकार मीनक्षेत्रों की संभाव्यताओं का सर्वेक्षण करने की दृष्टि से नक्शे बनवाने का विचार कर रही है? क्या सरकार के पास उसके लिए आवश्यक साज-सामग्री है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में यही बात है। इस देश के स्वतंत्र होने के पूर्व यद्यपि हमारे पास दोनों ओर ३,००० मील समुद्र तट और विस्तृत सागर थे, उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ था। हमारे मछवा लोग मछली पकड़ने के लिए केवल लगभग ५ मील तक जा सकते थे और मछली के आने की बाट देखते रहते थे क्योंकि वे अधिक आगे नहीं जा सकते थे। मछली पकड़ने के क्षेत्रों के नक्शे भी नहीं बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात् हमने सौराष्ट्र तट से सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया। मछली पकड़ने के क्षेत्रों के नक्शे बन चुके हैं; धाराओं और विरोधी धाराओं के नक्शे भी बन चुके हैं। अब बम्बई में एक कम्पनी प्रारंभ की गई है और उसने ३५०० टन मछलियां पकड़ी हैं।

†**श्री वें० प० नायर:** क्या यह सच है कि केवल वाडगे तट से १५ लाख टन मछलियां प्रतिवर्ष मिलने का अनुमान लगाया गया है? यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यदि हमें १५ लाख टन प्रतिवर्ष मिल सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसका अर्थ यह है कि वहां मछलियों का बहुत बड़ा गुप्त संग्रह है और आगामी पांच वर्ष में हम समुद्रों की सम्पत्ति के विदोहन का प्रयत्न कर सकते हैं।

तलकर्षिणी[1]

†*५३५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास इस समय कितनी तलकर्षिणियां हैं; और

(ख) नवार्जित 'विशाख' तलकर्षिणी विशाखपटनम पत्तन का तलकर्षण कब प्रारंभ करेगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क): एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) नई तलकर्षिणी 'विशाख' के जनवरी, १९५८ में विशाखपटनम पहुंचने की आशा है और वह परीक्षणों के बाद अप्रैल, १९५८ में तलकर्षण प्रारंभ कर सकेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : मालूम हुआ है कि बम्बई पोर्ट में सिल्टिंग (तल में रेत जम) हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रक्षा के लिए क्या इन्तजाम किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Dredgers.

श्री राज बहादुर: पूना में जो अनुसन्धान-शाला है, उसमें लगभग पिछले बारह महीने से इस विषय में जांच हो रही है। अभी छः महीने जांच और होगी और उसका जो परिणाम होगा, उसके अनुसार इस समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही की जायगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** कलकत्ते की १६ तलकर्षिणियों में से कितनी पुरानी हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितनी तलकर्षिणी मशीनें बदली जा चुकी हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं कलकत्ते की इन तलकर्षिणियों में से प्रत्येक की आयु बताने में तो असमर्थ हूं। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम लोग लगभग १।। करोड़ की प्राक्कलित लागत पर एक नयी चुषण तलकर्षिणी[2] प्राप्त करने वाले हैं और यह आशा की जाती है कि इसके बाद तलकर्षिणी मशीनों के बारे में कलकत्ता पत्तन आत्मनिर्भर हो जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी नयी हैं और कितनी पुरानी हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती :** क्या सुन्दरबन के चारों ओर के निचले क्षेत्र का तलकर्षण करने की कोई योजना रखी गयी है और क्या तलकर्षण का काम किया जायेगा और क्या तलकर्षिणी मशीनों के अलावा पर्याप्त तलकर्षिणी मशीनें हैं जिनका उपयोग पत्तन न्यास अधिकारी इस कार्य के लिये करते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समय हमारी तलकर्षिणियां नदी का तल साफ करने में लगी हैं, जो स्वयं पत्तन का मुख्य अंग है। मैं नहीं समझता कि सुन्दरबन में उनका उपयोग किया जाता होगा या कि इस कार्य के लिये अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। जैसा मैंने कहा, हम काफी अधिक क्षमता वाली एक तलकर्षिणी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके आने के बाद ही अतिरिक्त क्षमता हो सकती है।

†**श्री जोकीम आल्वा:** ३८ तलकर्षिणियां थीं जिनमें से १६ कांडला से लेकर कोचीन तक के भारत के पश्चिमी तट के लिये दी गयीं थीं। ये तलकर्षिणी कारवार, कुमता और होनावर सरीखे छोटे पत्तनों को क्यों नहीं दी गयीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ये विजगापट्टम से संबंधित हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा मैंने कहा, छोटे पत्तन राज्य-सरकारों के अधीन आते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें अपने आपको प्रश्न के क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिये। यह प्रश्न विजगापट्टम के बारे में था। क्या हमें इस बात की पूछताछ करनी चाहिये कि तलकर्षिणी कहाँ कहाँ हैं ?

अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[2]Suction Dredgers.

वन गवेषणा संस्था

+

†*५३६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के निगरानी अधिकारी[३] ने वन गवेषणा संस्था, देहरादून के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के निगरानी अधिकारी और मंत्रालय के संगठन तथा रीति विभाग के भार-साधक अधिकारी श्री एस० टी० राजा वन गवेषणा संस्था देहरादून के पहले लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में उठायी गयी कुछ बातों के बारे में पता लगाने के लिये गत मार्च में उस संस्था में गये थे। उस अवसर का उपयोग उन्होंने संस्था के सभापति और एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जाँच करने में भी किया।

(ख) पूरी तरह जांच करने के पश्चात् श्रीराजा ने बताया कि आरोपों की या तो पुष्टि नहीं की जा सकी या वे असत्य सिद्ध हो गये । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठायी गयी बातों के बारे में उन्होंने बताया कि संस्था की लेखा-परीक्षा यह पहली बार ही की गयी है और वहां के अभिलेख और लेखा-रखने की प्रणाली यद्यपि लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित स्तर की तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी है और काफी समय से चली आ रही है। उन्होंने देखा कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आने के बाद से सभापति या तो त्रुटियों को दूर करने की कार्यवाही कर चुके हैं या कर रहे हैं। श्री राजा को बेईमानी, घूसखोरी, यात्रा-भत्ते के झूठे दावे अथवा सरकारी सम्पत्ति के गबन का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने यह सिफारिश की है इन सभी आरोपों को रद कर दिया जायें और आगे और कुछ कार्यवाही न की जाये।

सरकार ने श्री राजा का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है और अनुशासन संबंधी कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा।

†**श्री अ० क० गोपालन :** उनके विरुद्ध क्या क्या आरोप लगाये गये थे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मुख्य रूप से ये आरोप सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग और संस्था में निजी काम कराने से संबंधित थे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या इस आशय के आरोप भी लगाये गये थे कि कई चपरासी लगातार कई वर्षों से केवल उनके घरों पर ही काम कर रहे थे और दफ़्तर आते ही नहीं थे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** एक आरोप यह भी था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[३]Vigilance Officer.

†**श्री नारायण कुट्टि मेनन :** क्या इस प्रकार का भी आरोप था कि अधिकारियों के निजी इस्तेमाल के लिये संस्था में फर्नीचर का सामान बनाया जाता था लेकिन संस्था को इसके लिये भुगतान नहीं किया जाता था ?

†**खाद्य तथा कृ मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** अभी कुछ ही दिन पहले तक स्थिति यह रही है कि नियमानुसार कोई भी अधिकारी फर्नीचर का छोटा सामान संस्था में बनवा सकता था जिसके लिये उसे बनाने के खर्चे के आधार पर भुगतान करना होता था। यह देखा गया कि संस्था के अधिकारियों ने १०० रु० तक की कीमत के फर्नीचर के छोटे सामान संस्था में बनवा लिये हैं और उनका भुगतान कर दिया है। अब उस नियम को रद कर दिया गया है और वहां कुछ भी निजी काम नहीं कराया जा सकता है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या यह सच नहीं है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों के निजी इस्तेमाल के लिये जो फर्नीचर बनाया गया था उसके लिये कुछ भी भुगतान नहीं किया गया, और इस विशेष प्रतिवेदन के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** लेखे से पता लगा है कि भुगतान किया जा चुका है।

ज्योतिषिक वेधशालायें*

†*५३७. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुल कितनी ज्योतिषिक वेधशालायें हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ आधुनिक दूरवीक्षक यंत्रों और उपकरणों से भी सुसज्जित हैं ;

(ग) क्या राज्य-सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रेक्षणों से भी सम्पर्क रखा जाता है ; और

(घ) क्या कुछ पुरानी वेधशालाओं का नवीकरण भी किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) भारत में इस समय केवल तीन महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वेधशालायें हैं जो कोदैकनाल, हैदराबाद और नैनीताल में स्थित हैं।

(ख) उनकी मौजूदा हालत तो संतोषप्रद नहीं है लेकिन उनकी-विकास योजना में बढ़िया उपकरणों के लिये उपबंध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*Astronomical Observatories.

(ग) कोदैकनाल की वेधशाला, जो भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग के अधीन है और नैनीताल तथा हैदराबाद की वेधशालाओं के बीच जो क्रमशः उत्तर प्रदेश सरकार और उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जाती हैं, वैज्ञानिक-सहयोग कायम है ।

(घ) जी नहीं, लेकिन कोदैकनाल की वेधशाला के, जिसकी स्थापना १९०१ में हुई थी, कार्यकलाप में पिछले दस वर्षों में वृद्धि की गयी है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** प्रस्तावित केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला में अब तक कितनी प्रगति हुई और क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुछ कार्य किया जायेगा ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** काफ़ी प्रगति हुई है और दो स्थानों पर प्रेक्षण किये गये हैं, एक तो स्वयं उज्जैन में, और दूसरे कालीदह नामक स्थान पर जो उज्जैन के ही निकट है और इन प्रेक्षणों के संतोषप्रद परिणाम निकले हैं। तत्काल वेधशाला स्थापित करने के संबंध में कठिनाई विदेशी मुद्राओं संबंधी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है और संभवतः अगले एक या दो वर्षों में इस वेधशाला को शुरू करना कठिन होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस केन्द्रीय वेधशाला के लिये इस विषय में अच्छी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से विभाग के किसी पदाधिकारी को विदेश भेजा गया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री जोकीम अल्वा :** सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के उड्डयन के लिये इसकी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार में से किसी वेधशाला को सीधे सरकार के नियंत्रण के अधीन लाने वाली है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** कोदैकनाल की वेधशाला सीधे भारत सरकार के अधीन ही है।

†**श्री राधे लाल व्यास :** उज्जैन में प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला उज्जैन में ही खोलने का निश्चय किया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** जैसा मैंने कहा, कि परिणाम बहुत संतोषप्रद हैं और मौजूदा संकेतों के अनुसार संभवतः उज्जैन को ही चुना जायेगा। लेकिन क्योंकि केन्द्रीय वेधशाला की स्थापना में बहुत अधिक व्यय होगा इसलिये अंतिम रूप से कुछ निश्चय करने से पूर्व हम पूरी तरह निश्चित हो लेना चाहते हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या यह सच है कि मैदानी प्रदेश में स्थित वेधशालाओं को धूल आदि के कारण जो कि मैदानों में होती ही है, असुविधा का सामना करना पड़ता है जिससे उचित प्रेक्षण में बाधा पहुँचती है और क्या विशेषज्ञों ने इस प्रश्न पर विचार किया था ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस बात पर विचार कर लिया गया है। इस दृष्टि से उज्जैन संतोषप्रद प्रतीत होता है। लेकिन, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोदैकनाल में हमारी वेधशाला काफी ऊँचाई पर स्थित है और ये दोनों वेधशालाएं एक दूसरे के साथ पूरे सहयोग से काम करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पोत निर्माण

+

†*५३८. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्य देशों से आस्थगित शोधन [5] के आधार पर भारत के लिये पोतों का निर्माण करने का अनुरोध किया है ;

(ख) किन-किन देशों से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) अब तक उनसे क्या उत्तर मिला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री की हाल की योरोपीय देशों की यात्रा के सिलसिले में, जिनमें स्वीडन भी शामिल है, प्रधान मंत्री ने स्वीडन की सरकार के साथ प्रश्न के इस पहलू पर भी चर्चा की थी और क्या केवल आस्थगित शोधन के आधार पर ही नहीं वरन् नगद भुगतान के आधार पर भारत के लिये स्वीडन में पोतनिर्माण करने का कोई प्रस्ताव किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा सुझाव है कि यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछ लिया जाये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह प्रश्न सरकार से पूछा गया है और सरकार को ही उत्तर देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे तो केवल यही प्रकट होता है कि जो माननीय मंत्री इसके भार-साधक हैं उनको उसका पता ही नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन्हें ऐसा कहना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस सीमा तक इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जापान से, जिसका, वर्ल्ड में जितने जहाजों का निर्माण इस समय होता है, उसमें से ३० प्रतिशत हिस्सा है, सहायता लेने की कोशिश की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : हमारा इरादा यह है कि जो कोई देश भी हमको इस मामले में सहायता देना चाहते हो, उससे हम सहायता लें ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० से लेकर अब तक अन्न का आयात करने में कितना फ्रेट (भाड़ा) देना पड़ा और १९५० से अब तक जहाजों को खरीदने में कितना मूल्य देना पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[5] Deferred Payment.

श्री राज बहादुर : इसके वास्ते नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन अन्दाज यह लगाया जाता है कि ७५ करोड़ से १०० करोड़ तक रुपया हम को अपना जो अयात और निर्यात का व्यापार है उसका किराया देने के लिए खर्च करना पड़ा है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** समाचार पत्रों में जिन "लिबर्टी" पोतों का जिक्र आया था अमरीका से उनको खरीदने के बारे में सरकार ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

श्री राज बहादुर : "लिबर्टी" पोतों को प्राप्त करने का प्रश्न अब भी अमरीका के विचाराधीन है और कुछ निश्चय होने पर ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है।

केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति

*५३९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति और प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा मितियों के पुनर्गठन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जो कुछ समय से विचाराधीन था, अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्गठित समितियों के सदस्यों का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके पुनर्गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनका पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से । ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है इससे पहले भी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय मं ी ने बतलाया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं यह अनुभव करता हूं कि पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तब से लेकर अब तक इस बीच में प्रगति अवश्य हुई है और वह इस प्रश्न के उत्तर से भी स्पष्ट है । इस बीच में जैसा कि कहा गया केन्द्रीय सलहाकार समिति की बैठक शिमला में हुई और उसने एक निश्चित सिफारिश की है जो कि विचाराधीन है और आशा की जाती है कि इस सिफारिश के अनुसार कार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने यहां यह समितियां बनाई हैं। जिन्होंने नहीं बनाई हैं उनसे हमारी लिखा पढ़ी जारी है ?

श्री भक्त दर्शन : अभी तक जो समितियां बनी हैं उनमें राज्य सरका ों के प्रतिनिधि और इस व्यवसाय से प्रतिनिधि लिये जाते रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि धारा सभाओं और संसद् के प्रतिनिधियों को भी उसमें रक्खा जाय जो उसमें खास तौर से दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री राज बहादुर : उस समिति में संसद् के सदस्य श्री बी० शिवा राव थे लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वे बहुधा उसकी बैठकों में शामिल नहीं हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को मालूम है कि केरल में किसी भी स्थान पर पर्यटक कार्यालय की स्थापना नहीं हुई है और केन्द्रीय पर्यटक कार्यालय भी वहां के दर्शनीय स्थानों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहा है ? दूसरे, क्या उसे मालूम है कि भारत आने वाले जो पर्यटक वहां जाना चाहते हैं उन्हें बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

†**श्री राज बहादुर** : कार्य के लिये यह एक अच्छा सुझाव है जिसका ध्यान रखने में मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : यह एक स्पष्ट प्रश्न है—क्या केरल में कोई शाखा खोली गयी है ? क्या केन्द्रीय कार्यालय जानकारी देता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पर्यटक कार्यालय खोलना राज्य-सरकारों का काम है। भारत सरकार क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय खोलती है। ऐसी कई राज्य सरकारें है जो राज्यों में अनेक पर्यटक कार्यालय चला रही हैं और मुझे तो यह देखकर कुछ आश्चर्य ही है कि केरल सरकार अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। जहाँ तक वहां क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय की स्थापना करने का प्रश्न है हमें अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखते हुए उस पर विचार करना पड़ेगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है—वहां के दर्शनीय स्थानों के बारे में केन्द्रीय पर्यटक कार्यालय क्यों कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करता ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** हमें यह काम करने में खुशी होगी। राज्य सरकार को तो केवल हमसे इसके लिये कहने भर की जरूरत है। लेकिन—मैं कह नहीं सकता—कुछ साहित्य प्रकाशित तो अवश्य हुआ ही होगा लेकिन मैं ऐसे ही कुछ बता नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के एक बार कहने मात्र से उन्हें जितना चाहें उतना अधिक से अधिक साहित्य दिया जा सकेगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या केन्द्रीय पर्यटक परामर्शदातृ समिति और क्षेतीय पर्यटक परामर्शदातृ समितियां इस देश में पर्यटन में सहायता करने के लिये वास्तव में कुछ उपयोगी कार्य करती हैं या इनका केवल नाम ही नाम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह घंटा माननीय सदस्यों को इसलिये दिया जाता है कि वे जानकारी हासिल कर सकें। इस प्रकार की बातें कहने के लिये और भी अवसर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न।

रेलवे पार्सल

+

†*५४०. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री हेडा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सलों के पहुँचने में रास्ते में देर होने के मामलों की जाँच करने और इस देर के निवारण के लिये कार्यवाही करने के कार्य को सरल बनाने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने जून १९५७ के तीसरे सप्ताह से प्रयोगात्मक रूप से पार्सलों पर "आपबीती सुनाने वाले" [6]लेबल लगाने का तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हाँ तो ये किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रयोगात्मक आधार पर यह व्यवस्था चुने हुए स्टेशनों के बीच पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे पर १-३-५७ से और पूर्वोत्तर पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर १-७-५७ से लागू की गयी है।

(ख) अभी इस प्रयोग की उपयोगिता का अनुमान लगाने का समय नहीं आया है।

श्री विभूत मिश्र: मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने समय के अन्दर सदन रेलवे में और खास करके पूर्वोत्तर रेलवे में पैकेजेज के डिले के कितने केसेज (पार्सलों के देर के कितने मामले) हुए हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जिस एक जगह पर यह तजुर्बा किया जा रहा है उसके अंदाज की एनालाइज (का विश्लेषण) किया गया है और उससे पता चला है कि थोड़ी बहुत देर होती है। मैं उसकी कुछ तफसीलात दे दूं। सदर्न रेलवे ने ९४ पैकेजेज के बारे में ऐनालिसिस की थी ३१ पैकेजेज तो ठीक वक्त पर पहुंच गये ५०, १, २ दिन की देर करके पहुचे और १३ ऐसे थे जो तीन दिन की देर से पहुंचे।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे में उनका क्या अनुभव रहा है, पूर्वोत्तर रेलवे में मुकामाघाट जो वहां का बौटेलनेक (गतिरोध) है वहां के बारे में क्या वे कुछ बतलायेंगे ?

श्री शाहनवाज़ खां : जिस वक्त यह चीज़ तैयार हो जायगी तो बतला दिया जायगा।

†**श्री हेड**: क्या यह जानकारी उस लेबल पर ही लिखी जाती है या विभिन्न स्टेशनों के रजिस्टरो में भी दर्ज कर दी जाती है ताकि उस की जांच की जा सके ?

†**श्री शाहनवाज खां** : फिलहाल तो उसे लेबलों पर ही लिख दिया जाता है और केवल १० प्रतिशत पार्सलों को ही चिह्नित किया जाता है।

श्री फीरोज गांधी : क्या मंत्री जी को इस बात की इत्तिला है कि स्टेशन मास्टर लोग लेबिल काट कर के दूसरा अपना लेबिल लगा कर के अफसरों को वह पार्सल भेज दिया करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो तरीका सुझा रहे हैं।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : इस का अर्थ केवल यह हुआ कि मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के बारे में कृपलानी प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : उस समय ये लेबल नहीं चले थे।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : साधारण लेबल।

---

†मूल अंग्रेजी में

[6]Tell Tale.

†**श्री हेडा :** मंत्री महोदय ने कहा है कि यह जानकारी केवल लेबलों पर लिखी रहती है। क्या सरकार ने इस आकस्मिकता की भी कल्पना की है कि पार्सल के साथ-साथ लेबल भी खो सकता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम इस बात की व्यवस्था के लिये कि लेबल खोयें नहीं, काफी बचाव की कार्यवाही कर रहे हैं। यदि इस प्रयोग के फलस्वरूप और आगे कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत हुआ तो हम वह कार्यवाही भी करेंगे ।

मछली पकड़ने में विस्फोटकों का प्रयोग

†*५४१. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की नदियों में मछली पकड़ने के लिये विस्फोटकों का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार विस्फोटकों का इस्तेमाल करने से मछलियों का सामूहिक रूप से विनाश हो जाता है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) मनीपुर मत्स्य-पालन नियमों के नियम १७ के अधीन मछली पकड़ने में विस्फोटकों का इस्तेमाल निषिद्ध है। इन नियमों का अतिक्रमण भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम, १८९७ की धारा ४ के अधीन दण्डनीय अपराध है ।

चीनी का निर्यात

†*५४२. **श्री हेडा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक कितनी चीनी का निर्यात किया गया है; और

(ख) उत्पादन शुल्क को ५ रुपये ६२ नये पैसे प्रति हंडरवेट से बढ़ा कर एक दम ११ रुपये २५ नये पैसे प्रति हंडरवेट कर देने के किस सीमा तक वांछित परिणाम हुए हैं ?

†**कृ उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) १-४-५७ से १५-७-५७ तक ८७,३०० टन चीनी की बिक्री के लिये के किये गये थे जिस में से ४८,३१४ टन चीनी इस अवधि में वास्तव में बाहर भेजी जा चुकी है ।

(ख) अभी यह बता सकने का समय नहीं आया है कि उत्पादन-शुल्क में वृद्धि का चीनी के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हडा** : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ठीक-ठीक आंकड़े नहीं बता सके। क्या वे हमें बता सकते हैं कि झुकाव किस ओर है--क्या उत्पादन शुल्क के लगने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है या नहीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अर्थ-शास्त्र का जानकार होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जब भाव बढ़ते हैं तो खपत में कमी होनी अनिवार्य है। लेकिन उस के प्रभाव की प्रतिक्रिया देखने के लिये हमें कुछ ठहर कर प्रतीक्षा करनी होगी। अस्थिरता के इस युग में कभी कभी अर्थ-शास्त्री असफल रह जाते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यह आशा की जाती थी कि खपत घटेगी। वह घटी है या नहीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अभी इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप खपत घटेगी या नहीं। परन्तु फिर भी, मैं सभा को यह बता सकता हूं कि चीनी का निर्यात करने की संभावनायें बहुत घट गयीं हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में विश्व बाजार में चीनी के भाव बहुत गिर गये हैं।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को विश्वास है कि चीनी चोरी छिपे सीमा के उस ओर नहीं ले जायी जाती है ?

†**श्री अ० ० जैन** : हमारे पास सबूत नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : खुले बाजार में चीनी के भाव में गिरावट लाने के लिये क्या रक्षित बैंक ने चीनी के स्टाक पर व्यापारियों को दिये जाने वाले कर्ज में ढिलाई करने के लिये कुछ कार्यवाही की है और क्या रक्षित बैंक की इस ढिलाई के वांछित परिणाम हुए हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कुछ सप्ताह पूर्व रक्षित बैंक ने अनुसूचित बैंक को यह निदेश दिया था कि वे व्यापारियों और मिलों के चीनी के स्टाकों पर सीमित मात्रा में उधार दें। उन्होंने सीमान्त धन* भी बढ़ा दिया था। इस के पश्चात् उन्होंने अपने निदेश में संशोधन कर दिया है और मिलों के स्टाक को इस निर्देश के कार्य-क्षेत्र से बरी कर दिया है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादन शुल्क केवल इसी लिये बढ़ाया गया था जिस से कि चीनी का निर्यात बढ़ सके, और मंत्री महोदय के अभी के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, जिस में उन्होंने कहा है कि निर्यात में वृद्धि होने की बहुत कम संभावना है क्योंकि विश्व बाजार में चीनी के भाव गिर गये हैं, क्या सरकार उत्पादन-शुल्क को, जो लागू भी किया जा चुका है, हटा लेने के प्रश्न पर फिर से विचार करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उत्पादन-शेल्क लगाने के कारणों में वह भी एक था निर्यात बढ़ाने के अलावा और उस से भी महत्वपूर्ण अनेक बातें थीं, जैसे राजस्व प्राप्त करना।

दामोदर घाटी निगम

†***५४३. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचित क्षेत्र में क्या पिछले दो वर्षों में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) इस समय बिहार में दामोदर घाटी निगम द्वारा कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई होती है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

*Margin money.

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई किये जाने का अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्यु् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९५५ में दामोदर घाटी निगम द्वारा किसी क्षेत्र की सिंचाई नहीं होती थी, १९५६ में ११,२७१ एकड़ भूमि की सिंचाई की गई थी ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) खरीफ़	. . . . . .	१०,१०,५०० एकड़
रबी	. . . . . .	३,०५,५०० एकड़

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि इस के साथ ही प्रश्न संख्या ५४६ तथा ५४७ का भी उत्तर दे दिया जाये । क्योंकि उनका संबंध भी दामोदर घाटी निगम से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, इन्हें इकट्ठे ले लिया जाय ।

कोनार में जल विद्यु संयंत्र

(दामोदर घाटी निगम)

†*५४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोनार (दामोदर घाटी निगम) में जल विद्युत् संयंत्र के निर्माण की योजना त्याग दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, नहीं । केवल वर्तमान में योजना स्थगित कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम

+

†*५४७. { **श्री सूपकार** : **श्री विमल घोष** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार और बिहार सरकार में से किसी ने या दोनों ने ही भारत सरकार को दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिये कहा है ता कि इस के प्रशासन के स्तर में सुधार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा १३ जुलाई, १९५७ को पारित एक प्रस्ताव के संबंध में विधान

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की कार्यवाही की एक प्रति मिली है। इस प्रस्ताव में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को प्राधिकृत किया गया है कि वह भारत सरकार को दामोदर घाटी निगम की वर्तमान विभिन्न त्रुटियां तथा अनियमिततायें बतायें और यह सुझाव दें कि कथित अधिनियम में संशोधन या परिवर्तन किया जाये और यदि आवश्यक हो तो टेनिसी घाटी प्राधिकार के मामले की भांति भारत सरकार को दामोदर घाटी निगम का पूर्ण नियन्त्रण तथा भार दे दिया जाये। सरकार को बिहार सरकार से दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संशोधन के संबंध में इस विषय पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** तिलय्या बांध तथा कोनार बांध के क्षेत्र में ६० वर्ग मील से भी अधिक भूमि में जलाशय हैं और पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से वहां पानी भरा हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियों द्वारा नहरें बनाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। योजना के अनुसार तिलय्या बांध क्षेत्र में उन्हें अब तक उच्चतल नहरें, निम्नतल नहरें निर्मित कर देनी चाहियें थीं या उद्वहन-भूसेंचन[4] की व्यवस्था कर देनी चाहिये थी। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जहां तक तिलय्या बांध से सिंचाई करने के कार्य का सबंध है, बिहार में एक या दो योजनायें तैयार की गई हैं। प्रस्तावित प्रथम योजना को बिहार सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च का पाया गया और इसलिये वे इसे प्रारम्भ नहीं कर सके। वहां बहुत अधिक खर्च पर ही केवल सिंचाई की सम्भावना हो सकती है। उन की द्वितीय तथा तृतीय योजना की जो तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्च की हैं और जिन्हें अब बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

जहां तक कोनार का संबंध है, बिहार में सिंचाई की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। उस बांध का मुख्यतः उद्देश्य बोकारो को जल का सम्भरण करना है और इसलिये सिंचाई के प्रयोजनों के लिये, जब तक अत्यधिक खर्च न किया जाये, इस का उपयोग अत्यन्त संदिग्ध है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि कोनार जल केवल बोकारो में शीतन प्रयोजनों[5] के लिये ही है। क्योंकि कोनार बांध पर हम लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और बिना किसी प्रयोजन के पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है और कोनार बांध से कम कीमत पर बोकारों में शीतन संयंत्र निर्धारित किया जा सकता था, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मूल योजना थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** इन बांधों के बहु प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने की सदैव संभावना है। परन्तु प्रश्न यह है कि खर्च तथा अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। इन बातों पर विचार कर के बिहार सरकार ने, जहां तक कोनार बांध का संबंध है, इस के जल का सिंचाई के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के संबंध में अभी तक किसी योजना की सिफारिश नहीं की है। दूसरे बांध के संबंध में मैं पहिले ही बता चुका हूं कि उस की एक योजना है और उस की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[4]Lift irrigation. [5]Cooling plant.

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अनमान था कि ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, परन्तु इस समय केवल ११,००० एकड़ की सिंचाई ही हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्षों में लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा और इस समय तक कितने मील लम्बी नहरें पूरी की जा चुकी हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इन दोनों आंकड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य ने जिन ११ लाख एकड़ के आंकड़ों की ओर निर्देश किया है वे तो दुर्गापुर बांध तथा सभी काम पूरे होने के बाद का ही लक्ष्य है। पिछले वर्ष १९५६ में १००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा थी जिस में से केवल ११,००० एकड़ भूमि ही संचित की गई थी। इसी वर्ष लगभग २,००,००० एकड़—ठीक ठीक १,९१,००० एकड़—भूमि की सिंचाई के लिये सुविधायें हैं। सम्भवतः उसका कारण पानी की दरें था और पश्चिमी बंगाल सरकार स्थिति में सुधार के लिये कार्यवाहियों पर विचार कर रही है। अन्तिम सूचना यह है कि उन्हें एक वर्ष के लिये मुफ़्त पानी दिया गया है और मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा ही किया गया है तो जितनी भूमि अब सिंचाई के लिये प्राप्य है उस का पूर्णतः सिंचाई के लिये उपयोग किया जायेगा ।

†**श्री सूपकार** : सिंचाई संबंधी पूर्ण संसाधनों का अब कब उपयोग किया जायेगा और इन नहरों तथा छोटी नहरों को बनाने पर सरकार का अतिरिक्त खर्च कितना होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस में एक या दो वर्ष लग जायेंगे। लोग इस का यथार्थतः कैसे उपयोग करेंगे, अन्ततः क्या दरें नियत की जायेंगी—ये ऐसे प्रश्न हैं जिन का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है और इस सम्बन्ध में हमें माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका हमें अत्यन्त गम्भीरता से समाधान करना होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रश्न संख्या ५४७ के संबध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम की क्रियान्विति का पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी, हां। ऐसा किया जा रहा है; वस्तुतः ऐसा सदैव किया जाता रहा है, और शीघ्र ही हम स्वयं अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम समस्त दामोदर घाटी निगम का पुनर्विलोकन करें और इस माननीय सभा का मत भी प्राप्त कर सकें।

†**श्रीमती रे चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा में हुए उस वाद-विवाद की ओर आकृष्ट किया गया है जहां मंत्रि-वर्ग द्वारा यह कहा गया था कि दामोदर घाटी निगम में पर्याप्त प्रतिनिधान की कमी के कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा विचार किये जाने के लिये अपनी राय बताना या अपनी कठिनाइयां पेश करना पश्चिमी बंगाल सरकार के लिये अत्यन्त कठिन है; और यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार बंगाल तथा बिहार को अधिक प्रतिनिधान प्रदान करने के लिये अब इस की रचना में परिवर्तन करने की बात पर विचार कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : पश्चिमी बंगाल विधान सभा में जो कुछ भी होता है हम उसे सदैव जानते रहते हैं और वहां उस विशिष्ट प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद की कार्यवाही भी हमें प्राप्त हुई है। हमने पश्चिमी बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार को भी लिखा है कि वे जो कुछ भी परिवर्तन या संशोधन करना चाहते हैं उन्हें हमारे पास भेज दें ताकि हम उन्हें सभा के समक्ष रख सकें । उन के संशोधनों का समस्त चित्र इस सभा के सामने होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम० सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि बिहार सरकार ने देखा था कि तिलय्या क्षेत्र में उस नहर व्यवस्था का निर्माण करना बहुत ही महंगा होगा। क्या दामोदर घाटी निगम प्राधिकार तिलय्या बांध क्षेत्र में चलाने के लिये सभी किश्तियों को खरीदता है और क्या उन्होंने बिहार सरकार की सलाह के साथ तिलय्या पहाड़ी की चोटी पर १६ या १७ कमरे का सर्कट हाउस बनाने का प्राक्कलन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान इस बात पर भी विवाद हो चुका है ।

†**श्री स० का० पाटिल**: यह एक ऐसा मामला है जिसे अनुदान संबंधी वाद-विवाद के दौरान में उत्तर देने के लिये मुझ पर छोड़ दिया जाय। माननीय सदस्य को कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री सूपकार** : दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संशोधन के संबंध में भारत सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा में हुए वाद-विवाद की जिन बातों की ओर दिलाया गया है, वे क्या हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारे पास विधान सभा के सम्पूर्ण वाद-विवाद की कार्यवाही है। वाद-विवाद में जिन अन्य बातों की चर्चा नहीं की गई है उन के संबंध में हम ने पश्चिमी बंगाल सरकार को लिखा है ताकि जो संशोधन वह करना चाहती है उस की पूरी बात हमें मालूम हो जाये। हम ने बिहार सरकार को भी लिखा है। यह कोई गोपनीय मामला नहीं है।

अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन

†५४४. **श्री नारायण कुट्टि मेनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन के लिये प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान या राजकीय सहायता दी गई थी;

(ख) आवंटनों के समय सरकार ने किन बातों का ध्यान रखा था;

(ग) इस प्रयोजन के लिये दी गई राशि का क्या किसी राज्य ने पूर्णतः या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी राशि का उपयोग नहीं किया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क), (ग) तथा (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं के स्वरूप और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं की संभाव्यता तथा राज्यों में प्रवर्तमान वित्तीय स्थिति पर आधारित राज्यों की मांगों को ही आवंटन करते समय सरकार ने अपने सामने रखा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में मैं ने देखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य को जिस राशि की मंजूरी दी गई थी उस ने उस के ५० प्रतिशत का भी उपयोग नहीं किया है। इस बात को देखते हुए कि केरल राज्य खाद्य के सम्बन्ध में अत्यन्त कमी प्रधान क्षेत्र है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन के महान् महत्व को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस राशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया था ?

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : इस समस्या की जांच पड़ताल की गई थी। उचित रूप से देखभाल करने के बाद यह देखा गया कि उस में कुछ त्रुटि थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार इस तथ्य के सम्बन्ध में और रकम की मंजूरी के संबंध में राज्य सरकार को सूचित किया करती थी तथापि यह रकम वस्तुतः केवल तभी दी जाती थी जब कार्य जारी होता था और जो कुछ वे खर्च कर चुके होते थे उसके अनुपात में ही केवल धन निकाल सकते थे। कुछ राज्य सरकारों की अर्थोपाय स्थिति तथा वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन के लिये यह बहुत कठिन था कि वे खर्च करें और फिर केन्द्रीय सरकार से उसे वापिस लें। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ने निर्णय किया है कि पहिले उन्हें रकम का ५० प्रतिशत भाग दे दें ताकि वे काम शुरू कर सकें और फिर शेष राशि का दावा कर सकें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को देखते हुए कि अधिकांश राज्य सरकारों ने अनुदान की ५० प्रतिशत राशि का भी उपयोग नहीं किया है और साथ ही अनाज संबंधी वर्तमान स्थिति तथा अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन को बनाये रखने की आवश्यकता को भी देखते हुए क्या सरकार इस कारण अतिरिक्त आवंटन करने पर विचार करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राशि व्यपगत हो गई थी ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए राशि आवंटित की गई थी तब इन समस्याओं का ध्यान रखा गया था कि मंजूर की गई राशि में से प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य ने कितनी रकम खर्च की है। इन सभी बातों पर विचार किया गया था।

†**श्री इ० ईयाचरणन्** : क्या केवल केरल राज्य ने ही आवंटित राशि को खर्च नहीं किया है या किसी अन्य राज्य ने भी राशि खर्च नहीं की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : केवल आन्ध्र राज्य को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों ने उन्हें जितनी रकम दी गई थी उसे पूरी तरह से खर्च नहीं किया। केवल आन्ध्र ही एक ऐसा राज्य है जिस ने पूरी रकम खर्च की।

†**श्री रंगा** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन के लिये जो अनुदान दिये जायेंगे क्या उन की राशि भी प्रथम पंच वर्षीय योजना में दी गई राशि जितनी ही होगी या हमारी खाद्य स्थिति में अन्तिम स्थिति को देखते हुए अनुदान दिये जायें ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यदि हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कृषि संबंधी ऋण की राशि भी मिला लें तो वह प्रथम पंच वर्षीय योजना की राशि से अधिक होगी परन्तु यदि हम यथार्थ राशि को लें तो स्थिति इस प्रकार होगी। प्रथम योजना में १०६ करोड़ रुपये का उपबन्ध था। द्वितीय योजना में इसे कम कर के ७८ करोड़ रुपये कर दिया गया था परन्तु द्वितीय योजना में हम ने अल्पकालीन ऋणों के लिये २०० करोड़ रुपये से अधिक राशि उपबन्धित की है जो प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजनाओं में कृषि में पूंजी लगाने के लिये खर्च होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** वर्तमान ऋण व्यवस्था को देखते हुए, क्या सरकार खाद्य स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रख कर अपनी स्थिति पर पुनः विचार करेगी और राज्यों तथा किसानों को भी अनुदान देने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी रकम खर्च की गई थी कम से कम उतनी ही राशि खर्च करेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यद्यपि प्रथम योजना में १०६ करोड़ रुपये का उपबन्ध था, तथापि द्वितीय योजना में केवल ८० प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। हमारा समस्त राशि को खर्च करने का विचार है और विभिन्न मंत्रालय भी योजना आयोग से अधिक राशि की मांग कर रहे हैं ताकि हम अधिक अनाज उगाओ योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकें।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं ने अवसर दिया था तो किसी भी माननीय सदस्य ने केरल में खाद्य स्थिति के बारे में नहीं पूछा था। अगला प्रश्न।

बोनगांव-सियालदा रेलवे सैक्शन

†*५४५. **श्री महन्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पूर्व रेलवे के बोनगांव-सियालदा सैक्शन पर रेलवे यात्रियों द्वारा दंगे की कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ख) ये दंगे किन परिस्थितियों में हुए थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) तथा (ख) सब जहां तक मालूम है, जनवरी ५७ से ४-७-१९५७ तक बोनगांव-सियालदा सैक्शन में दंगे की केवल एक ही घटना हुई थी। इस मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि १४-६-५७ को लग भग ०७-३० बजे डम डम की जैसप फैक्टरी के दो कर्मचारियों की डम डम जंक्शन से डम डम छावनी स्टेशन तक तृतीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते समय उस डिब्बे मे कुछ अन्य यात्रियों से झड़प हो गई थी जो कि धीरे धीरे जोश में आ गए और उन्हें मुक्कों तथा थप्पड़ों से मामूली चोटें उन्होंने पहुंचाई। खतरे को जंजीर खींच कर गाड़ी रोक दी गई और आक्रमणकारी भाग गए और उनका कुछ पता न चला था। जांच करने पर आक्रमणकारियों का ब्यौरा नहीं मालूम हो पाया। झगड़े में घायल व्यक्तियों की ऐनक तथा बटुआ खो गया था जिसमे २ रुपये और कुछ आने थे। मामले का पता नहीं लगाया जा सका।

†**श्री महन्ती :** क्या इन दंगों में स्टेशन के कर्मचारी भी शामिल थे ? क्या इन दंगों में स्टेशन के एक कर्मचारी का भी हाथ था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, नहीं, उसमें किसी भी कर्मचारी का हाथ नहीं था।

†**श्री महन्ती :** क्या सरकार ने पुलिस द्वारा छानबीन के बाद इस मामले के तथ्यों को अभिनिश्चित किया है या तथ्यों को सरकार ने विभागीय रूप से अभिनिश्चित किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे की सरकारी पुलिस द्वारा जांच की गई थी।

†**श्री महन्ती :** क्या माननीय मंत्री जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** पुलिस राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन है और पुलिस साधारणतया हमें प्रतिवेदन नहीं भेजती है ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** तब हमें इस संम्बन्ध में मालूम कैसे है ?

†**श्री महन्ती :** यह ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में प्रेस में तथा अन्यत्र पूर्णत: विभिन्न वृत्तान्त छपे हैं और यह कहा गया है कि इस दंगे में स्टेशन के कर्मचारियों का हाथ था और माननीय मंत्री ने दंगे के जो कारण बताये हैं उनसे बिल्कुल भिन्न कारण बताये गए हैं, स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जांच पड़ताल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जानी चाहिये । इसे पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त किया जा सकता है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम):** माननीय सदस्य सभी प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे है—कि दंगे में स्टेशन के कर्मचारियों का भी हाथ था, आदि । जिन व्यक्तियों से मारपीट की गई थी वे वहां मौजूद थे और यदि इस घटना में स्टेशन के कर्मचारियों का भी हाथ होता तो इस बात को पुलिस की जानकारी में ला सकते थे । जैसा कि मैं स्थिति को जानता हूं, आक्रमणकारियों का पता नहीं चल सका था और इसीलिये में समझता हूं कि ये आरोप लगाना, कि घटना में स्टेशन के कर्मचारियों का थी हाथ था, उचित नहीं है ।

बड़ा डाकघर, पटना

*५४८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि जून, १९५७ के मध्य से पटना के बड़े डाकघर में लाखों पत्र, पैकेट और बंडल बगैर छंटे पड़े है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है और अब क्या स्थिति है; और

(ग) भविष्य में इस की पुनरावृत्ति न हो इस के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २२ जून और २९ जून १९५७ के बीच पटना के बड़े डाकघर में कुछ काल के लिये आंशिक रूप से वितरण कार्य रुका रहा। उक्त अवधि में दिन की समाप्ति पर पड़ी रहीं अवितरित वस्तुओं की संख्या वस्तुत: लगभग १८,००० और ५०,००० के बीच थी । अब वहां कोई डाक बगैर छंटी नहीं पड़ी है ।

(ख) इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण वितरण-कर्मचारी बहु संख्या में अनुपस्थित थे ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या सरकार इस बात को मन्जूर करती है कि गत जून मास में जब माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री पटना जेनरल पोस्ट आफिस को देखने गये थे, तो वहां के पोस्ट मास्टर जनरल ने उन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के बजाय वहां पर लाखों की तादाद में पड़ी चिट्ठियों, बंडलो और पैकटों को टारपालिन से ढांप कर छिपा दिया और इस प्रकार माननीय मंत्री का ध्यान उधर न जाने दिया ?

श्री राज बहादुर : जहां तक आंकड़ों का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि वहां डाकियों की कुल संख्या ६९ है और सार्टिंग पोस्ट मैन की १२ है । २२ तारीख को ७ सार्टिंग पोस्टमैन और ३२ पोस्टमैन

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-हाजिर थे। २३ तारीख को इतवार था। २४ तारीख को ९ सार्टिंग पोस्टमैन १२ में से गैर-हाजिर थे और ३५ पोस्टमैन गैर हाजिर थे और इन के बिना बटी हुई चिट्ठियों की संख्या कोई ५०,००० थी, इस से ऊपर यह संख्या नहीं गई।

श्री अनिरुद्ध सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वहां पर लाखों की तादाद में चिट्ठियों, पैकेटों इत्यादि को तरपालों से ढक दिया गया था जब माननीय मंत्री जी वहां देखने के लिये गये थे।

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): मैंने यह खबर अखबारों में पढ़ी थी। मैं भी वहां पर गया था और चारों तरफ मैं ने देखा था, चाहे आप मेरी गलती कहें, लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं पड़ी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सांताक्रुज हवाई अड्डा

†*५४९. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांताक्रुज पर नई विमान टर्मिनल इमारत पर कुल कितनी रकम खर्च हुई है और कितनी और खर्च होने की संभावना है;

(ख) प्रारम्भ में कितनी रकम खर्च होने का अनुमान था; और

(ग) इस का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था और कब तक इस के पूरे होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) ३० जून, १९५७ तक ४२,०२,००८ रुपये खर्च हो चुके हैं तथा २४,२२,५५६ रुपये और खर्च होने का अनुमान है।

(ख) ५४,१२,२०० रुपये।

(ग) यह कार्य अप्रैल, १९५१ में आरम्भ किया गया था और १९५७ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है।

भारत में बाल-मृत्यु

†*५५०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बालमृत्यु के मुख्य कारण;

(ख) कितने बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं; और

(ग) क्या इसे रोकने के लिये सरकार ने उचित कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) (१) जन्म के पश्चात् पहले महीने में—उचित अवधि के पूर्व जन्म और कमजोरी।

(२) जीवन के पहले वर्ष में—श्वास सम्बन्धी रोग, दस्त और पेचिश।

(३) धाय सम्बन्धी अनुपयुक्त सेवाएं नवजात एवं अल्पायु बालक की समुचित पर्वाह न करना, पोषक तत्वों का अभाव, अधिक भीड़ और अस्वच्छ वातावरण।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग १९·२० लाख ।

(ग) जी हां । प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्ष्य में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रगति पर हैं उन में गर्भिणी की सुश्रूशा और धाय-सेवा में सुधार और नवजात शिशु की देखभाल में सुधार किया गया है । आशा है कि इस कार्यक्रम से गर्भवती स्त्रियों और बच्चों की मृत्यु-संख्या में कमी हो जायेगी ।

भारत ट्रामवे कम्पनी

†*५५१. **श्री याज्ञिक :**
श्री पु० र० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वधवान राज्य द्वारा सुरेन्द्र नगर और वधवान सिटी के बीच ट्राम चलाने के लिये वधवान राज्य द्वारा भारत ट्रामवे कम्पनी को स्वीकृत पुराने लाइसेंस का ट्रामवे लाइन पर भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० लागू किये जाने के पहले ही रेलवे मंत्रालय द्वारा नवीकरण कर दिया गया है;

(ख) उक्त लाइसेंस के नवीकरण की शर्तें वार्षिक लाइसेंस शुल्क और उस की अवधि सहित; और

(ग) क्या सरकार को रेलवे के सरकारी इंस्पैक्टर तथा रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि लाइसेंस की शर्तों और रेलवे अधिनियम के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं । रेलवे मंत्रालय को परामर्श दिया गया कि कम्पनी को ट्रामवे चलाने की अनुमति देना पर्याप्त है बशर्ते कि वह भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के उपबन्धों की पूर्ति करे । ये उपबन्ध भारत सरकार द्वारा, अक्तूबर १९५४ में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ट्रामवे पर लागू होते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में इस प्रकार के उपबन्ध नहीं हैं । तथापि यह ज्ञात नहीं है कि क्या वधवान राज्य द्वारा १९३१ में जारी किये गये पुराने लाइसेंस की १९५३ में समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार ने कम्पनी के साथ करार कर लिया है ।

(ग) प्रथम भाग उत्पन्न नहीं होता है । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, रेलवे के सरकारी इंस्पैक्टर की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि ट्रामवे की स्थिति सामान्यतया संतोषजनक है । रेलवे मंत्रालय के अधिकारी सामान्यतया ट्रामवे का निरीक्षण नहीं करते हैं ।

असैनिक उड्डयन कर्मचारी

†*५५२. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री बांगशी ठाकुर ।

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या हैं;

(ग) कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने त्रिपुरा और शेष भारत के बीच तथा त्रिपुरा के पांच आन्तरिक विमान अड्डों में संचार मार्ग (विमान) को चालू रखने के लिये विशेष व्यवस्था की है क्योंकि आपात काल में त्रिपुरा और शेष भारत के बीच संचार का यही एक वायुयान मार्ग है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** :(क) असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी यनियन से हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ है।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) केन्द्रीय सरकार के सम्पूर्ण कर्मचारियों की सामान्य मांगों से सभा भली भांति परिचित है। जो मांगें केवल असैनिक उड्डयन कर्मचारियों से ही सम्बन्धित हैं उन को यूनियन के प्रतिनिधियों की असैनिक उड्डयन के महानिदेशक, परिवहन तथा संचार मंत्री और मेरे साथ हुई बातचीत के दौरान में स्पष्ट कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न विचाराधीन है।

जमुना बांध में दरारें

†***५५३. श्री वारियर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमुना के ऊपर बने हुए ५ मील लम्बे बांध की, जिस में गत वर्ष बाढ़ के कारण दरारें पड़ गई थीं, मरम्मत हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :(क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

पुराने इंजन[10]

†***५५४. श्री तिम्मय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में और विशेष रूप से हुगली डिवीजन में कितने इंजन निर्धारित अवधि से अधिक समय हो जाने पर भी काम कर रहे हैं; और

(ख) उन्हें बदलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इंजनों की अवस्था के अनुसार उन्हें बदल दिया जाता है अतः निर्धारित अवधि से बाहर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। रेलवे इंजन की आयु सामान्यतः ४० वर्ष मानी जाती है। दक्षिण रेलवे की बड़ी और मीटर लाइन पर ३५४ इंजन (जिन में हुगली डिवीजन के १२ इंजन भी सम्मिलित हैं) इस निर्धारित आयु को पार कर चुके हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Over-aged engines.

मचकुण्ड की मिट्टी के कटाव सम्बन्धी योजना

†*५५५. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मचकुण्ड की मिट्टी के कटाव के सम्बन्ध में ३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई और अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सीमा तक दिये गये हैं; और

(ग) क्या उस के पूर्व के अनुदानों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ग) जी नहीं।

हडलगा बांध

†*५५६. **श्री महागांवकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि घाटप्रभा नदी घाटी योजना का एक अंग हडलगा बांध (कोल्हापुर जिला गार्डिंगलाज) पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार इस से अवगत है कि बांध स्थल बम्बई राज्य में है और सिंचाई के अन्तर्गत निश्चित क्षेत्र मैसूर राज्य में है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जलाशय के नीचे एल्युमीनियम और मैंगनीज निक्षेप की वृहद् मात्रा के निक्षेप की आशा है; और

(घ) इस अन्तर्राज्यिक योजना के निष्पादन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासन सम्बन्धी क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बम्बई के चीफ इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में इस आशय की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

(घ) योजना के निष्पादन का मैसूर और बम्बई की सरकारों पर मिला जुला उत्तरदायित्व है और जब तक योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में इन दोनों राज्यों में मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न नहीं होता है, केन्द्र द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गंगा के तल में बालू भर जाना

†*५५७. **श्री घोषाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन के निकट गंगा के तल में तेजी से बालू भरती जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बालू निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हुगली के नौवहन मार्ग में अविरत घटती बढ़ती रहने वाली गहराई को उचित रूप में बनाये रखने का कार्य विगत वर्षों में बढ़ गया है । नदी के तल से रेत निकालने के कार्य की गहनता और उसे नियंत्रित कर इस की व्यवस्था की जा रही है ।

खाद्यान्नों का चोरी छिपे लाया जाना

†*५५८. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जम्मू और काश्मीर राज्य की सीमा पर बड़े पैमाने पर चोरी से खाद्यान्न ले जाने की कार्यवाही बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) 'युद्ध विराम रेखा' पर निरन्तर गश्त की जाती है तथा सेना और जम्मू और काश्मीर पुलिस सतत् निगरानी रखती है। अतः सीमा के बाहर चोरी से खाद्यान्न ले जाने की संभावना नगण्य सी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बहुप्रयोजनीय योजनायें

†*५५९. **श्री भोगजी भाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में छोटी बहुप्रयोजनीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है और उन पर किये जाने वाले व्यय की सीमा क्या है; और

(ख) छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रस्थापनायें हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में सामुदायिक विकास

†*५६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा भूतपूर्व पैप्सू राज्य में सामुदायिक विकास कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूपेण प्रयुक्त कर ली गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) जी हां, केवल ५० लाख रुपयों की ऋण निधि को छोड़ कर जिस का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(ख) पंजाब तथा पैप्सू राज्यों के एकीकरण से उत्पन्न प्रशासन सम्बन्धी अस्थायी व्यवधान और फिर आम चुनावों के परिणामस्वरूप ही ऋण निधियों की बचत हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेंढक के मांस का निर्यात

†*५६१. { **श्री वे० प० नायर :**
श्री रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंढ़क का मांस आजकल अमरीका भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, ो यह किस रूप में भेजा जाता है;

(ग) क्या इस वस्तु से डालर अर्जित करने की सामर्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये, केन्द्रीय सरकार इस व्यवसाय को प्रोत्साहन अथवा वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) मेंढ़क के मांस के निर्यात के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले मेंढ़कों की जाति और विशिष्ट नाम क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** . (क) जी हां ।

(ख) मेंढ़क की पिछली टांगों को जमाये हुए रूप में लकड़ी के बक्सों में पैक कर के भेजा जाता है।

(ग) कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।

(घ) "राना" उद्भव के मेंढ़क । मेंढ़कों के विशिष्ट नाम उपलब्ध नहीं हैं ।

कुष्ट

***५६२. श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ के इलाज के लिये सरकार के अधीन किसी पेटेंट दवा का आविष्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, ो वह कौनसी दवा है और उस का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में मिट्टी का कटाव

†*५६३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगा गंडक और घाघरा नदियों द्वारा बिहार में और विशेष रूप से सारन जिले में पिछले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव जारी है; और

(ख) यदि हां, तो मिट्टी का कटाव रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). बिहार सरकार से की गई जांच से प्रकट होता है कि वृहद् बाढ़युक्त नदियों में 'डायरा' के मिट्टी के कटाव के अतिरिक्त गंगा गंडक और घाघरा नदियों के किनारों पर ब पैमाने पर मिट्टी का कटाव नहीं

†मुल अंग्रेजी में

है । जहां कहीं गंडक और घाघरा के किनारों की मिट्टी का कटाव असामान्य रूप से अधिक होता है तो उसे रोकने के लिये किनारों पर डोली बनाकर रोक लगाई जाती है । सारन जिले में गंगा नदी पर इस प्रकार के सुरक्षात्मक कार्यों की अभी आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है ।

पर्यटन

†*५६४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन के सम्बन्ध में पिछले वर्ष आवंटित सात लाख पयों में से केवल १.५ लाख पये ही खर्च किये जा सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५६–५७ के बजट प्राक्कलन में १७.३८ लाख रुपये का उपबंध किया गया था । इसमें से १.४७ लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

(ख) यह उपबंध अधिकांशतः राज्य सरकार की सम्पदाओं की मरम्मत और नये निर्माण कार्यक्रम के लिये था । खर्च इसलिये कम हुआ कि राज्य सरकारों ने विस्तृत योजनायें और तत्सम्बन्धी व्यय का अनुमान उचित समय पर नहीं भेजा ।

अन्दमान की मारती लकड़ी

†*५६५. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्दमान की मारती लकड़ी को स्लीपरों के रूप में प्रयुक्त करने तथा डिब्बे और वैगन बनाने की दृष्टि से उसके तत्व लक्षण आदि का रेलवे गवेषणा केन्द्र द्वारा विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां तो गवेषणा का परिणाम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गुर्जान लकड़ी पर्याप्त मात्रा में ब्रिटेन और सूडान भेजी जाती है जहां रेलवे द्वारा उन्हें प्रयुक्त किया जाता है; और

(घ) यदि हां तो क्या इस लकड़ी का निर्यात बन्द कर इसे भारत में ही और विशेष रूप से भारतीय रेलों में प्रयुक्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इस प्रकार की इमारती लकड़ी का परीक्षण करने वाली वन गवेषणा संस्था देहरादून के पास अन्दमान की इमारती लकड़ी की सामान्य बनावट और शक्ति के बारे में पूरे आंकड़े हैं तथा इस जानकारी के आधार पर कुछ प्रकार की लकड़ी स्लीपरों में प्रयुक्त करने और डब्बे तथा वैगन बनाने के लिये मंजूर कर ली गई है ।

(ग) जी नहीं; वर्तमान में ऐसा नहीं है ।

(घ) जी हां । रेलवे ने अन्दमान से १००,००० ब्राड गाज यूनिट स्लीपर के सम्भरण के बारे में हाल ही में बातचीत की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्त हीनता[11]

†*५६८. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के तत्वावधान में देश में रक्तहीनता (एनीमिया) के आपात के बारे में किसी प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(ख) पोषक विसंगति और पोषकतत्वों के अभाव तथा रोगों से उत्पन्न रक्तहीनता (एनीमिया) का प्रतिशत क्या है; और

(ग) क्या एनीमिया आपात बढ़ रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् ने देश के विभिन्न भागों में रक्तहीनता (एनीमिया) की आपात सम्बन्धी अध्ययन का सूत्रपात किया गया है जो अभी जारी है ।

(ख) पोषक तत्वों के अभाव से उत्पन्न और अन्य रोगों से उत्पन्न एनीमिया का निश्चित प्रतिशत निर्धारण करना कठिन है ।

(ग) जी नहीं ।

टिकटों की कमी

*५६९. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी:**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री म० ना० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेल के अनेक स्टेशनों पर टिकटों और टिकट के सादे फार्मों की बहुत कमी है जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है और उन्हें कभी कभी बिना टिकट भी यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) क्या रेलवे के छापेखाने इस सम्बन्ध में रेलवे की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो जरूरी चीजें अन्य छापाखानों से क्यों नहीं छपवा ली जातीं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं, सिर्फ चन्द मौकों पर कुछ जगहों के लिए कुछ स्टेशनों पर छपे हुए टिकट कम पड़ गये थे । लेकिन टिकट-पर्चियां मौजूद थीं और उन मौकों पर टिकट की जगह जारी कर दी गयीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[11]Anaemia.

तम्बाकू का उत्पादन

†४१७. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सिगार उद्योग के लिये रेपर तम्बाकू उत्पादन करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है;

(ख) इस कार्य के लिये चुने गये क्षेत्र; और

(ग) १९५७–५८ में इस कार्य के लिये आवंटित निधि कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां । प्रयोगात्मक आधार पर ।

(ख) कूच बिहार में दिनहाना में (पश्चिमी बंगाल) ।

(ग) ४,२९,२१५ रुपये ।

रेलवे में मितव्ययिता

†४१८. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भव्य भवनों के निर्माण और गरिमावृद्धि करने वाले प्लेटफार्म के निर्माण तथा अन्य अनुत्पादक खर्च में कमी के परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई है; और

(ख) रेलवे बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् और मितव्ययिता के परिणाम स्वरूप कितनी निधि की बचत हुई है ?

†**रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी बचत की जा सकती है । प्रत्येक कार्य की जांच के पश्चात् ही यह बताया जा सकता है और इस में समय लगेगा ।

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय[१२]

†४१९ **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री आंध्र राज्य के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां १९५७–५८ में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : यदि आवश्यक स्टोर्स उचित समय पर उपलब्ध हो गये तो १९५७–५८ में निम्नलिखित सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का विचार है :—

१. एलुरु
२. अतमाकुर
३. भैंसा
४. द्रक्षारामम्
५. हजूराबाद
६. जगतिपाल

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१२]Public call offices.

७. कल्याणद्रुग
८. कण्डकुर
९. कोडावलुर
१०. मदाक्षिरा
११. मद्दिकेरा
१२. महबूबाबाद
१३. मेदक
१४. मिरिपालगुडा
१५. नगरकुरनूल
१६. नारायणपेट
१७. निमलि
१८. सत्तनपल्ली
१९. सिद्दिपेट
२०. सिंगरायकोंडा
२१. रेनोगुण्टा

आंध्र में मत्स्य पालन

†४२०. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत मत्स्य पालन के लिये आंध्र प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता और आवंटित रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० ० जैन) :** अनुदान तथा ऋण के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

प्रथम पंचवर्षीय योजना

(लाख रुपयों में)

	अनुदान	ऋण	कुल
जी० एम० एफ० निधि से . .	०.४५	०.२२	०.६७
अन्य निधियों से . . .	५.७३	—	५.७३
कुल योग .	६.१८	०.२२	६.४०

द्वितीय पंच वर्षीय योजना (१९५६–५७ और १९५७–५८)
(२५ जुलाई, १९५७ तक)

	अनुदान	ऋण	कुल
जी० एम० एफ० निधि से .	३.७४	२.००	५.७४ (स्वीकृत)
अन्य निधियों से . .	०.७२	—	०.७२ (स्वीकृत)
कुल योग	४.४६	२.००	६.४६

जहां तक रकम आवंटित करने का प्रश्न है, प्रथम पंच वर्षीय योजना में किसी प्रकार की विशिष्ट रकम आवंटित नहीं की गई थी; जी० एम० फ० के अन्तर्गत मत्स्य विकास योजनाओं के सम्बन्ध में द्वितीय योजना में उपबंधित राशि ६०.१७ लाख पये है। इसमें योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य ारा खर्च किया जाने वाला अंश भी सम्मिलित है।

†मूल अंग्रेजी में ।

राजस्थान में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†४२१. **श्री ओंकार लाल** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्तमान प्रत्येक जिले में काम करने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या कितनी है;

(ख) १९५७-५८ में वहाँ कितने खंड और खोलने का विचार है;

(ग) १९५२ से अब तक केन्ीय सरकार द्वारा इन खण्डों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) १९५७–५८ में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) राष्ट्रीय पविस्तार सेवा खण्ड . . . २८
सामुदायिक विकास खण्ड ६
(राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों से परिवर्तित)

(ग) राज्य सरकार को प्रदत्त खर्च का केन्द्रीय अंश ३१ मार्च, १९५७ तक इस प्रकार है :—

ऋण . . १२९.९ लाख रुपये
ऋण के अतिरिक्त . १३४.५ लाख रुपये

(घ) १९५७–५८ के लिये बजट में केन्द्रीय सरकार की ओर से किया गया उपबन्ध इस प्रकार है :—

ऋण . ४७.५३ लाख रुपये
ऋण के अतिरिक्त . . . ४९.२५ लाख रुपये

राजस्थान में रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

†४२२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर विलीनीकरण के पश्चात् राजस्थान क्षेत्र में रेल लाइन खोलवे के लिये किन-किन स्थानों में सर्वेक्षण सम्पूर्ण किया गया है;

(ख) उन स्थानों के नाम जहां नयी रेलवे लाइ ों के लिये स्वीकृत ी जा चुकी है;

(ग) उक्त स्थानों का स र्वेक्षण प्रतिवेदन; और

(घ) नई रेलवे ला नों पर अनुमानित व्यय राशि कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). जानकारी राज्यवार न होकर रेलवे के बारे में रखी जाती है । तथापि राजस्थान में निम्नलिखित नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है अथवा पूरे होने की दिशा में है :—

जहां सर्वेक्षण गति पर है :

१. कोसी कलां-भरतपुर/अलवर
२. लोहारु-पिलानी
३. डूंगरपुर-रतलाम

†मूल अंग्रेजी में ।

जहां सर्वेक्षण सम्पन्न हो गया है :

परियोजना का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि		परियोजना पर अनुमानित लागत
			(लाख रुपये में)
१. कोटा-अजमेर/नसीराबाद . .	२५-५-५७	ब्राड गाज	८७८
		मीटर गाज	५७८
२. उदयपुर-हिम्मतनगर/तालोड . . (अहमदाबाद-खेड ब्रह्मा के परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए)	२१-५-५७		
	उदयपुर-हिम्मतनगर		
		ब्राड गाज	१४५२
		मीटर गाज	१०७२
	उदयपुर-तालोड		
		ब्राड गाज	१५५०
		मीटर गाज	११३९
	अहमदाबाद-खेड ब्रह्मा		३९८
३. कोटा-चित्तौड़गढ़ . . .	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है		
४. हिन्दुमलकोट-श्री गंगानगर . .	सर्वेक्षण प्रतिवेदन की अग्रिम प्रतिलिपि १ अप्रैल, १९५७ को प्राप्त हुई है)		६३

निम्नलिखित दो रेलवे लाइनों का निर्माण उनके समक्ष वर्णित तिथि को निम्न लागत पर स्वीकृत किया गया था :—

परियोजना का नाम	स्वीकृति-तिथि	अनुमानित लागत
१. रा ावाड़ा-भिलाड़ी (कार्य प्रगति पर) .	१६-४-५५	११९४५४६३ रु०
२. फतेहपुर-चुरु (१ मार्च, १९५७ को जनता के लिये चालू की गई)	२-८-५५	६४९१८२२ रु०

कोटा-बीना रेलवे स्टेशन

†४२३. **श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कोटा से बीना तक आने वाली गाड़ी में एक भोजन यान[13] लगाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो वह कब से चालू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

† मूल अंग्रेजी में ।

[13]Dining Car.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोटा और बोना के बीच एक भोजनयान लगाने के सम्बन्ध में यात्रियों से अभी तक कोई मांग नहीं आई है; और न हो इस लाइन पर इतना अधिक यातायात है कि उस पर इस प्रकार की सेवा चालू करना न्यायोचित कहा जा सके ।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रैस

†४२४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देहरादून एक्सप्रैस ३३ डाऊन में यात्रियों की विशेषतः तीसरे दर्जे के यात्रियों की, अधिक भीड़ भाड़ होती है और उसके कारण अन्य यात्रियों को बड़ी असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य और कौन सा . बन्ध करने का विचार है;

(ग) ये प्रबन्ध कब कि जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कार हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कुछ सैक्शनों पर ३३ डाऊन देहरादून एक्सप्रैस में कुछ भीड़ भाड़ रहती है ।

(ख) और (ग). १६–६–५७ से देहरादून एक्सप्रैस की ३३ डाऊन/३४ अप गाड़ियों के साथ दिल्ली और देहरादून के बीच तीसरे दर्जे का एक और डिब्बा लगाया जा रहा है ।

१५–८–५७ से इन गाड़ियों में बम्बई और बयाना के बीच भी तीसरे दर्जे का एक और डिब्बा लगाने का विचार है; यह डिब्बा बम्बई और आगरा फोर्ट के बीच बरास्ता बयाना सीधा आया जाया करेगा ।

(घ) श्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में सड़कों का निर्माण

†४२५. **श्री ो० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में सड़कें बनाने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब को कुल कितने ऋण तथा अनुदान दिये हैं;

(ख) कुल कितने मील लम्बी सड़कें तैयार हुई हैं; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को कितने ऋण और अनुदान दिये हैं या देने का वचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) लगभग ४०७ लाख रुपये ।

(ख) ५१६ मील ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में सड़कों के विकास के लिये लगभग ३१३ लाख रुपये की राशि निर्धारित की जाने की आशा है। राज्य सरकारों को केवल सड़क विकास योजनाओं के लिये कोई ऋण नहीं दिये जाते हैं। ये योजना आयोग की अनुमति से अपनी विविध विकास योजनाओं के लिये स्वीकृत ऋणों में से अपनी सड़क परियोजनाओं के लिये धन लगा सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य की विविध विकास योजनाओं के लिये मंजूर ऋणों में से पंजाब में सड़क विकास के लिये कोई भी राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

बम्बई और मद्रास पत्तनो से आयात और निर्यात

†४२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और मद्रास के पत्तनों से १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७ में (३१ जुलाई, १९५७ तक) कुल कितने टन आयात और निर्यात का सामान गुजरा है; और

(ख) न पत्तनों से उपरोक्त अवधियों में किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात और निर्यात आ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

	मद्रास (टन)	बम्बई (टन)
१९५४–५५	२,२०१,३७०	७,०५०,६००
१९५५–५६	२,४६१ ६०१	९,५७०,१००
१९५६–५७	२,४०१,३४३	१२,२७४,४३४
१९५७ में (३० जून तक)	६२७,३२२	३,३८८,०३४

(जुलाई, १९५७ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) महत्वपूर्ण वस्तुएं

	आयात	निर्यात
मद्रास	कोयला	लौह अयस्क
	खनिज तेल	मैंगनीज अयस्क
	उर्वरक	वनस्पति तेल
	लोहे का सामान	कपड़े (टैक्सटाइल्स)
बम्बई	तेल	ईंधन तेल तथा अन्य प्रकार के तेल
	खाद्यान्न	
	इमारती सामान	मैंगनीज अयस्क तथा अन्य अयस्क
	लोहा और इस्पात	
	रसायन	कपड़ा (पीसगुड्स)
	मशीनें, बायलर और रेल का सामान	

† मूल अंग्रेजी में ।

मैकेनिकल ब्रेकमैनों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण

†४२७. **श्री दे० वें० राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के नीलगिरि माउन्टेन्स सैक्शन में काम करने वाले मैकेनिकल ब्रेकमैनों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनके वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया जाये क्योंकि वे रेलवे मंत्रालय द्वारा घोषित पुनरीक्षण में सम्मिलित नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इनके मामलों पर विचार करने का ख्याल है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जनरल मैनेजर को १–६–५७ का एक अभ्यावदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और वह विचार किया जा रहा है ।

प्रिंटोग्राम सर्विस स्टेशन

†४२८. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत १८ महीनों में कुल कितने प्रिंटोग्राम सर्विस स्टेशन खोले गये हैं;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और व किस किस राज्य में खोले गये हैं; और

(ग) प्रत्येक प्रिंटोग्राम कनैक्शन स्थापित करने पर कितना खर्च आया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक ।

(ख) बम्बई (बम्बई राज्य) ।

(ग) लगभग ४००० रुपये ।

समें केबलों, स्विचबोर्डों और कम्यूरेटरों पर आने वाला खर्च भी सम्मिलित है ।

बर्मा रेलवे अधिकारियों का प्रशिक्षण

४२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि बर्मा सरकार के कुछ रेलवे अधिकारी इस समय भारतीय रेल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां ।

कुष्ठ-निरोधक कार्य

†४३०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ-निरोधक कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ-निरोधक कार्यों पर कुल ३०,१८,५८८ रुपये खर्च किये गये हैं, जिनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

(१) १९५४–५५ और १९५५–५६ में कुष्ठ-निवारक योजना पर किया गया खर्च . . . . . १२,१२,१८८ पये

†मूल अंग्रेजी में ।

(२)	१९५४–५५ और १९५५–५६ में केन्द्रीय कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में शिक्षा देन और गवेषणा संस्था पर खर्च . .	११,४८,००० रुपये
(३)	१९५५–५६ में कुष्ठ नियंत्रण कार्य के निदेशक के कार्यालय पर किया गया खर्च . . .	२५,५४० रुपये
(४)	१९५१–५२ से १९५५–५६ तक कुष्ठ सम्बन्धी स्वयंसेवी संस्थाओं को दिये गये अनुदान	६,३२,८६० रुपये
	कुल	३०,१८,५८८ पये

केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

†४३१. **श्री कोडियान :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की नदियों में आने वाली बाढ़ों की रोक थाम के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन सी योजनायें हैं; और

(ग) इन योजनाओं के लिये सरकार द्वारा कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). केरल सरकार से इस बारे में परामर्श किया गया है और उसने यह सूचना दी है कि वे राज्य की नदियों में बाधों पर नियंत्रण रखने के लिये कई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक जैसे "पम्बा और मनिमाला नदियों को मिलाने वाली एक नहर बनाना" और "किलियार में बाढ़ नियंत्रण के लिये तटों[14] का निर्माण" आदि योजनाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिये निम्नलिखित नदियों के तट भी बनाये जायेंगे :—

नदी का नाम	बाढ़ नियंत्रण तट की लम्बाई
१. परियार	२० मील
२. मुवत्तुपुजा	१० मील
३. मोनायिल .	१५ मील
४. मनीमाला .	१५ मील
५. पम्बा .	२५ मील
६. अचन कोएल .	१२ मील
७. कल्लाडा .	१५ मील
८. थिकारा . . .	१२ मील
९. किलियार करामन और नेयर . .	१६ मील
१०. चलाकुडि .	१२ मील
११. भरत पुजा .	६ मील
कुल . .	१५८ मील

†मूल अंग्रेजी में ।

[14]Flood Banks.

(ग) केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केवल ऋण देती है। ये ऋण पहले पांच वर्षों के लिये ब्याजमुक्त होते हैं और पांच वर्ष के बाद उसे २५ बराबर की किस्तों में लौटाना होता है। किसी विशेष वर्ष में दिये गये ऋण की राशि उस राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष में किये गये या किये जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिये होती है; और खर्च के वास्तविक आंकड़ों के उपलब्ध होने पर उस राशि को कम या अधिक किया जा सकता है।

अब तक केरल सरकार से बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केवल निम्नलिखित तीन योजनाओं के बारे में ही ब्योरे वार योजनाएं तथा प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं :—

	योजना का नाम	प्राक्कलित व्यय
(१)	केलियार नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य . .	२.८९ लाख रुपये
(२)	‸रमाना न ी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य . .	२.७३ लाख रुपये
(३)	‸म्बा और मनिमाला नदियों को मिलाने के लिए एक ‸हर खोदना	२.५१ लाख पये

केन्द्री जल तथा विद्युत आयोग द्वारा इन तीनों योजनाओं पर प्रविधिक दृष्टि से विचार कर लिया या है और वे योजनायें केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के लिये उस बोर्ड की आग बैठक में जो कि १२ अगस्त १९५७ को होनी है प्रस्तुत की जायेंगी। योजनाओं के एक (मंजूर किये जाने पर उनके अन्तर्गत पूर्ववर्ती कण्डिका में उल्लिखित केन्द्रीय सहायता ‸दी ‸ सकेगी।

मनीपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†४३२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म ीपुर क्षेत्र में जोरीबाम नामक स्थान पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड प्रारम्भ करने से पू कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड तामंगलांग में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड प्रारम्भ कि जा से पहले ही स्थापित हो चुका था; और

(ग) मनीपुर में तामंगलांग में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के देरी से प्रारम्भ कि जाने के क्या कारण थे ?

†**सामुदायिक विकास ंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे भोजन व्यवस्था कर्मचारी[15]

†४३३. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे भोजन व्यवस्था कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों[16] के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

† मूल अंग्रेजी में।

[15] Railway Catering Staff.

[1] es.

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवा ी की गयी है;

(ग) ग्रैंड ट्रंक क्सप्रैस में भोजन व्यवस्थापकों का वतन क्रम क्या है; और

(घ) क्या उन भोजन-व्यवस्थापकों[19] को गाड़ियों में और स्टेशनों पर ठहरने पर आवास सम्बन्धी सुविधायें ी जाती हैं ?

†रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां कुछ अभ्यावेदन प्राप्त ए ।

(ख) सभा-पटल पर क विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]

(ग)

वर्ग	वेतन-क्रम
प्रबन्धक (मैनेजर्स) . . .	८०—१६० पये
स्टोर क्लर्क . . .	६०—१३० ,,
निरामिश भोजन बनाने वाले . .	६०—७५ ,,
आमिश भोजन बनाने वाले . .	३५—६० ,,
निरामिश भोजन बनाने वालों के सहायक .	३५—४० ,,
आमिश भोजन बनान वालों के सहायक .	३५—४० ,,
चपाती पकाने वाला	३५—४० ,,
प्रमुख बैरा	३५—४० ,,
बैरे	३०—३५ ,
सफ़ाई करने वाले . . .	३०—३५ ,,

(घ) भोजन यानों में काम करने वाले कर्मचारी गाड़ी के हरने पर या टर्मिनल स्टेशनों पर मुख्यालयों के अतिरिक्त सामान्यतया डिब्बों में ही ठहरते हैं ।

जहां तक ग्रांड ट्रंक क्सप्रैस का सम्बन्ध है, उन्हें भोजन यानों के अतिरिक्त २० सीटों वाला एक पृथक डिब्बा भी दिया हुआ है । सके अतिरिक्त नयी दिल्ली में भी उनके हरने का उचित प्रबन्ध है ।

कटनी और बीना के बीच रेलवे सर्विस

४३४. **पंडित ज्वा० अ० ज्योतिषी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की बहुत समय से यह मांग रही है कि कटनी और बीना के बीच एक तेज गाड़ी चलाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता की सुविधा के लिये शीघ्र ही बिलासपुर से भोपाल तक एक तेज गाड़ी चलाने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां । स समय सेक्शन में दोनों ओर से दो-दो सवारी गाड़ियां चलती हैं जो सभी स्टेशनों पर ठहरती हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[19] Caterers.

(ख) इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि इस समय बिलासपुर-कटनी और कटनी-बोना सेक्शनों पर जो सवारी गाड़ियां चलती हैं, उनमें से एक को मिला कर बिलासपुर से सीधे बोना तक चलाया जाय ताकि भोपाल आने-जाने के लिए बोना में मुख्य लाइन की गाड़ियों से मेल हो सके। इस समय बोना-भोपाल सेक्शन पर लाइन की क्षमता न होने की वजह से सीधी गाड़ी को भोपाल तक चलाना मुमकिन न होगा।

मास्को में क्षय रोग सम्बन्धी सम्मेलन

†४३५. **श्री ज० रा० महता :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ११ जून, १९५७ को मास्को में हुए क्षय रोग सम्बन्धी सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) इन उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे दुर्घटना

†४३६. **श्री ब० ना० कुरील :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५७ के प्रथम सप्ताह में उत्तर रेलवे में राय बरेली के निकट कोई रेलवे दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई जांच करायी गयी है;

(ग) उसमें सरकारी सम्पत्ति की लगभग कितनी हानि हुई है;

(घ) कितने व्यक्ति घायल हुए हैं; और

(ङ) उस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां। ७-७-१९५७ को २१.३ बजे राय बरेली कोचिंग यार्ड में एक शंटिंग इंजन नं० २ ए० एल० पैसेंजर के पिछले हिस्से से टकरा गया था।

(ख) और (ङ). वरिष्ठ पदाधिकारियों की समिति द्वारा इसकी जांच की गयी है उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग ५०२५ रुपये की हानि हुई है।

(घ) ११ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं।

मैसूर में मीन क्षेत्रों का विकास

†४३७. **श्री शिवंनजप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य को वहां के (अन्तर्देशीय और समुद्री दोनों प्रकार के) मीन क्षेत्रों के विकास के लिये १९५७-५८ के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) सरकार द्वारा उस राज्य में गहरे सागर से मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिये कितनी सहायता दी गयी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) मैसूर राज्य में १९५७–५८ के लिये (अन्तर्देशीय और समुद्री दोनों प्रकार के) मीन क्षेत्रों के विकास के लिये ८.०५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) मत्स्यग्रहण पत्तन के विकास की एक योजना, जिस पर लगभग ४५,००० रुपये खर्च आयेंगे, प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

निपानी रायगाघ रेल सम्पर्क[18]

†४३८. श्री द० अ० कट्टी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निपानी रायगाघ रेल सम्पर्क (मैसूर राज्य में) का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रेलवे सम्पर्क के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास को डीलक्स ट्रेन

†४३९. श्री ब० स० मूर्ति: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी-लक्स ट्रेन द्वारा दिल्ली से मद्रास को जाने वाले यात्रियों के लिये मिलाने वाली गाड़ियों (कनैक्टिंग ट्रेन्स) की व्यवस्था अब पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो नई गाड़ियां किस तिथि से चलनी प्रारम्भ होंगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). सप्ताह में दो बार चलने वाली इस डी-लक्स ट्रेन का मुख्य उद्देश्य यह है कि मद्रास और दिल्ली के बीच सब से जल्दी चलने वाली ट्रेन सेवा की व्यवस्था की जाये जो कि दोनों स्टेशनों के लिये सुविधाजनक समयों पर चले और इस प्रकार से मद्रास जाने वाले लम्बे मार्ग के यात्री, रास्ते में आने वाले स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्री और दूरस्थ स्थानों के यात्री भी इस से पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जंक्शनों से पर्याप्त रूप में कनैक्शन नहीं मिलाये जा सके हैं ,परन्तु इस सैक्शन में अन्य गाड़ियां हैं जो कि इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं ।

सप्ताह में केवल दो बार चलने वाली इस डी-लक्स ट्रेन से, जिस पर बहुत यात्री यात्रा भी नहीं करते, कनैक्शन मिलाने के उद्देश्य से ही अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसाधनों की बहुत कमी है और उनका उपयोग मांगों की प्राथमिकता के अनुसार ही करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[18]Nipani-Raigagh Rail Link.

ताप्ती लाइन पर रेलवे प्लेटफार्म

†४४०. **श्री ना० नि० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम रेलवे पर, सूरत और भुसावल के बीच ताप्ती लाइन पर, जहां कि बहुत से स्टेशनों पर प्लेटफार्म नहीं हैं, प्लैटफ़ार्म बनाने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाये जायेंगे ?

†**रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सभी वर्तमान स्टेशनों पर प्लेटफार्म–ऊंचे लेवल के, मध्यम लेवल के या रेल लेवल के मौजूद हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, परन्तु उन नये क्रासिंग स्टेशनों पर भी, जो कि यात्रियों को टिकट देने के लिये खोले गये हैं, प्लेटफार्म बनाये जा रहे हैं ।

पश्चिम रेलवे में पुराने सवारी-डिब्बे

†४४१. **श्री ना० नि० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में ताप्ती लाइन पर सूरत और भुसावल के बीच चलने वाली गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे बहुत पुराने हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब बदला जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनता रेल गाड़ियां

४४२ { **श्रीसुरेन्द्रना द्विवेदी** :
श्री ओंकार लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जाने वाली वातानुकूलित जनता गाड़ियों में उपलब्ध सीटों में से प्रत्येक ट्रिप में औसतन कितनी सीटें भरती हैं;

(ख) प्रत्येक मार्ग पर प्रत्येक ट्रिप में कितनी आय होती है और कितना व्यय होता है; और

(ग) प्रत्येक मार्ग पर यात्रा करने वाले कुल यात्रियों में से कितने प्रतिशत यात्री 'रेलवे पास' वाले होते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में भंगि ों की हड़ताल और पुलिस ारा गोली चलाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे १३ माननीय सदस्यों ने अर्थात् श्री साधन गुप्त, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री नाथपाई, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री गोरे, श्री जगदीश अवस्थी, श्री अचौ सिंह, श्री सूपकार, श्री हेम बरुआ, श्री बा० चं० कामले, श्री माने, श्री वाजपेयी, तथा श्री ब्रजनारायण "ब्रजेश" ने एक ही मामले के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

> "रीडिंग रोड, नई दिल्ली स्थित भंगियों की बस्ती में पुलिस द्वारा अनुचित रूप से गोली चलाने तथा उसके फलस्वरूप भंगियों में से एक मृत्यु और कुछ के घायल होन से पैदा स्थिति ।"

मुझे इसी मामले पर डा० राम सुभग सिंह, श्री बाल्मीकी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री राघा रमण, तथा श्री जाधव से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में भी सूचनायें मिली हैं। मैं सब से पहले माननीय मंत्री को सुनना चाहता हूं।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि ध्यान दिलाने के प्रस्ताव से इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं है क्योंकि तब हम अपनी बात यहां पर नहीं कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभा को इस पर चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : सब से पहले हमें माननीय मंत्री को सुनना चाहिए तत्पश्चात हम इस पर विचार करेंगे कि इस मामले में क्या किया जाये। अब तक यही व्यवस्था व्यवहार में लायी जा रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : क्या हम यह समझें कि ध्यान दिलाने के प्रस्ताव को निबटाये जाने तक स्थगन प्रस्ताव को रोका रखा जायेगा ? हमें यह खतरा है कि आप यह न कह दें कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इसीलिए स्पष्टीकरण चाहती थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सर्वदा यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के सुनने के पश्चात् यदि मैं समझता हूं कि मामले पर और कुछ कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है तो मैं उसको अपनी अनुमति नहीं देता हूं। किसी भी सदस्य को यह पूर्वधारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि मामले पर क्या किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री को सुनने से पूर्व स्थगन प्रस्ताव को समाप्त नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री को सुनने के पश्चात् और यदि प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यों को कुछ कहना होता है तो उसके बाद ही मैं देखता हूं कि क्या किया जाये।

†**गृह-कार्य मं ी (पंडित गो० ब० पन्त)** : जैसा कि अभी विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने बताया, यह मामला कल लगभग इसी समय पर उठाया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने उस समय इस समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित गो० ब० पन्त]

समाज के जिस वर्ग ने हड़ताल की है उनके लिए लगभग सभी के हृदयों में सहानुभूति है। इस सम्बन्ध में, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। यह बड़े ही खेद का विषय है और मैं तो इसे अपना दुर्भाग्य ही समझता हूं कि ऐसी दुखद घटना सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य दिये जाने के कुछ घंटे पश्चात् ही हो जाये। उन्होंने केवल अपनी भावनाओं को ही यहां व्यक्त नहीं किया अपितु उन्होंने तुरंत ही स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दिया कि वह संघ के नेताओं से बातचीत करें जिससे समझौते की संभावना उत्पन्न हो सके और समझौता किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत ही उन लोगों और स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत प्रारंभ कर दी। कुछ मामलों पर विचार किया गया और कुछ बातों पर समझौता कर लिया गया। मैं ने डिप्टी कमिश्नर से इन मामलों पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया।

यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जब यह सब कार्यवाही की जा रही थी ऐसी बातें अनजाने में ही हो गईं। मैंने जिलाधीश द्वारा दुर्घटना के सम्बन्ध में जारी की गई विज्ञप्ति को समाचारपत्रों में पढ़ा। मैं यह बताना चाहता हूं कि मामले की जांच हो रही है। जब तक यह जांच, जिसके लिए मुख्य आयुक्त ने अतिरिक्त दण्डाधिकारी को नियुक्ति किया है, पूरी नहीं हो जाती है, मैं तथ्यों के बारे में पूरी तरह कुछ नहीं कह सकता और मेरे लिये निश्चित वक्तव्य देना कठिन है अन्यथा जांच का महत्व ही कम हो जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों की अनुमति से जिलाधीश द्वारा जारी किये गये वक्तव्य को यहां उद्धृत करता हूं।

"नई-दिल्ली, नगरपालिका के सफाई करने वाले कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों द्वारा २२ जुलाई से प्रारम्भ की गई भूख हड़ताल का समाचार, समाचार-पत्रों में पहले ही निकल चुका है। ३० जुलाई को नई-दिल्ली नगरपालिका के सफाई करने वाले समस्त कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी जिससे नई-दिल्ली की सफाई सेवा एकदम ठप्प हो गई। शीघ्र ही थोड़े से व्यक्ति उनके काम पर लगाये गये और अगले दिन अत्यावश्यक सफाई सेवाओं को बनाये रखने के प्रयत्न किये गये। आज ३.३० बजे जब काम के लिए भरती किये गये नये कर्मचारी, रीडिंग रोड स्थित नई दिल्ली नगरपालिका के स्टोर से बाहर निकल रहे थे उस समय उनकी लारी को ६००–७०० हड़तालियों ने घेर लिया जो पहले ही इस विचार से वहां एकत्रित थे कि नये कर्मचारियों को काम करने से रोका जाये। पुलिस ने बड़ी सावधानी से एक लारी के लिए रास्ता बनाया परन्तु जब दूसरी लारी निकल रही थी तो उसको घेर लिया गया जिससे हड़तालियों को लाठी से हटाना आवश्यक हो गया।

क्योंकि लारियों को रोकने के उनके प्रयत्न बेकार हो गये थे इसलिए भीड़ उत्तेजित हो गई और उसने और लारियों को भीड़ से बाहर न जाने देने का निश्चय कर लिया और पुलिस पर ईंटों और लाठियों से हमला कर दिया। एक सिपाही के सिर पर लाठी लग जाने से वह वहीं गिर पड़ा जबकि अन्य कई सिपाहियों के ईंटों और लाठियों से चोटें आईं। पुलिस ने, यह जानकर कि भीड़ ने उन को

तथा सफाई कर्मचारियों को घेर लिया है और अब वे भीड़ की दया पर आश्रित हैं गोली चलाई। एक आदमी मारा गया और दो के चोटें लगीं जिनमें से एक को ज्यादा चोट आई। घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भेज दिया गया।

मुख्य आयुक्त ने गोली चलाये जाने की जांच के लिए अतिरिक्त जिलाधीश को नियुक्त कर दिया है।

लगभग उसी समय, दो लारियों पर, जिनमें भरती किये गये नये कर्मचारी थे, और जो काका नगर से गन्दगी हटा रहे थे लगभग २०० हड़तालियों ने हमला किया। हड़तालियों की भीड़ ने ट्रक के तारों को भी खींच लिया। हड़तालियों द्वारा सिपाहियों तथा गाड़ियों पर पत्थर बरसाये जाने पर पुलिस ने हल्का सा लाठी-चार्ज किया।

नई दिल्ली के अन्य भागों में भी भीड़ द्वारा गन्दगी को साफ करने के काम में रोड़ा अटकाये जाने की कई घटनायें हुईं।"

मैं इस दुर्घटना से पहले के कुछ तथ्यों को भी बताना चाहता हूं। १ जुलाई को संघ के मंत्री ने नगरपालिका को नोटिस दिया जिसके साथ कुछ मांगें भी संलग्न थीं। नगरसमिति ने संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए १७ जुलाई निश्चित की थी। परन्तु उस दिन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सके। इसके पश्चात् २२ तारीख को समिति की एक बैठक हुई जिसमें संघ के प्रतिनिधि और समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस समय इन मांगों पर चर्चा हुई। जैसा कि मुझे बताया गया है उनमें से बहुत सी मांगें स्वीकार कर ली गई थीं। कुछ मांगों को स्वीकार करना बड़ा कठिन था क्योंकि वह आवर्तक व्यय से सम्बन्धित थीं। मैं ब्यौरों में नहीं जाऊंगा परन्तु अन्य मांगों के बारे में भी समिति ने संघ के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया कि वह उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी मांगों पर आगे विचार किया जा सकता है।

२२ तारीख को सूचना भेजी गई कि संघ के दो व्यक्ति भूख हड़ताल करेंगे और इसके पश्चात् प्रत्येक दिन दो व्यक्ति बढ़ते गये और इस प्रकार अब १२ भूख हड़ताली हैं।

२९ तारीख को सूचना भेजी गई कि ३० तारीख को हड़ताल होगी। ३० ता० को हड़ताल हुई और बहुत से कर्मचारी काम पर नहीं आए। इसके पश्चात सूचना भेजी गई कि ३१ तारीख को भी हड़ताल होगी जो अनिश्चित काल के लिए होगी। प्राधिकारियों ने देखा कि गन्दगी बढ़ रही है और खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्हें वैकल्पिक प्रबन्ध करना आवश्यक समझा। उन्होंने स्वास्थ्य और नगर की सफाई के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा की व्यवस्था के लिए आदमी बुलाये। उनकी इस बारे में उत्सुकता इसी से जाहिर है कि मुख्य आयुक्त ने स्वयं एक संघ के नेता को लिखा कि वह उनसे मिलें और इस मामले पर चर्चा करें। परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। २७ तारीख को उपायुक्त ने एक पत्र लिखा परन्तु उसको लिया नहीं गया और संदेश वाहक उसे वापस ले आया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मामला तय नहीं किया जा सका।

हमारी यह इच्छा थी कि इन दीर्घकालीन प्रश्नों को यथासंभव उदारता से निश्चित किया जाये। हम जानते हैं कि यह लोग जिस वर्ग के हैं उसको शिक्षा अथवा सुधार के लाभ नहीं है। उनको आसानी से बहकाया जा सकता है और उनकी कमाईयों पर उतनी सहानुभूति से ध्यान नहीं दिया

[पंडित गो० ब० पन्त]

जाता जितना दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारा यह प्रयत्न होगा कि इन मामलों पर विचार हो और इनका निश्चित निपटारा किया जा। इस सम्बन्ध में अधिकतम प्रयत्न किए जाने चाहिएं।

मैं सभा के माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। जब कोई नागरिक मर जाता है तब हम यह महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें अपने काम सामान्यतया करने चाहिए थे। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कभी कभी जैसा हम सोचते हैं, परिस्थितिवश वैसा कर नहीं पाते। इन घटनाओं का देश पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जो केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता अपितु अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। इसलिए सरकार को ऐसी घटनाओं के लिए दुःख होता है, सरकार को अपने कर्त्तव्य तो करने ही पड़ते हैं। और नगर की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि बल प्रयोग किए बिना सभी संभावित कार्य किए जाने चाहिएं परन्तु कभी कभी किसी कारणवश या परिस्थितिवश हमको कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है जो जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक होती है।

इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि हम क्या निर्णय करें। परन्तु मैं उत्सुक हूं कि इस प्रश्न पर सावधानी से विचार हो। यदि कोई बात गलत हुई है तो हमें उस समय तक रुकना चाहिए जब तक सम्पूर्ण तथ्य हमारे सामने नहीं आ जाते हैं क्योंकि अन्यथा यह कहना बड़ा कठिन होगा कि किस का दोष है अथवा परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि ऐसा किया जाना आवश्यक था। इस बीच हम समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत करते रहेंगे और उनकी अधिकांश शिकायतों को यथासंभव दूर करने का प्रयत्न करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : पदाधिकारी का प्रतिवेदन कब तक आयेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं आशा करता हूं कि चार अथवा पांच दिन में प्रतिवेदन मिल जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वालों की ओर से श्री साधन गुप्त अपने विचार सभा को बता सकते हैं। उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता–पूर्व) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जांच करने वाले पदाधिकारी के निर्णयों पर विश्वास करेंगे। सब से पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जांच करने वाले अधिकारी एक अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट हैं जबकि ज़िला मजिस्ट्रेट अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इसलिये अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट के प्रतिवेदन का कोई विशेष महत्व नहीं होगा।

दूसरे यह एक ऐसा गंभीर मामला है कि जहां एक कार्यपालिका ने अपराध किया है वहां एक कार्यपालिका के पदाधिकारी की जांच पर विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है। जांच संस्था ऐसी होनी चाहिए जिस पर सभी विश्वास करें।

कल श्री गोपालन और मैं वहां गए थे। यह आरोप है कि पत्थर फैंकने से खतरा हो जाने के कारण गोली चलानी पड़ी। यह बिल्कुल ग़लत है। मैं तो यह कहूंगा कि वह जलियां वाला बाग की सी ही घटना थी क्योंकि सारी बस्ती में खून ही खून नज़र आ रहा था। मुझे बताया गया कि एक १३ वर्ष के बालक को भी घायल किया गया। मेरे विचार से यह मामला काफ़ी गम्भीर है और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम एक ऐसे पदाधिकारी की, जो ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन हैं, जांच पर विश्वास नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित–अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के इतिहास में, भंगियों के आन्दोलन के इतिहास में, कल जो शर्मनाक घटना घटी है, इस देश के अन्दर, उससे हम सब का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। यह घटना उस स्थान पर घटी है, जहां बापू की आत्मा सोई हुई है, जहां स्वयं बापू रहे हैं। जो कुछ भी माननीय मंत्री जी कहा है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह सब नई दिल्ली के अधिकारियो की उदासीनता के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण हुआ है और वे ही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। यह जो खून बहा है, यह जो गोली चली है, इसके लिए उनके सिवाय और कोई जिम्मेदार नहीं है। दो तीन महीने पहले हमने डी० सी० से स्वयं जा कर कहा था कि वे इन बातों पर ज़रा गौर करें और इन लोगों की मांगों पर सोचें विचारें।

मैं भी संघ का एक प्रधान हूं, एक स्पोक्समैन हूं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यहां पर यह वजह पेश की गई है कि २२ जौलाई को बात हुई थी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि २२ जौलाई को कोई बात नहीं हुई और जो लैटर भेजा गया उसमे किसी तरह की मांगों का ज़िक्र नहीं किया गया था और किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया था।

मैं मानता हूं कि मज़दूरों की शिकायतें हुआ करती हैं और उनको इस तरह का कदम उठाने के लिए बाध्य भी होना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि इस तरह का कदम उठा कर हमें कोई खुशी नहीं होती है। मैं आपको बतलाना चाहता कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर काम करने वाले लोगों के साथ सदियों से अन्याय होता आया है लेकिन इस अन्याय का कभी निराकरण करने की चेष्टा नहीं की गई है। कल हमारे अन्दर एक अजीब खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। कल हमारे प्रधान मं ी ने या स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही और जिस शान से कही, हम उसके लिए उनके आभा ी हैं. लेकिन दिल्ली राज्य के अधिकारियों ने इस बात से क्या नतीजा निकाला, क्या माने निकाले, यह बात देखने की है। हमारे प्रधान मंत्री एक बात कहें उस पर अमल न हो, उसकी भावना के मुताबिक अमल न हो, उसका उन लोगों पर कुछ भी असर न हो लोगों की शिकायतों का निराकरण न हो, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। यहां पर आपके पास वायरलैस है और मिनटों में कोई चीज़ कराई जा सकती है। यहां पर यह कहा गया है कि आदमियों को ोका गया है, यह बात बिल्कुल गलत है और हमने उनको जाने दिया है। यह जो इल्ज़ाम हम पर लगाया गया है, निहायत गलत है और इसमें किसी तरह की भी कोई सच्चाई नहीं है। डी० सी० ने जो बयान जारी किया है, वह भी निहायत गलत बयान है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल चन्द लड़के खड़े हुए थे। वहां एक टिमलू नाम का लड़का था जिस पर लाठियां बरसाई गई थीं। वहां पर हैल्थ आफिसर कर्नल गोपा राय थे और पांच छः सौ के करीब पुलिस के आदमी थे। ऐसी स्थिति में मेहतरों के लिए वहां गड़बड़ी करना तो दूर रहा प्रदर्शन करना भी संभव नहीं था। गोली चलाने के लिए कोई कारण नहीं था उसे टाला जा सकता सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। व्यर्थ एक आदमी की जान गई और कईयों को घायल होना पड़ा।

इस दुःखद घटना पर हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि एक नक्वायरी होने वाली है लेकिन यह जो ए० डी० एम० और डी० सी० को उस इनक्वायरी में लेने की बात है, तो मैं उसका खुल कर विरोध करता हूं और मैं उस इनक्वायरी को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं तो चाहूंगा कि जहां पर मेहतरों के साथ इस तरीक़े से साफ़ तौर से अन्याय किया गया हो, जब कि मैं समझता हूं कि आपके हृदय के अन्दर, प्रधान मंत्री के हृदय के अन्दर और हमारे पंत जी जिनके कि हृदय में भंगियों के लिए वही दर्द है जैसा कि बापू जी के दिल में था और जिनको कि हम बापू जी का प्रतीक सा मानते हैं और गांधी जी का हृदय यदि हम लोगों के लिए एक बाप का सा था तो पंत जी का हृदय हम लोगों के

[श्री बाल्मीकी]

लिए एक मां का सा है, मैं उसकी बहुत क़द्र करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस इनक्वायरी के लिए हाईकोर्ट का एक जज मुक़र्रर किया जाय जो निष्पक्ष होकर जांच करे। जब कि वहां की नालियों में खून है, खिड़कियों व दीवारों पर गोलियां हैं, गांधी चबूतरे पर गोलियां दागी गईं और झोंपड़ियों में गोलियां हैं, जहां कि भंगी बस्ती के अन्दर घुस कर गोलियां बेरहमी से चलाई गई हों और इस तरीक़े से लाश को खींचा गया हो ....."शेम, शेम" की आवाज़ें। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे दिल और दिमाग गुस्से और सदमे से भरे हैं और यह बात मैं साफ़ तौर से कह देना चाहता हूं कि जिन हालात में आज भंगी लोग रह रहे हैं उन हालात में नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि आज अगर हमारी कमर झुक रही है तो वह झाड़ू के दम पर झुक रही है, हम आज गोलियों के आगे झुकना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कमरें सीधी हों और आज जो स्थिति पेश है उसका हम डट कर मुक़ाबला करना जानते हैं हम उससे किसी तरह घबड़ाते नहीं हैं। मेरे अन्दर पूरी ताक़त है और मैं तमाम देश के भंगियों का जिम्मा लेता हूं, मैं किसी के मुंह की तरफ़ देखता नहीं हूं .....। "वी आर विद यू" की आवाज़ें।

इस दर्दनाक घटना के कारण मेरा दिल और दिमाग़ सदमे से भरा हुआ है और हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। मैं ज्यादा न कह कर यही दुहराना चाहता हूं कि इस इनक्वायरी के लिए एक निष्पक्ष जज को मुक़र्रर किया जाय ताकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको रिलीफ़ मिले। इस दुःखद कांड के लिए मैं डी० सी० श्री बोपा राय और पुलिस अफ़सरान को ज़िम्मेदार मानता हूं और मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दिया जाय। हमारे लोगों के दिमाग़ में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है और मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ यही कहूंगा कि इस कांड की इनक्वायरी कराने के लिए एक हाईकोर्ट के जज को मुक़र्रर किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं इधर उधर की बातें कहने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। इस समय केवल प्रश्न यही है कि प्रस्ताव को अनुमति दी जाये या नहीं। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने भी ऐसी ही एक सूचना दी है। मैं उन्हें सुनना चाहूंगा।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली): मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे क्योंकि हमें यह पता लगा है कि वहां पर कोई दण्डाधिकारी नहीं था ?

मैं कल वहां गई थी और मैंने वहां सभी जगह देखीं। मैंने देखा है कि पुलिस किस प्रकार घरों में घुसी जहां पर बच्चे और औरतें थीं और वहां पर उन्हों ने कैसे गोलियां चलाईं। मैं समझती हूं कि पुलिस ने ज्यादती की है इसलिए न्यायाधीश द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमारे यहां नियम बने हुए हैं जिनके अनुसार निर्णय होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव में यह देखना होता है कि वह किसी विशेष घटना अथवा प्रश्न के सम्बन्ध है या नहीं, वह आवश्यक है अथवा नहीं या लोक महत्व की दृष्टि से जरूरी है या नहीं। इन्हीं बातों के आधार पर स्थगन प्रस्ताव पर फैसला होना चाहिए। मेरा विचार है कि यह स्थगन प्रस्ताव एक बड़े गम्भीर विषय के बारे में है और लोग इस पर उत्तेजित हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने स्वविवेक से इसकी अनुमती दें।

अध्यक्ष महोदय: औचित्य प्रश्न केवल यही हैं कि अध्यक्ष नियमों के अनुसार कार्य करें। अच्छा ठीक है। गृह मंत्री।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†श्री न्थनी पिल्ले (मद्रास-उत्तर): मेरा भी एक औचित्य प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको प्रस्ताव की स्वीकृति दे रहे हैं अथवा नहीं ? अब आप गृह-मंत्री को उत्तर देने के लिए कह रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर नहीं है। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने से पूर्व यह निर्णय करना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। प्रस्ताव की स्वीकृति देने पर मैं सबकी बात सुनूंगा ।

†पंडित गो० ब० पन्त: श्रीमती सुचेता कृपालानी ने प्रश्न किया है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। मुझे पता लगा है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। जहां तक न्यायाधीश द्वारा जांच की बात है उसका मैं मना नहीं कर रहा। परन्तु इसके सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व, मैं जांच करने वाले पदाधिकारी का प्रतिवेदन देखना चाहता हूं।

†श्री ० प० नायर (क्विलोन) : इस जांच का महत्व भी क्या है वह एक अधीनस्थ पदाधिकारी है।

†पंडित गो० ब० पन्त : मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। अतिरिक्त जिलाधीश को २५ वर्ष का अनुभव है। मैं नहीं जानता कि हम एक जिम्मेदार पदाधिकारी के लिये यह कैसे कह सकते हैं कि वह गलत प्रतिवेदन भेजेगा या बढ़ा हुई बातें कहेगा। हम इस प्रकार प्रशासन कैसे चला सकेंगे ।प्रतिवेदन देखने के पश्चात हा मैं देखूंगा कि इसकी और आगे जांच की जाये अथवा नहीं ।

†श्री त्रि० कु० चौध ी: एक औचित्य प्रश्न है। वास्तव में इस समय प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं मेरी अध्यक्ष से यह अपील है कि प्रकिया नियमों के नियम ५८ के अनुसार वह इसके अस्वीकार अथवा स्वीकार करने पर अपना निर्णय दें।

†श्री अ० कु० ोपालन (कासीरगोड): मेरा भी एक निवेदन है। सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव समाचार पत्रों में प्राप्त समाचार के अधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। परन्तु इस स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुत होने के पश्चात् इसमें से बहुत माननीय सदस्य गोली चलाये जाने वाले स्थान पर हो आये हैं। उनका सभी का यह मत है कि यह गोली कांड रोका जा सकता था। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी जाये जिससे इस प्रकार के आदेशों की व्यवस्था हो सके कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को क्या करना चाहिए ।

†श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय): सभा में राय से यह जाहिर है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए नियम ५८ का अनुसरण करते हुए इसको अनुमति दी जानी चाहिए।

†प्रधान मंत्री तथा ैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल ेहरू): मैं समझता हूं कि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाने का अर्थ यह है कि इस पर यहां उचित रूप से चर्चा होनी वाहिए। सभा इस पर जो चाहे निर्णय कर सकती है यदि यह मामला केवल पूरी तरह ध्यान देने का ही है तो जहां तक सरकार का ताल्लुक है हम इससे पूर्णत: सहमत हैं कि इस पर विचार किया जाये। यह ऐसा मामला नहीं है जिसको जल्दी में तय कर दिया जाये या जिसे दबा दिया जाये। प्रश्न केवल यह है कि इस पर चर्चा का कौन सा समय ठीक होगा ताकि सभा को पूरी बातें मालूम हो और वह उन पर चर्चा कर सके।

प्रस्ताव चाहे यह हो या कोई और; इसका कोई विशेष महत्व नहीं। सरकार तो चाहती है कि सभा में इस मामले पर विचार किया जाये। मैं केवल यही कहूंगा कि यह उचित होगा कि इस पर चर्चा तभी हो जब जितने तथ्य मिलने संभव हों उतने मिल सकें।

---

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अभी इस दुर्घटना को २४ घंटे भी नहीं हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मैंने इस बारे में कल ही कुछ कहा था मेरे कल के भाषण के एक घंटे बाद ही मेरे साथी, स्वास्थ्य मंत्री संघ के प्रतिनिधियों से मिले और जहां तक मांगों का सम्बन्ध था ऐसा मालूम होता था कि मामला तय हो रहा है। मुझे ऐसा ही बताया गया। तभी दोपहर बाद उन्हों ने मुझे इस दुर्घटना के बारे में बताया।

इस में कोई संदेह नहीं कर सकता कि यह एक बड़ी दुखद घटना है। और इसकी पूर्ण निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के परिणामस्वरूप कार्यवाही भी तुरंत ही होनी चाहिए। हम सब इससे सहमत हैं चाहे हम सभा के किसी पक्ष के हों। अब प्रश्न यही है कि हमें इस मामले पर किस प्रकार जांच करनी चाहिए और सभा इस पर किस प्रकार पूरी तरह विचार करे। सरकार सभा को इसके लिये पूरा अवसर देने को तैयार है। चाहे चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में हो अथवा और किसी प्रस्ताव के रूप में हो, इससे कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हों।

परन्तु मेरा निवेदन है कि इस सभा में इस पर चर्चा का संभवतया उचित समय वही होगा जब समस्त तथ्य हमारे सामने हो। मेरे साथी गृह मंत्री अथवा और किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। कुछ माननीय सदस्य वहां गए। मेरा विचार भी आज सवेरे वहां जाने का था परन्तु मुझे बताया गया कि वह वहां जाने का ठीक समय नहीं होगा। मैं आज किसी वक्त वहां जाऊंगा। परन्तु मेरा वहां जाना और उस स्थान को देखना जांच नहीं मानी जा सकती है। यह तो केवल मैं अपनी तसल्ली के लिये जाना चाहता हूं। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कोई नहीं चाहता कि इस मामले की जांच जल्दी जल्दी में की जाये। हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह विचार किया जाये, पूरी जांच की जाये। इस मामले में सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं पहुंचना है जिससे वह जल्दी करे। हम पूरी जांच चाहते हैं जैसा सभा चाहती है और हम उस जांच के परिणामस्वरूप कार्यवाही भी करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि सभा इस मामले पर पूरी तरह विचार करे। इसका निर्णय आप करेंगे कि इस पर किस रूप में और किस समय चर्चा हो।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : मेरा निवेदन है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दें क्योंकि हमें भय है कि संभवतया भविष्य में ऐसा होता रहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि इस मामले पर चर्चा हो अथवा नहीं। कुछ सदस्यों ने उस स्थान को देखा है कुछ ने इस के सम्बन्ध में सुना है और कुछ ने समाचार पत्रों में पढ़ा है। परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसे यह देखना है कि इस सम्बन्ध में जिस पदाधिकारी से जांच के लिये कहा गया है उसका क्या कथन है। इन परिस्थितियों में मैं चर्चा की अनुमति दूंगा। मैं परसों तक मामले को स्थगित करता हूं। इतने समय में माननीय गृह मंत्री प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयत्न कर लेंगे और शनिवार को वक्तव्य देंगे। यदि हम उनके वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं शनिवार की शाम को चर्चा के लिये व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा। स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने के सम्बन्ध में तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में भी मैं शनिवार को प्रातः ही निर्णय दूंगा।

†**श्री साधन गुप्त** : नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने पर सभा के स्थगित हो जाने के पश्चात् उसी दिन स्थगन प्रस्ताव को २ घंटे का समय दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि आज सायं ५.३० बजे इस पर चर्चा क्यों न रख दी जाये क्योंकि सरकार के लिये ५ घंटे तथ्य जानने के लिए पर्याप्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसके सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। नियमों में ऐसा नहीं है कि मैं मामले को स्थगित नहीं कर सकता। परसों इसका निर्णय हो जायेगा। समय के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री तो ४, ५, दिन चाहते हैं मैंने इस अवधि को कम कर दिया है और मैं चाहता हूं कि इसी हफ्ते में इसका निपटारा हो जाये। इसलिए मैंने परसों शनिवार का दिन रखा है। तब तक के लिए यह मामला लम्बित रहेगा।

अनुदानों की मांगें--जारी

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा करेगी। इस चर्चा के चार घंटे बाकी हैं। मैं ४ बजे सिंचाई और विद्युत् मंत्री को उत्तर देने के लिए कहुंगा।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं ने कटौती प्रस्ताव संख्या ६९७ की सूचना दी थी परन्तु वह चुने हुए कटौती प्रस्तावों में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या ६९७ को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६७	६९७	श्री साधन गुप्त	दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता बिजली कंपनी को बिजली का विक्रय	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** (पाली) : मैं ने पंचवर्षीय योजना की समीक्षा से आंकड़े दिखाये थे कि राजस्थान में सिंचाई और विद्युत दोनों में प्रगति की स्थिति कितनी खेदजनक है। हम वहां अत्यंत साधारण लक्ष्य भी पूरे नहीं कर सके। सिंचाई में ५५ प्रतिशत कमी रही है और विद्युत के सम्बंध में यह कमी ६२ प्रतिशत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः जब तक माननीय मंत्री इस ओर विशेष ध्यान न देंगे यहां की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी।

राजस्थान में चम्बल परियोजना की प्रगति भी अच्छी प्रकार नहीं हो रही। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि चूंकि मध्य भारत के पास कर्मचारी हैं अतः वह प्रगति कर रहा है और राजस्थान में प्रगति न होने का कारण कर्मचारियों का अभाव है। अब यह आवश्यकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति को निश्चित किया जाए क्योंकि सारे राज्य की प्रगति विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर आधारित है। एक उदारण लीजिए। जोधपुर में हम ने एक आदर्श औद्योगिक उपनगर बनाया था परन्तु बिजली के अभाव के कारण वह उजड़ा पड़ा है।

जोधपुर में एक स्टीम सयंत्र स्थापित किया जा रहा है। माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि जोधपुर के बिजली घर को चम्बल परियोजना से मिला दें। इस से बहुत से नगरों और गांवों को बिजली मिल सकेगी। यदि जवाई के पास भी एक संयंत्र स्थापित कर के उसे जोधपुर और पाली से मिला दिया जाए तो इस क्षेत्र में खूब व्यापार और उद्योग आरम्भ हो जाएगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री हरिशचन्द्र माथुर]

राजस्थान की नहर हमारा एक स्वपन ही है अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह नहर देश में सब से बड़ी होगी। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना को प्राथमिकता दी जाए। इस का अखिल भारतीय महत्व है और इस से निश्चय ही देश की खाद्यान्न समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या कार्यवाही की गई है? हमें पूर्व अनुभव से लाभ उठाना चाहिये और पाकिस्तान के प्रसन्न करने में नहीं लगा रहना चाहिये और पाकिस्तान के साथ नहरी विवाद इस परियोजना की प्रगति में बाधक नहीं होना चाहिये।

परिवहन सुविधाओं के लिए भी कुछ नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ संतोषजनक प्रकाश डालें।

मेरा यह सुझाव है कि देश भर में बिजली की दर एक ही होनी चाहिये जैसा कि इस्पात और सीमेंट के मामले में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा के समय माननीय मंत्री ने इस को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की दरों में भिन्नता है और उन्हें ६ आने और ८आने प्रति यूनिट देने पड़ते हैं। ऐसी भिन्नता नहीं रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में वितरण अभिकरण कम करने चाहिये और उन्हें अधिक लाभ नहीं कमाने देना चाहिये।

नल कूप खुदे हुए हैं परन्तु बिजली के बिना वे काम नहीं कर रहे। राजस्थान में गांवों में बिजली भेजने की कोई योजना भी नहीं है।

पानी निकालने और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देनी चाहिये। गांवों में इन उद्योगों के विकास से ही ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि वहां के लोग नगरों की ओर न भागें। छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के अधीन कर देने से उत्पादों के विक्रय की समस्या हल हो सकती है। फिर शिक्षित युवक भी गांवों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस कार्य के लिए कुछ राशि नियत कर दें। गावों में ८० प्रतिशत लोग रहते हैं तो कम से कम २५ प्रतिशत बिजली तो उन्हें मिलनी चाहिये।

माननीय उपमंत्री ने हमें विश्वास दिलाया था कि एक एकीकृत केन्द्रीय सेवा बनाई जाएगी। यदि आप राज्यों का पथ प्रदर्शन करें तो कम से कम केन्द्रीय सेवाओं का समवन्य हो सकता है।

बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं शीघ्र क्रियान्वित की जानी चाहियें। इस कार्य में जो जो कावटें हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये। योजना आयोग के उप-प्रधान ने एक दिन कहा था कि यदि हममें कार्य दक्षता और ईमानदारी हो तो हम २५ प्रतिशत लागत कम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर समुचित ध्यान देगी।

†**श्री रामेश्वर राव** (महबूबनगर): भारत जैसे देश में सिंचाई का बहुत महत्व है। इसी से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अच्छे बीज उर्वरक आदि का महत्व सिंचाई की तुलना में गौण है।

यदि हम अत्यधिक बढ़ने वाली जन संख्या को न रोक सके तो हम प्रति वर्ष कम से कम १० लाख अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने पर ही जीवित रह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी कार्यों को खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से गौण समझना चाहिये। योजना आयोग के प्राक्कलन के अनुसार हमें अगले दस वर्षों में प्रतिवर्ष २० लाख टन अधिक उत्पादन करना चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में।

इस समस्या के दो पहलू हैं : एक तो दीर्घ कालीन योजना और दूसरे वर्त्तमान आवश्यक लक्ष्य। यदि सरकार के दावे के अनुसार १४० लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं तो देश के समक्ष खाद्यान्न संकट क्यों उपस्थित हो गया है ? या फिर उत्पादन के आंकड़े ही गलत हैं। इस समय सिंचाई कार्य प्रायः ई मंत्रालयों के अधीन हैं क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय छोटे पैमाने की सिंचाई देखता है, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय बड़ी परियोजना के लिये उत्तरदायी है और मैं समझता हूं सामुदायिक विकास मंत्रालय का भी सिंचाई से कुछ सम्बन्ध है। जब तक इस कार्य में एकीकृत निदेश तथा नियंत्रण न हो तब तक इस के प्रति न्याय नहीं हो सकता। विभाजित उत्तरदायित्व तो वास्तव में उत्तरदायित्व का अभाव ही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की समीक्षा में योजना आयोग ने लिखा है कि गलत रूप में किये गये निर्माण के कारण अत्यधिक लागत पर पानी एकत्र किया गया है परन्तु वहां से पानी के वितरण के लिए नहरें समय पर नहीं खोदी गई। कुछ परियोजनाओं में सिंचाई की सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध नहीं की गईं। इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना बनाने वालों ने स्वयं इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि सिंचाई परियोजनाऐं ऐसे स्थानों पर होनी चाहियें जहां उनका पूर्ण उपयोग हो सके। दामोदर घाटी निगम, हीरा कुण्ड और मयुरक्षी ऐसे स्थान हैं जहां काफी वर्षा होती है। दूसरी ओर तुंगभद्रा परियोजना दुर्भिक्ष वाले क्षे में है जहां की जनसंख्या १२० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है जब कि उचित सिंचाई के क्षेत्र में ३५० व्यक्ति प्रति वर्ग मील होने चाहियें। इस कारण स्वाभावतः विकास प्रक्रिया में समय लगेगा।

भारत में सिंचाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक सिंचाई आयोग बनाना चाहिये जिस में न केवल विशेषज्ञ हों वरन् सभा के कुछ माननीय सदस्य भी हों। वह आयोग सारे भारत का दौरा करे और सारी प्रस्तावित परियोजनाओं को जांच करके एक वर्ष अथवा १८ मास में उनकी प्राथमिकताओं के विषय में प्रतिवेदन दे। उसे केवल आज कल की परियोजनाओं की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिये वरन् आगामी १५० वर्ष के लिए योजनाऐं तैयार करनी चाहियें। इस से हमारी कृषि और सिंचाई के विकास में भी सहायता मिलेगी अन्यथा अव्यवस्था ही रहेगी और केवल लाभहीन परियोजनाओं पर व्यय किया जाता रहेगा। गोदावरी नदी पर एक पोचम्पाद स्थान है जिस पर सिंचाई परियोजना बनाने के हेतु सर्वेक्षण और जांच कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु आंध्र के पास इतना पैसा नहीं कि वह इस कार्य को पूरा कर सके। इस बांध से २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। ऐसी सस्ती परियोजनाओं को छोड़ कर हम न हल होने वाली समस्याओं में उलझे हुए हैं। और भी अच्छी और लाभदायक परियोजनाऐं हो सकती हैं जिन्हें सिंचाई आयोग आरम्भ कर सकता है। पोचम्पाद की बात केवल मेरी कल्पना नहीं है मार्च १९५७ के भागीरथ में इस का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यदि वहां १२० फुट ऊंचा बांध बनाया जाए तो १६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

मैं अब माननीय मंत्री का ध्यान खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के वर्त्तमान आवश्यक लक्ष्य की ओर दिलाता हूं। दक्षिण भारत में सैंकड़ों तालाब टूटे फूटे हुए हैं। वे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन हैं अर्थात उनकी देख रेख के बारे में उत्तरदायित्व किसी एक का नहीं है। यदि उन तालाबों की मरम्मत हो जाती तो भी उत्पादन वृद्धि में बहुत सहायता मिलती। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए विधि दे।

†**श्री क० स० रामस्वामी :** (गोबीचेट्टीपलयम) सिंचाई और विद्युत मंत्री ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सफलताऐं दिखाई हैं उनके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। प्रथम योजना काल में १४० लाख एकड़ नई भमि में कृषि की गई है और अगले ४ या पांच वर्ष में और २०० लाख एकड़ भूमि में कृषि की जाएगी। इस से हम खाद्य सम्बन्धी संकट से मुक्त हो जाएंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ब० स० रामस्वामी]

मद्रास में सभी नदियो का उपयोग किया गया है। कृष्णा पेनार परियोजना से आंध्र प्रदेश को भी हिस्सा मिलेगा। परन्तु केरल राज्य में नदियों के पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा। पेरम्बीकुलम परियोजना को जांच पूर्ण हो चुकी है परन्तु अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुई। इस योजना से कोयम्बटूर और रामनद में लगभग दो लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी और केरल की भी लगभग २१,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। हम इस में से केवल कुछ हिस्सा चाहते हैं। केरल की गिरियार नदी से भी, जिसके पानी का उपयोग अभी नहीं किया जा रहा तिनेवेली के दो ताल्लुकों में सिंचाई हो सकती है हम चाहते हैं कि केरल सरकार मद्रास के प्रति सहानुभूति रखे। केरल और मद्रास दोनों राज्यों में खाद्याभाव रहता है तो भी हम उन्हें खाद्यान्न में हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। हम संयुक्त प्रयत्नों से इस समस्या को हल कर सकते हैं। यदि राज्य परस्पर सहमत न हो तो मेरा केन्द्र से निवेदन है कि वे हस्तक्षेप करें और नदियों को अपने अधिकार में ले लें। भारत संघ को नदियों को पूर्ण उपयोग में लाना चाहिये।

सिंचाई अधिकारी कुछ ऐसी नीति का पालन कर रहे हैं जिस से खाद्य उत्पादन में बाधा पैदा हो रही है। निम्न भवानी क्षेत्र में लोगों को पम्प लगाने से मना किया जा रहा है। यदि उन्हें डीज़ल इंजन लगाने दिये जाएं तो वे अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन में सहायता दे सकते हैं। इस मंत्रालय को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के सहयोग से नीति तैयार करनी चाहिये और परियोजना क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम आरम्भ करने चाहियें। उन उपक्रमों में कच्ची सामग्री का जो यहां खूब मिल सकती है उपयोग बड़ी अच्छी तरह किया जा सकता है।

मैं अपने मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि सिंचाई के छोटे तथा बड़े कार्य एक ही मंत्रालय के अधीन होने चाहिये। भवानी ताल्लुक में ६ व ७ तालाब टूटे हुए हैं। यदि नहर खोद कर वर्षा के मौसम में उन तालाबों में पानी एकत्र किया जा सके तो उन से हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी और आप सिंचाई कर हटा कर किसानों को तकलीफ से बचा सकेंगे।

यदि परियोजनाओं के लिए हमारे पास बड़ी नदियां नहीं है तो तालाबों की तो मरम्मत की जा सकती है। कोयम्बटूर और सेलम ज़िलों के किसान बहुत ही परिश्रमी हैं और सिंचाई विभाग को उन्हें सुविधाऐं देनी चाहियें। सेलम ज़िले में हजारों तालाब हैं परन्तु सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। कृष्णगिरी परियोजना से रामनद और तिनेवली ज़िले को सहायता मिल जायेगी। मुझे माननीय मंत्री से यह सुन कर हर्ष हुआ है कि ताम्बपर्णी और कावेरी नदियों पर नौवहन के विषय में विचार किया जा रहा है।

विद्युत् के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मद्रास की सब से बड़ी परियोजना कुडा परियोजना है। मेरा निवेदन है कि उस कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जाए।

†श्री एफ० कु० चौधरी (बराहमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में इसलिये भाग ले रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन की कुंजी सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के पास है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और नालों की समस्या सब से अधिक हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य में हैं। सब से पूर्व, मैं बाढ़ नियंत्रण का मामला लेता हूं। इस मामले में हमारे एक बड़े इंजीनियर श्री कंवर सेन ने कहा था कि इन बाढ़ों से हर वर्ष होने वाली हानि को यदि बचा लिया जाये तो राष्ट्रीय आय में एक सौ करोड़ रुपया की वृद्धि हो सकती है। हमारे देश के बहुत भागों में हर वर्ष बाढ़ें आती हैं। १९५५ में २६०० वर्ग मील क्षेत्र में बाढ़ आई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

१९५४ तक बाढ़ों की समस्या पर अलग से विचार ही नहीं किया गया था। १९५४ के बाद एकीकृत बाढ़ नियंत्रण की नीति अपनाई गयी। परन्तु दुःख की बात यह है कि इसके लिये कई निकाय हैं। आय व्यय ज्ञापन में भी इन बाढ़ नियंत्रण निकायों का विवरण है। एक तो केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है, और दस राज्यों में दस बाढ़ नियंत्रण बोर्ड हैं, चार नदी आयोग भी हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग है, जो कि केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सहायता करता है। इन अनेक निकायों के कारण मामले को निपटाने में अनावश्यक देरी हो जाती है। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये कुछ योजनायें प्रस्तुत की थीं, जिस पर १७४.३७ करोड़ रुपये के खर्चे की व्यवस्था थी। वित्तीय योजनाकाल में यह खर्चा ११७.१५ करोड़ रुपये कर दिया गया। परन्तु योजना के अन्तर्गत केवल ६० करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसमें २५ करोड़ रुपये और बढ़ा दिये जायें। क्योंकि कई मामलों पर हमें तुरन्त ध्यान देना होगा। तुरन्त कार्य करने से कई एक क्षेत्रों को बाढ़ के अभिशाप से बचाया जा सका है। इसलिये इसके लिये रकम अधिक होनी चाहिये।

अब मैं अपने राज्य की कुछ समस्याओं का उल्लेख करता हूं। पश्चिमी बंगाल में १९५६ में जैसी बाढ़ें आईं, वैसी इतिहास में कभी नहीं सुनी गई थीं। स्थिति यह थी कि प्रधान मंत्री को भी हमारे जिले में जाना पड़ा था। और भी मंत्री, संसद् सदस्य और अन्य लोग भी वहां पहुंचे थे। बाढ़ का प्रकोप १००० वर्ग मील पर हुआ। अब भी कोई वहां जा कर हुई हानि को देख सकता है। लोगों का कहना है कि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं प्रत्युत इस बाढ़ का कारण अधिकारी वर्ग है। परन्तु अधिकारी वर्ग का कथन है कि मथुराक्षी परियोजना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। परन्तु मामले की अभी तक समुचित जांच नहीं हो पाई। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी उसने साधारण सी जांच कर कोई रिपोर्ट दी है, परन्तु हमें उसका कुछ पता नहीं। १९५६ की बाढ़ों से एक बात का पता स्पष्ट रूप से चलता है कि बाढ़ नियंत्रण के मुख्य लक्ष्य में यह योजना असफल रही है।

१९५५ के आरम्भ में उस समय के सिंचाई और विद्युत् मंत्री श्री नंदा ने पश्चिमी बंगाल के संसद् सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था, मैं ने उसमें मिट्टी के कटाव की समस्या की बात भी चलाई थी। गत १० वर्षों में इससे एक नगर हो नष्ट हो गया है। परन्तु राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। राज्य सरकार को ही हानि नहीं, रेलवे को भी इससे बहुत हानि हुई है। परन्तु कोई इस ओर ध्यान ही नहीं देता। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

यह तो निश्चित ही है कि गंगा बांध योजना द्वितीय योजना के अन्तर्गत नहीं आयेगी। परन्तु फिर भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इस योजना के अधिकारी और कर्मचारी भी वैसे ही रखे गये हैं। शायद यह अनुभव किया जा रहा है कि नहरी पानी के सम्बन्ध में पाकिस्तान से झगड़े के कारण इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है। गंगा बांध का मामला नहरी पानी की समस्या से मिलाया नहीं जाना चाहिये और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि गंगा बांध सम्भव नहीं तो बंगाल के लिये कोई और अन्तरिम योजना की व्यवस्था होनी चाहिये।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। प्रथम योजना में सिंचाई और विद्युत् को बहुत ही महत्व दिया था। २९ प्रतिशत योजना का खर्चा इस

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री दासप्पा]

उद्देश्य के लिये सुरक्षित था। आज खाद्यान्नों की कमी की अवस्था में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिये बहुमुखी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देना स्वाभाविक ही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि छोटी बड़ी परियोजनाओं का एकीकरण कर देना चाहिये और उन्हें एक ही मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिये।

कहा जाता है कि बड़ी बड़ी परियोजनायें ठीक हैं, परन्तु उनसे तुरन्त कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात को सब ने स्वीकार कर लिया है। छोटी योजनाओं के परिणामों के लिये अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, और मनोवैज्ञानिक रूप में भी इसका लोगों पर प्रभाव होता है। इसलिये मेरा कहना है कि इन्हें एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये। साथ ही इन छोटी परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिये।

मैसूर में तालाब बहुत है। वहां २६००० वर्ग मील क्षेत्र में २६००० कुएं हैं। परन्तु, १८, १६ हजार बेकार पड़े हैं। यदि हम कुछ रुपया खर्च करें तो इसी से सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि की जा सकती है। वर्षा भी काफी हो जाती है। मैदानों को भी खेती योग्य बनाया जा सकता है।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक सदस्य श्री गांगुली ने इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की है। उनका कहना है कि दुर्गापुर बांध से दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है : परन्तु दामोदर जल के प्रयोग के लिये कुछ भी नहीं किया गया।

कृष्णराज सागर बांध से १,२०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। परन्तु ४००० कृषकों ने इसके लिये कुछ देने से इंकार कर दिया। बाद में बातचीत हुई, पिछला कुछ छोड़ दिया गया तो वे कृषिकर देने को तत्पर हो गये। परन्तु उसे काफी वर्षों में देने की व्यवस्था कर दी गयी।

इस १० लाख एकड़ के क्षेत्र में कई प्रकार की फसल हो सकती है। आरम्भ में तो अतिरिक्त भुगतान को प्रतिक्रिया थी। हमारी सरकार को उन्हें यह समझाना चाहिये कि इस जल को उपयोग करने के बहुत लाभ हैं। अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में इसी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये।

विद्युत् के सम्बन्ध में निवेदन है कि उसके निर्माण और उपयोग राष्ट्र की समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी विद्युत् शक्ति इस समय ३५० लाख किलोवाट है। हम विद्युत् निर्माण के सम्बन्ध में उपलब्ध सुविधायों का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

मैं जल विद्युत् पर अधिक बल देता हूं। क्योंकि यह असीमित शक्ति है। कोयला और तेल इसके सामने कुछ नहीं। इसी कारण मेरा कहना है कि बिजली उत्पादन में कृपणता से काम नहीं लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में कई राज्यों में प्राकृतिक संसाधन है। हमें इसका लाभ उठाना है। बम्बई से ले कर कन्याकुमारी तक के पश्चिमी घाट भी ऐसे संसाधनों से परिपूर्ण है। मेरे राज्य में एक परियोजना ५७ करोड़ के खर्च से ७१०,००० कलोवाट बिजली पैदा कर सकती है। यह सब से सस्ती बिजली पैदा करती है। २२ करोड़ से १४०,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकी। इसके बारे में मंत्री महोदय ने सारा ब्यौरा क्यों नहीं दिया। यह परियोजना, शेरावती घाटी योजना है।

मैं एक और लाभदायक परियोजना के लिये कहूंगा जिससे हमारे पड़ौसी राज्य केरल को लाभ पहुंच सकता है। इस से न केवल बिजली प्राप्त होगी बल्कि २० हजार एकड़ धरती पर सिंचाई भी हो सकेगी। यह बहुप्रयोजनीय परियोजना होगी मैसूर में इस सम्बन्ध में तांबे की तार की कमी है। मंत्री महोदय को इसके आयात में कमी नहीं करनी चाहिये।

†श्री नरसिंहन (कृष्णगिरि) : हम विद्युत तथा सिंचाई विभाग के इंजिनीयरों पर गौरव कर सकते हैं। भारत के इन समृद्ध मन्दिरों के निर्माण का श्रेय इन्हीं को है। अधिक सीमेन्ट के प्रयोग की समस्या ने भी उन्हें परेशान किया। प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। सीमेन्ट प्रयोग के मामले में काफी रियायत की गई। परन्तु अब इसके प्रयोग को कम करना ही मुनासिब समझा गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है।

कहा गया है कि मद्रास राज्य के सभी जल संसाधनों का प्रयोग कर लिया गया है। केवरी के जल का ९० से ९० प्रति उपयोग किया जा रहा है। और इस पर सिंचाई के लिये नदी के पानी का उपयोग एक आश्चर्य है। शायद ही इसका कोई भाग सागर तक पहुँचता होगा। इस लिये मद्रास सरकार के लिये जल साधनों के लिये कुछ करना ही होगा।

जल क्षेत्र बनाने की बात कही गयी है। मेरे विचार में इस मामले में राज्यगतभावना पैदा नहीं होनी चाहिये। जल और विद्युत के सभी साधनों को सामूहिक रूप में समस्त देश के साधन समझे जाने चाहिये। इस संबंध में मानसिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मद्रास में १४ अगस्त से दो परियोजनायें और चालू हो जांयेगी। और आशा है कि इस नदी को एक दो छोटी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जायेगा।

राइल सीमा क्षेत्र भी कमी वाला क्षेत्र है, और इसको इसी कार्यक्रम में रखा जाना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मध्यम श्रेणी की परियोजनायों की ओर मंत्रालय को अधिक ध्यान देना चाहिये।

†श्री पुन्नूस (अम्बलपुज़ा) : सिंचाई और विद्युत से ही हम देश को समृद्धिशाली बना सकते है। देश के विभिन्न बांध समृद्धि के लिये किये संघर्ष के अच्छे परिणाम हैं। छोटी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई और विद्युत परियोजनायों से ही इस संघर्ष में सफलता मिलने की आशा है। और यदि हम योजना की सफलता चाहते है तो हमें इनके लिये धन की व्यवस्था करनी होगी। सारे देश भर में ही इसकी आवश्यकता है, परन्तु कमी वाला प्रदेश होने के कारण केरल में इसकी आवश्यकता बहुत बहुत अधिक है।

कई बार कुछ मित्रों ने चाहा कि केरेल के जल को मद्रास के लिये उपयोग कर लिया जाय। कहा जाता है कि यह जल व्यर्थ सागर में चला जाता है। परन्तु यदि मामले का गम्भीर अध्ययन किया जाये तो बात ऐसी नहीं है। वर्षा के समय पानी होता है। परन्तु बाकी समय में नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है तो सागर का पानी धान के खेतों में चला जाता है और खेती असम्भव हो जाती है। यदि बड़े पैमाने पर पानी का बहाव इस ओर से बदलने का यत्न किया गया तो हमारा क्षेत्र खेती के अयोग्य हो जायेगा। इसलिये हमारे मद्रास के मित्रों को थोड़ा ऊपर उठ कर इस मामले का अध्ययन करना चाहिये। बारा पुजहा परियोजना से मालाबार और मैसूर के क्षेत्रों को सहायता पहुंचायी जा सकती है।

यदि बांध समुचित ढंग से बन जाये, तो कुछ पानी फालतू निकल सकता है, परन्तु हमारे पास शिक्षित नरनारी भी फालतू हैं, परन्तु उस मामले में श्री दासप्पा हमारी सहायता नहीं करना चाहते। यह पक्षपात पूर्ण व्यवहार तो समझ में नहीं आ सकता।

इस से पूर्व हम वर्षा पर ही आश्रित रहते थे और बड़े स्तर पर खेती बाड़ी की समस्या ही नहीं थी। अब खाद्य संकट के कारण परियोजना के मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पुन्नूस]

है। केरल में आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा हो सकता है परन्तु इसके लिये हमें पूरी शक्ति लगानी होगी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को छोटी और मध्यम परियोजनाओं के चालू करने के साधन निकालने चाहियें। पम्बा नदी घाटी परियोजना से भी काफी उत्पादन की वृद्धि होगी।

विद्युत् भी केरल से काफी मात्रा में दी जा सकती है। इडिक्की परियोजना से ही ५००,००० किलोवाट बिजली की व्यवस्था हो सकती है। केरल से मद्रास को सस्ती बिजली दी जा सकती है, मद्रास में विद्युत् गृह बनाने की आवश्यकता नहीं। हमें अपनी समस्यायों पर परस्पर विचार कर सहयोग की भावना से अपने जल विद्युत् साधनों से अधिकतम लाभ उठाना चाहिये।

सागर केरल की ओर घुस रहा है, और इसके बारे में रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं। केरल को सागर की भेंट नहीं किया जायेगा, उसकी रक्षा करनी ही होगी। हर साल हजारों घर पानी की भेंट हो जाते हैं, और इसकी कुछ व्यवस्था नहीं की गयी। यदि हमारे इंजीनियर इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते तो हमें अन्य विशेषज्ञ इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त करनी चाहियें। छोटी और मध्यम परियोजनाओं और समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव की समस्याओं की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : नये सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने नहरी जल-विवाद के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है, मैं उसका स्वागत करती हूं। हमें उसका अन्तिम निर्णय करना ही चाहिये।

गत एक दशथ से हम ने गंगा बांध परियोजना के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है।

इस बार के आय-व्ययक में भी उसके लिये केवल साढ़े दस लाख रुपये रखे गये हैं। उसकी जांच पड़ताल का प्रतिवेदन मिल चुका है। विदेशी विशेषज्ञों से सलाह की जा चुकी है। इतने पर भी, उसका कार्य आगे नहीं बढ़ता। इस परियोजना के अभाव में कलकत्ता का पत्तन गंगा की रेत से पुटता जा रहा है। तमाम स्थानों पर बाढ़ें आती रहती हैं। इसलिये, इस परियोजना को पूरा करना आवश्यक है।

पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। लेकिन, फिर भी पता नहीं क्यों इसमें देर की जा रही है। नहरी जल-विवाद के कारण इसमें विलम्ब होने की बात समझ में नहीं आती। इससे तो पूर्वी बंगाल का भी लाभ होगा।

कलकत्ता में गंगा नदी की रेत जमा होती जाने के कारण, उसकी जहाज ठहराने की क्षमता कम होती जा रही है। वहां आने जाने वाले कई जहाज पत्तन के बाहर खड़े रहते हैं, और हमें उन पर, विलम्ब शुल्क देना पड़ता है। गत ६ जुलाई को वहां २४ ऐसे जहाज पत्तन से दूर खड़े थे। विदेशी मुद्रा के संकट के समय, यह अपव्यय अनुचित है। मितव्ययता की दृष्टि से भी, इस परियोजना का महत्व काफी अधिक है।

प्रधान मंत्री ने बताया था कि रौटरडम पत्तन युद्ध में ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब उसका पूर्ण पुर्ननिर्माण किया जा चुका है। उसकी प्रतिवर्ष क्षमता ४ करोड़ टन माल चढ़ाने-उतारने की है। हमारे सभी भारतीय पत्तनों को मिला देने पर भी उनकी इतनी क्षमता नहीं है। कलकत्ता की क्षमता कुल ८०--९० लाख टन माल की है। फिर, इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। परिवहन उपमंत्री ने आप बताया है कि कलकत्ता के लिये तलहटी साफ करने वाली 'ड्रैजर' मशीनें खरीदी जा रही हैं कलकत्ता की 'ड्रैजर' मशीनें लगभग ४४ साल पुरानी पड़ गई हैं। यह इसीलिये कि दस साल पहले

†मूल अंगेजी में।

गंगा बांध परियोजना के बनने की आशा में उनको बदला नहीं गया था कि उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यही नहीं, गंगा बांध परियोजना के अभाव में, वहां बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है क्योंकि भगीरथी–हुगली नदियों का प्रवाह अब गंगा के साथ नहीं चल पाता। उनका जल अनियंत्रित रहता है।

तीसरी चीज यह है कि गंगा बांध परियोजना के कारण अभी पानी में डूबी रहने वाली कुछ भमि को सुखाया जा सकेगा, और पश्चिमी बंगाल की रहने योग्य भूमि की कमी को दूर किया जा सकेगा।

इस परियोजना से फारक्का के निकट आने वाली मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है। हमें धूलियां गांव की दुर्घटना को नहीं भूलना चाहिये कि मिट्टी के कटाव के कारण १९४८ में पूरा नगर पानी में गिर गया था और आज केवल उसके तारों के खम्भे ही उसके अतिस्तत्व के द्योतक रह गये हैं। पूरा नगर जलमग्न हो चुका है। इसी प्रकार, अब मिट्टी का कटाव मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों की ओर ब रहा है। बतिस्यां की बतिस्यां जल में बैठती चली जा रही हैं। वहां के निवासी बेघरबार होते जाते हैं। फारक्का के निकट यही स्थिति है। इसका केवल एक ही इलाज है कि गंगा बांध परियोजना को कार्यान्वित किया जाये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे मिट्टी का कटाव रोकने के लिये कोई कारगर उपाय करें।

इस क्षेत्र के लोगों की आवाज बाकी देश में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये स्थान दुर्गम हैं। वे एक दशक से गंगा बांध परियोजना की आशा में आंखें बिछायें हैं। परियोजना के निर्माण के साथ-साथ, हमें कुछ फौरी उपाय भी करने चाहियें।

पश्चिमी बंगाल में भूमि की वैसी ही कमी है, ऊपर से इस मिट्टी के कटाव के कारण वह और भी घटती जा रही है। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक नहरों द्वारा संचार की सुविधा हो जायेगी। सभी क्षेत्रों को लाभ होगा।

इस परियोजना के सर्वेक्षण-प्रतिवेदन में कहा गया है कि सिंचाई की छोटी-मोटी योजनाओं से काफी सिंचाई की सुविधा हो गई है। यह तो बड़ी अच्छी है। बड़ी परियोजनाओं में अधिक समय और धन लगता है, इसलिये हमें छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। लेकिन, कभी-कभी इनको ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता। हमें इनके लिये पहले विशेषज्ञों से सलाह कर लेनी चाहिये। इन छोटी परियोजनाओं से ही हम इस प्रदेश को काफी धन्य-धान्य पूर्ण बना सकते हैं।

देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने थोड़े से काल में इस विशाल नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा होते देखकर, मन में बड़ा उत्साह होता है। त्रुटियां और गलतियां तो स्वाभाविक ही हैं। पूरे दशक में हमने काफी प्रगति की है। यह प्रगति भी अपने बल पर की गई है, और यह एक बड़ी बात है। हमें अपनी गलतियों को दूर करना चाहिये। गंगा बांध परियोजना में विलम्ब नहीं करना चाहिये। आशा है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे।

मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' (शिवपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में बड़े लम्बे समय से डिसकशन (चर्चा) चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अन्न उत्पादन के लिए जल का अपना

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

एक विशेष स्थान है। यदि बीज को पानी न मिले तो वह पृथ्वी में सूख जायेगा और हम कितनी भी आशा लगाये बैठे रहें कुछ मिल नहीं सकेगा। अस्तु देश में अन्न संकट है और उस अन्न संकट से बचने के लिए बीज को जल की आवश्यकता है। इसलिये सिंचाई विभाग का देश में अपना प्रमुख स्थान है। सिंचाई के लिए राज्य के द्वारा जितनी भी सहायता मिल सके मिलनी चाहिए, यह बात निर्विवाद है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मैं जानता हूं कि समस्या का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु मैं यह भी मानता हूं जैसा कि ऋषियों ने कहा है : "सर्वे धर्माः राज्य धर्मे प्रविष्ठाः।" जितने भी धर्म हैं वे सब राज्य के अन्तर्गत आ जाते हैं। तो यह समस्या भी प्रकारान्तर से उसके साथ मिल जाती है। यह राज्य का एक प्रकार से वैश्य कर्म है। "कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य" वैश्य कर्म स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये स्वाभाव से ही वैश्य कर्म हैं। इसलिये राज्य का यह कार्य वैश्य कर्म होता है। खेत के द्वारा अन्न का उत्पादन करना और उस अन्न उत्पादन में जो जो सहायक साधन हों उन सब को देश में बढ़ाना यह राज्य का परमावश्यक कर्तव्य है। अस्तु इसलिए यह सिंचाई का कार्य राज्यों के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है। मैं समझता हूं कि यह कहना कि इस दिशा में राज्य ने ध्यान नहीं दिया है गलत होगा। मैं जानता हूं कि अधिक अन्न उत्पादन करने की ओर हमारे राज्य का ध्यान सबसे पहले गया है और यह इसलिये गया कि राज्य को मालूम है कि अंग्रेजों ने जब यह देखा कि उनको भारतवर्ष छोड़ना पड़ेगा और स्वराज्य इन लोगों के हाथ में देना होगा तो उन्होंने हमारे सब प्रकार के कोषों को नष्ट कर दिया। उन्होंने हमारे अन्न के कोष को सड़ा दिया और समुद्र में फिकवा दिया और लोगों को भूखों मार दिया। ऐसी भयानक और विषम अवस्था में राज्य हाथ में आया तो उसको धीरे ही धीरे ऊपर उठाया जा सकता है। उस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं, बांध बनाये जा रहे हैं और इनके द्वारा सारे देश में जल पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी न होने के कारण जनता में असंतोष पैदा होता है और फिर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। मैं कहता हूं कि ये जो बांध बनाये गये हैं यह बड़ा उत्तम कार्य किया गया है और उनके द्वारा सिंचाई भी हो रही है। किन्तु इन बड़ी बड़ी योजनाओं में द्रव्य अधिक लगता है और परिणाम देर से निकलता है और जनता की मनोवृत्ति यह है कि वह इधर देती है और उधर लेना चाहती है। उसे पता नहीं कि कब बांध बनेगा, कब नहरें निकलेंगी और फिर कब पानी सिंचाई के लिए आयेगा। इस समय मुझे एक देहाती कहावत याद आती है : "कब मरेगी सासु और कब आयेंगे आंसू।" न जाने कब सासु मरेगी और हम कब उसके लिए बैठ कर रोयेंगे। कब यह बांध बनेंगे, कब नहरें निकलेंगी और कब पानी आयेगा। बूढा आदमी तो कहता है कि हम तो ऐसे ही मर जायेंगे, तुम्हारे समय में जो हो सो तुम देखना।

जो पार्टी आज देश में शासन करती है उसने जनता को बड़े-बड़े आश्वासन दिये हैं, और आश्वासन देने पड़ते हैं यह मैं जानता हूं। लेकिन वे आश्वासन पूरे नहीं हो रहे हैं। रामराज्य का नारा लगाया गया और कहा गया कि देश में घी और दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन आज लोगों को अपनी फसल के लिये पानी तक नहीं मिल रहा है और उनके गले सूख रहे हैं। घी और दूध की नदियां तो बहेंगी, तब बहेंगी आज तो उनकी फसलें सुख रही हैं। आज यह स्थिति हो गयी है, इसलिए आज सिंचाई को इतना महत्व दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी बड़ी योजनायें जो चलायी जा रही हैं उनके साथ साथ छोटी छोटी योजनायें भी चलाते रहना चाहिए। हमको ऐसा काम भी करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा दैनिक काम भी चलता रहे। जब हम ज्यादा उन्नति कर लेंगे तो संसार में हमारा क्या स्थान होगा इसकी योजना भी हम अपने मस्तिष्क में रखें लेकिन इस बीच हमारा

दैनिक काम ही कहीं बन्द न हो जाये इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये । आप को जानना चाहिये कि देश के किन-किन भागों में किस-किस प्रकार की योजनायें सफल हो सकती हैं, उन भागों में वैसी ही योजनायें लागू की जानी चाहिएं । भारतवर्ष में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनकी भूमि समतल है, वहां तो नहरों से काम चल सकता है और नदियों को बांधने से काम चल सकता है । लेकिन जो प्रान्त पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ हैं, जहां बड़े-बड़े पहाड़ हैं, वहां पर नदियों को बांध कर नहरें निकालने की कल्पना करना भी व्यर्थ है । वहां तो सबसे आवश्यक यह होगा कि थोड़ी थोड़ी भूमि में पानी को रोक कर पानी का प्रबन्ध किया जाये या कहीं कहीं छोटे-छोटे सागर बना कर पानी दिया जाये या खेतों में ही छोटे-छोटे बांध बना कर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये । मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । वहां बहुत बड़े इलाके में नहरें नहीं पहुंचायी जा सकतीं चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाये । कुछ तो वहां भूमि ही ऐसी है कि उसमें पानी नीचे चला जाता है और दूसरी तरफ निकल जाता है, कुछ ऐसा पर्वतीय इलाका है कि जहां नहरें ही नहीं जा सकतीं और जब वहां इस प्रकार की योजनायें बनाई जाती हैं तो लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता । वहां पर गांधी सागर बना कर पानी पहुंचाने की योजना है । मैं तो कहता हूं कि कभी-कभी शासन आंख मूंद कर बैठ जाता है । धृतराष्ट्र तो अन्धा ही था किन्तु हमारी सरकार तो कभी-कभी बहरी और अन्धी दोनों ही हो जाती है । इस योजना के सिलसिले में लक्ष लक्ष रुपया लग गया और वहां पर बांध बनाने की तैयारी हो गई । लेकिन तभी एक इंजिनियर साहब वहां पहुंचे और उन्होंने भूमि का शोधन करके यह निर्णय दिया कि यहां तो बांध बन ही नहीं सकता । इस प्रकार जो भूमि बांध के लिये खोजी गई थी उस पर जो लाखों रुपया खर्च हुआ वह व्यर्थ गया । जनता इसी के लिए रोती है और कहती है कि क्या सरकार के पास तने भी साधन नहीं है कि पहले निश्चय कर ले कि वहां बांध बनाना ठीक होगा और इसका सही सही निर्णय कर सके । पहले हमारा पैसा लगा दिया जाता है और फिर कह देते हैं कि यहां बांध नहीं बन सकता । इस प्रकार जब पैसे का दुरुपयोग होता है तो जनता को दुःख होता है । वैसे ही हमारे पास पैसा नहीं है । कभी हमारे यहां फ्लड्स (बाढ़े) आते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है कभी अनावृष्टि होता है । इस प्रकार एक ओर भगवान हमसे नाराज है और उधर पैसा इस प्रकार खर्च हो जाता है और कोई काम नहीं होता, तो ऐसी दशा में अगर लोग हाय हाय करें तो क्या आश्चर्य है ? आज देश में ऐसी ही स्थिति है । तो मैं तो हाउस के सामने यह बता रखना चाहता हूं कि न बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ छोटी-छोटी योजनाओं को भी चलाना चाहिए । जितने अधिक स्थानों पर हम कुं बना सकें और उनसे पानी दे सकें वह हमें देना चाहिए । मैं तो कुवों के लिये विशेष प्रार्थना करूंगा ।

गांधी जी ने हमारे देश में सत्य और अहिंसा का नारा लगाया था । हमको इन सिद्धान्तों या सबसे पहले घर वालों के साथ प्रयोग करना चाहिये था । लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरे के प्रति हम सत्य और अहिंसा का व्यवहार करते हैं लेकिन अपने घरवालों को मारते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं । यह उलटा कार्य यहां हो रहा है । होना तो यह चाहिए था कि अपने घर वालों को जो वचन हम दें उसका ईमानदारी से पालन करें । आज देश में सबसे बड़ी समस्या छोटे छोटे काम चलाने के लिए बैलों की है । हमको बैलों की आवश्यकता है । आज जिस दल का शासन है उसने अपने लिये बैलों का सिम्बल (चिन्ह) चुना था । बैल को तो सिम्बल चुना परन्तु देश में गाय की, जिससे बैल पैदा होता है, हत्या हो रही है । गाय की हत्या और बैल की छाप यह तो ऐसी बात है कि जैसे कोई किसी छोटे बच्चे की मां को तो मार दे और फिर उस बच्चे को लेकर भीख मांगे कि इसके लिए खाने को दो । यही हाल हमको आज देश में दिखाई दे रहा है कि गाय की तो हत्या की जाती है और बैल की छाप लगाई हुई है । जब जनता को ऐसे ऐसे जिम्मेदार आदमी धोखा देते हों तो उसको कैसे विश्वास हो सकता है कि जो योजना बनाई जा रही है वह सफल होगी। इस अवस्था में तो सन्देह पैदा होना है । इससे कैरेक्टर (चरित्र) को भी धक्का लगना है और लोग सोचते हैं कि आजकल

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

तो झूठ बोलने से ही काम चलता है क्योंकि बड़े बड़े लोग तक ऐसा कर रहे हैं। घर बैल मिल नहीं रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, लोगों के पास अपने रहट चलाने को बैल नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि जब गांधी सागर से पानी आ ेगा तब आवेगा, अभी हमको अपना रेहट चलाने के लिए बैल तो मिलें। लेकिन बैल महंगे हो रहे हैं। इधर स्थिति यह है कि कुछ आदमियों ने सरकार का रुपया खाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जल कष्ट निवारण के नाम पर सरकार से पैसा ले रहे हैं। मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है कि जल कष्ट निवारण का पैसा ले लिया लेकिन ऐसी जगह के लिए लिया गया जहां पर न कोई आदमी रहता है और जिस जगह के पास ही एक नाला बह रहा है। तो इस तरह से हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है और जहां उसका उपयोग होना चाहिये वहां नहीं हो रहा है। इस कारण हमको पानी मिलता नहीं। यह स्थिति हमारे यहां आज हो रही है।

उधर प्रान्तों का यह हाल है कि वे केन्द्र से पसा खींचना चाहते हैं। वे अपने यहां कुछ पैदा नहीं करते हैं और सदा केन्द्र से मांगते रहते हैं। उन्होंने यह पालिसी (नीति) बना ली है कि वे हर अवसर पर केन्द्र को कह देते हैं कि पैसा लाइये, फिर हम अमुक काम चलायेंगे। केन्द्र को एक प्रकार का बांध बना लिया गया है और प्रान्त नहरें बन गई हैं। हम तो कहते हैं कि इस से उलटा होना चाहिए। प्रान्त केन्द्र को पैसा दें और केन्द्र शक्तिशाली बन कर बैठे और ऊपर से सब काम चलाए। अगर प्रान्त केन्द्र से पैसा न लें, तभी मैं समझूंगा कि मेरा राज्य मजबूत हुआ है। आज तो स्थिति यह है कि प्रान्त केन्द्र को खा रहे हैं और अपना बजट घाटे का बनाते हैं। वहां इस समय उत्पत्ति का कोई मार्ग नहीं है। ऊपर से लेते रहना ही उन का तरीका बन गया है। मैं चाहता हूं कि प्रान्तों पर केन्द्र का जोर पड़ना चाहिये कि वे स्वयं आत्म निर्भर हों नीचे का कार्य वे करें और ऊपर का कार्य केन्द्र देखेगा। प्रश्न तो यह है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? केन्द्र कब तक टैक्स लगायेगा? जब जनता के पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब केन्द्र वहां से प्रान्तों को पैसा देगा? इधर पार्टी और राज्य अप्रिय होते जा रहे हैं, उधर प्रान्त खींचे चले जा रहे हैं। उधर मुद्रा स्फीति तंग कर रही है। कोष में पैसा नहीं है। विदेशी मुद्रा का झगड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है। शक्कर बाहर भेजने के लिए हमारे पास नहीं है। आज इस देश में गायें जो काटी जा रही हैं, उस का कारण भी यही है कि उन के चमड़े, हड्डी, आंतों और पसली इत्यादि बाहर भेज कर किसी प्रकार विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। यह कितने दुख की बात है कि जो पशु हम को दूध, चमड़ा और खाद देते हैं, हम उन्हीं की हत्या करते हैं। क्या हमारे सत्य और अहिंसा के नारे का यही अर्थ है? क्या बापू ने हम को यही सिखाया था? गांधीजी ने हमको यह बताया था कि अगर राज्य को अच्छा बनाना है, तो हम को सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण करना होगा और सत्य और अहिंसा पर अपने आप को आधारित करना होगा। आज हम बड़ी बड़ी पाश्चात्यीय योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं—में मानता हूं कि उन्हें भी हम को लेना होगा, लेकिन हमारा अपना जो प्रकार है, वह भी हमारे साथ रहे, उस का हम पूर्णतया परित्याग न कर दें, इस का हमें घ्यान रखना होगा। हम को अपनापन भी बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए। समय के साथ भी हम स्ट्रगल (संघर्ष) करने के लिए तैयार हैं। जहां तक समय के साथ चलने का प्रश्न है, हमारे यहां बांध और बड़ी बड़ी योजनायें होनी चाहियें और छोटी योजनाओं के अन्तर्गत पशुवध-गऊ हत्या-बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिए। मैं सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भी इस विषय में जोर देना चाहिए। इस हाउस से भी मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ठीक है, एक पालिसी बनी हुई है, किसी कारण से वह चलाई जा रही है, लेकिन उन को फिर भी इस सम्बन्ध में जोर देना चाहिये, चुप नहीं हो जाना चाहिये मुझे यह देख कर दुख हुआ कि कृषि के ऊपर बोलते हुए सेठ गोविन्द दास को छोड़ कर—और उन को मैं धन्यवाद देता हूं—किसी भी माननीय सदस्य ने इस पर जोर नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि यह तो कृतघ्नता है, हम को अपने घर में अपनी बात कहनी चाहिए।

अन्त में मैं जो बात कहना चहाता हूं, उस का सम्बन्ध राजनीति से है। पाकिस्तान ने पानी ले सूने, आंख दिखाने और पैसा न देने का जो धन्धा पकड़ रखा है, उस को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिये। वह हम से पानी लें लेता है और उस का पैसा हम को देता नहीं है और इस पर भी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रापेगेंडा करता है, प्रचार करता है। क्या हम में बिल्कुल पानी नहीं रह गया है ? क्या हम यह सब देखते रहेंगे ? हमारा कहना यह है कि सरकार को इस सम्बन्ध में जोर का क़दम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि उस की यह नीति अब नहीं चल सकती है। आज हमारे यहां पाटिल साहब बैठे हुए हैं। एक बार सरदार पटेल ने कहा था कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जायेगा। वह पाकिस्तान को मिला नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि हिन्दुस्तान वाले सिर्फ कहते ही हैं, करते नहीं हैं, इस लिए उस का साहस बढ़ रहा है। इस लिए इस पानी के मामले पर हम को बता देना चाहिए कि हम पानी में पानी है, तुम पानी लो और उस का पैसा न दो, ऐसा नहीं हो सकता है और हम भूखे मरने के लिए तैयार नहीं हैं। इस विषय में मंत्री महोदय ने जो कहा है कि उन्हें उस पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना चाहिए और पाकिस्तान को इस प्रकार से पानी का दुरुपयोग करने का अवसर न दे कर अपने देश के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये और जिस प्रान्त को जितने जल की आवश्यकता हो, उसे वह पहुंचाना चाहिए।

साथ ही मेरी यह भी प्रार्थना है कि देश में जो पूज्यनीय विचार हैं, अगर उन को ध्यान में रखा जायगा, तो इस समय जो बड़े-बड़े फ्लड्ज आते हैं, उनको भी रोका जा सकेगा। हमारे यहां सोचने का यह भी तरीका है हर एक बात के तीन उपाय हैं—आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक। आज हम जो बांध, नहरें इत्यादि बना रहे हैं, वह तो आदिभौतिक तरीका है। परन्तु यदि हम ने बांध बनाया, नहरें बनाईं, लोगों को पानी दिया, बीज दिए, सब सुविधाएं दीं और उस के पश्चात् ऊपर से जोर से ओला गिरे या जोर से पानी गिरे, तब क्या होगा ?

पंडित गोविन्द मालवीय (सुल्तानपुर) : अगर खेत सींचा रहता है और उस में पानी है और ऊपर से ओला पड़ता है, तब उतना नुकसान नहीं होता है, जितना कि सूखा रहने से, सिंचाई का प्रबन्ध न होने से, होता है।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : अगर खेत गीला है और रोली लग गई या और कुछ हो गया, तब क्या होगा ? ये दैवी प्रकोप हैं।

"अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानान्तु व्यतिक्रम :
त्रीणि तत्राणि जायन्ते, रोगम् दुर्भिक्षं विप्लवम् ।।"

इन दैवी प्रकोपों और विपत्तियों को रोकने के लिए हम को दैवी आधार लेना होगा और उस का एक रूप यह है कि जो हमारा कल्याण करे, हम भी उस का कल्याण करें। धर्म को जाने दीजिए। गाय हमारा कल्याण करती है। वह हम को दूध, घी, खाद, चमड़ा देती है, इस लिए हम को भी उस पर अपने प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम उस की हत्या तो बन्द कर ही देनी चाहिए। पाकिस्तान ने गोवध बन्द कर दिया है, तो फिर भारत की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है ? उस को तो पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था। आदि भौतिक उपाय तो हम कर ही रहे हैं। इस प्रकार आदिदैविक उपाय कर के हम दैवी विपत्तियों को भी रोक सकेंगे।

†**श्री संगण्णा** (कोरापुट-रक्षित-अनुसूचि-आदिम जातियां) : प्रथम पंचवर्षीय योजना म सिंचाई और विद्युत् के लिये कुल ५६९ करोड़ रुपये रखे गये थे। उसमें बड़ी-बड़ी भाखड़ा-नंगल और दामोदर घाटी जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री संगण्णा]

लेकिन, द्वितीय योजना में हमने जल-संसाधनों का सही-सही प्राक्कलन नहीं किया है। आदिमजाति क्षेत्रों की दूरस्थ नदियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। हो सकता है कि यह वहां की जानकारी के अभाव के कारण हो।

उड़ीसा में तो कई बड़ी-बड़ी नदियां और वनीय धारायें हैं जिनका उपयोग नहीं होता। कोरापुत जिले में इरावती जैसी नदी का पानी व्यर्थ जा रहा है। उससे नदी के निकटवर्ती स्थानों को लाभ हो सकता था।

उस प्रदेश में अधिकतर पर्वतीय आदिम जातियां रहती हैं। सरकार उनके सुधार के लिये हर वर्ष लाखों रुपये मंजूर करती है। लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण, उनका सद् उपयोग नहीं हो पाता। उस भूमि में खाद्य उपजाया जा सकता है। अभी भी, सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में भी, कोरापुत जिले में वहां की आवश्यकता से अधिक अन्न होता है। उन जातियों की आर्थिक दशा वहां की नदियों की सिंचाई आदि की सम्भावनाओं का सद्उपयोग करके ही सुधारा जा सकता है।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में सरकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिये सिलेरू और सावेरी नदियों का पूरा-पूरा उपयोग करना आवश्यक है। अन्यथा वह सफल नहीं होगी। इन नदियों का समूचे निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापि हो सकती है।

मचकुन्ड परियोजना से ये दोनों नदियां मिल पायेंगी, फिर इनके साथ इरावती नदी के भी उपयोग से उस क्षेत्र में अन्न का उत्पादन बहुत बढ़ाया जा सकता है।

वित्त के अभाव के कारण, उड़ीसा और आंध्र की सरकारें झांझरवती नदी को सिंचाई के काम में नहीं ले पाती। उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। उसका बहुत सा पानी समुद्र में व्यर्थ बह जाता है।

अब विद्युत को लीजिये। इसके लिये वहां दो बहु-प्रयोजनीय परियोजनायें ह—मचकुण्ड और हीराकुण्ड। कोरापुत जिले की बगरा नदी को भी विद्युत तैयार करने के लिये उपयुक्त किया जा सकता है। सरकार का ध्यान उसकी ओर नहीं गया हैं। उसके लिये सरकार को धन की आवश्यकता है।

उस क्षेत्र में उद्योग न होने के कारण, राज्य सरकार वहां की विद्युत की वर्तमान क्षमता का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाती। उसे उद्योग खड़े करने के लिए सहायता दी जानी चाहिये।

मचकुण्ड परियोजना से सारे उड़ीसा को विद्युत् मिल सकती है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों को। लेकिन विवित्त की कमी के कारण, उड़ीसा सरकार १६५५ से अब तक उसका उपयोग नहीं कर सकी है। उसे वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

ये दो योजनायें ही पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जा रही हैं, लेकिन वहां इन से पूरा नहीं पड़ेगा। राज्य को अधिक विद्युत् चाहिये। इसके लिये भारत सरकार की सहायता चाहिये।

१६५५ में, उड़ीसा में बाढ़ों के कारण भीषण क्षति हुई थी।

हीराकुण्ड बांध के अन्तर्गत तीन बांध हैं। हीराकुण्ड तो बन चुका है, लेकिन अभी टिकरापाड़ा और नाराज के दो बांध बनने हैं। मंत्रालय ने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके पूरे न होने पर, हम हीराकुण्ड की ही सहायता से उड़ीसा को बाढ़ों के प्रकोप से नहीं बचा सकेंगे।

राज्य सरकार के पास सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय साधन नहीं हैं। बिना भारत सरकार की सहायता के उन योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सकेगा।

भारत सरकार को इन सभी के लिये उड़ीसा सरकार की वित्तीय सहायता करनी चाहिये।

मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ू० चं० जैन (कैथल) जनाब डिप्टी स्पीकर साहब जल तथा पृथ्वी के साधनों का मुनासिब विकास और फिर उनका मुनासिब इस्तेमाल हो ये दोनों बातें चीज़ को देखना किसी भी देश के हित के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिये इस प्रोग्राम को हमारी दोनों पंचवर्षीय योजना योजनाओं में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इन साधनों का हमारी इस मिनिस्ट्री पर (मंत्रालय) ने मुनासिब ढंग से विकास किया है या नहीं, कौनसी कसौटी पर हम अपनी मिनिस्ट्री की कार्यवाहियों को परखें, यह दखन की बात है। अगर इन साधनों का ठीक विकास हुआ है और विकास होने के बाद उनकी ठीक तरह स तकसीम हुई है और फिर उनका ठीक इस्तैमाल होता है तो हमारी यह मिनिस्ट्री बधाई की पात्र है।

जहां तक वाटर और लेंड (जल और भूमि) और खास तौर से वाटर के साधनों के डिवेलपमेंट का ताल्लुक है, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारी मिनिस्ट्री ने शानदार काम किया है और देश के मुख्तलिफ हिस्सों में कई बड़ी बड़ी योजनायें शुरू की हैं और कुछ तो पूरी भी हो गई हैं और बाकी पूरी होने जा रही हैं। इस हाउस में इन बड़ी बड़ी योजनाओं का काफी ज़िक्र किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया गया है। ये वे योजनायें हैं जिन के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वे हमारे इस ज़माने के मन्दिर हैं।

जहां तक इन बड़ी बड़ी योजनाओं की कामयाबी का ताल्लुक है, इनके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हमें यह देखना चाहिये कि आया वे इकोनोमिकली एक्सीक्यूट (मितव्ययता से) की जा रही हैं या नहीं, वहां पर कोरप्शन (भ्रष्टाचार) तो नहीं है, उनका जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है, क्या वह मुनासिब कीमत पर पहुंचाया जा रहा है, उनको जो पानी मिल रहा है, क्या वह मुनासिब कीमत पर दिया जा रहा है :

जब इन प्राजैक्ट्स (परियोजनाओं) को शुरू किया गया था, उस वक्त इनमें बहुत वेस्टेज (अपव्यय) थी, बहुत कोरप्शन थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे जैसे हमें तजुर्बा हासिल होता गया, तो यह मानना पड़ेगा कि बहुत सी कोरप्शन और वेस्टेज कम हो गई। जिस जिस हद तक यह कोरप्शन और वस्टेज कम हुई है उस उस हद तक मैं मिनिस्ट्री को बधाई देता हूं और उसके साथ ही साथ मिनिस्टर साहब को भी बधाई देता हूं। यह बात नहीं है कि कोरप्शन बिल्कुल खत्म हो गई है या वेस्टेज बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी तक भी ये चल रही है और इन दो फील्डस (क्षेत्रों) में काफी सुधार की गुंजाइश है।

इन फायदों को, जो कि इन प्राजैक्ट्स से हो रहे हैं, आप जनता को किस कीमत पर पहुंचा रहे हैं, इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं और मिनिस्टर साहब का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक बैटरमेंट लेवी (सुधार शुल्क) का ताल्लुक है, इस हाउस में कई मैम्बर साहिबान मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिला चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो दर बैटरमेंट लेवी की मुकर्रर हुई है, वह बहुत ज्यादा है। मैं आपके सामने इस सिलसिले में पंजाब का ज़िक्र करना चाहता हूं। पंजाब में भाखड़ा डैम जो बन रहा है, वह एक बहुत शानदार प्राजैक्ट है और यह प्राजैक्ट ऐसा खयाल किया जाता है, कि दो तीन बरस में मुकम्मिकल हो जाएगा। लेकिन भाखड़ा डैम की नहरों से जो ज़मीन सैराब होगी, उस ज़मीन के मालिकों पर बड़ा भारी वैटरमेंट लेवी लगाया जा रहा है। जो रेट फिक्स किया गया है वह १८० रुपया पर एकड़ है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत से इलाकों में उस कीमत पर ज़मीन ही मिल सकती है। अभी इसकी वसूली वहां पर नहीं हुई और जब वह वसूली होगी तो

[श्री म० चं० जैन]

आपको पता चलेगा कि उसके खिलाफ वहां पर कितनी रिजेंटमेंट (क्षोभ) होती है। जो फायदा आपने वहां की जनता को पहुंचाया है उसके लिए तो वह आपकी शुकरगुज़ार है लेकिन जो रेट आपने फिक्स किया है वह बहुत ही ज्यादा है।

दूसरी कसौटी जिस पर मैं इस मिनिस्ट्री को परखना चाहता हूं वह यह है कि जैसे जैसे ये साधन डिवेलेप (विकसित) होते जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) कैसे किया जाता है। भाखड़ा डैम के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का ही सवाल ले लीजिये। आनरेबल मिनिस्टर साहब जानते होंगे कि यह भाखड़ा डैम खास तौर से हरियाना के खुश्क इलाके को सैराब करने के लिए बनाया जा रहा है। यह स्कीम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से चली आ रही है। सन् १९४६ के अन्दर इसको अमल में लाना शुरू किया गया। आज़ादी मिलने के बाद इसको बढ़ाया गया है और बांध की ऊंचाई को और ऊंचा किया गया है। लेकिन अब सवाल इसके पानी की तकसीम का पैदा होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हरियाना के किस किस जिले को पानी दिया जाए और हरियाना के अलावा आया पटियाले के इलाके का भी हक़ है, जालंधर डिवीज़न के इलाके का भी इसमें हक़ है या और किसी इलाके का भी हक है। मैंने आपकी मिनिस्ट्री की १९५६–५७ की रिपोर्ट पढ़ी है और इसको पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगा है कि आपका ध्यान इस ओर नहीं है। डिवेलेप्ड रिसोर्सिस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस किस एरिया को कितना हिस्सा मिले, यह काम गालिबन आपने स्टेट गवर्नमेंटस पर छोड़ रखा है। स्टेट गवर्नमेंटस इंसाफ करती हैं या नहीं, कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इस सिलसिले में हमारी सैंट्रल मिनिस्टरी का ध्यान नहीं है। मैं उस बैकवर्ड एरिया (पिछड़े क्षेत्र) से, उस अंडर-डवेलेप्ड एरिया (कम विकसित क्षेत्र) से ताल्लुक रखता हूं जहां के लोग कि पानी के लिए तड़पते रहते हैं, और तड़प रहे हैं। रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव इत्यादि इलाकों के लोग हमेशा ही पानी के लिए तड़पते रहे हैं और इसके बरखिलाफ एक वह इलाका है जिस इलाके कि ६०–७० फीसदी एरिया को पानी मिलता रहा है। हमारे इलाके में मुश्किल से १०–२५ परसेंट ज़मीन को ही पानी मिलता है। अब भाखड़ा की नहरें बनी हैं लेकिन फिर उस इलाके को पानी मिल गया है जहां ६०–७० परसेंट ज़मीन को पहले ही मिल रहा था और उस इलाके के बहुत से ज़िले महरूम रह गए हैं जिन को कोई पानी नहीं मिल रहा था। यह कहां का इंसाफ है, यह मैं पूछना चाहता हूं। अगर कहीं बेइंसाफी होती है तो इसका कारण, मैं समझता हूं, यह होता है कि पानी को तकसीम में हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं लेती है या उतनी दिलचस्पी नहीं लेती है जितनी कि उसको लेनी चाहिये। इसी तरह से बिजली का सवाल है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली में बिजली की बड़ी कमी है। बड़ी अजीब बात है कि दिल्ली में बिजली की कमी हो गई है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो बिजली भाखड़ा मंगल से पैदा की जाती है उसकी तकसीम कैसे हो। अगर दिल्ली में बिजली की कमी है तो दिल्ली के लिए बिजली का इन्तिज़ाम आप करें। लेकिन जो बिजली भाखड़ा से पैदा होती है और जिसकी बहुत सख्त जरूरत पंजाब के उन इलाकों में है जिन इलाकों में कि पहले कभी बिजली नहीं दी गई है, उनको पहले दी जानी चाहिए। आपने २०,००० किलोवाट बिजली दिल्ली को दी और अब ४०–५० हज़ार किलोवाट और बिजली देने की मांग की जा रही है। आज हरियाना के रोहतक, करनाल, हिसार, गुड़गांव इत्यादि जिलों को इंडस्ट्रीज (उद्योगों) के लिए, कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) के लिए, देहाती इलाकों के लिए बिजली की आवश्यकता है और बिजली के लिए वे लोग तड़प रहे हैं। उन इलाकों को पहले कभी बिजली नहीं दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि वाटर एंड पावर रिसोर्सिस को जो हम डिवलप कर रहे हैं, अगर इनकी तक्सीम मुनासिब ढंग से नहीं की जाएगी, तो यह एक बहुत गलत बात होगी। इससे जो रिजेंटमेंट पैदा होगी उसका आप आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वैसे हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह एक बेसिक उसूल है कि जहां हमने अपने साधनों का विकास करना है,

जहां हमने अपने रिसोर्सिस को, डिवेलेप करना है, वहां इन साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी ढंग) पर करना है। जो इलाके बैकवर्ड हैं, जो इलाके अंडर-डिवेलेप्ड हैं, उन इलाकों की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो पहले ही से डिवेलेप्ड हैं, उनकी ओर हमें कम ध्यान देना है। जैसा कि यह रिपोर्ट ज़ाहिर करती है अगर सैंट्रल मिनिस्टरी इस ओर ध्यान नहीं करती तो फिर वे रिसोर्सिस गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और डिसकंटेंटमेंट (असंतोष) बढ़ेगी। जैसा पंडित ठाकुर दास जी ने कहा और एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि उन इलाकों की जो कि हिरयाना में हैं तादाद काफी है जिन को कि भाखड़ा डैम की नहरों से पानी नहीं मिल रहा है। गुड़गांव का सारा जिला है, झझर की तहसील है, करनाल का इलाका है, पानीपत और करनाल की तहसीलें हैं जहां पानी की इंटेंसिटी मुश्किल से २०—२५ फीसदी होगी। ऐसी हालत में हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन इलाकों का सुधार हो। इनकी ज़मीनें ज़रखेज़ हों और यहां का उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। अगर इन इलाकों को पानी दिया जाए और मैं समझता हूं कि दिया जा सकता है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि पंजाब का यह इलाका सारे हिन्दुस्तान की ग्रेनरी न बन जाए। मैं इस बात को मानता हूं कि हरियाना के इलाके में से २५ लाख एकड़ एरिया को पानी मिलेगा, १८ लाख एकड़ ज़मीन को हिसार में और ६ लाख उस इलाके को जहां से कि मैं चुना गया हूं यानी कैथल को। इनके अलावा हरियाना के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर कि पानी की बहुत कमी है और उनको पानी दिया जाना चाहिए।

इस सिलसिले में मैं एक सजैशन (सुझाव) माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। आपने सतलुज पर भाखड़ा का बांध तो बना दिया और उससे मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे बाकी इलाके को पानी दिया जा सकता है लेकिन अगर वहां से पानी नहीं दिया जा सकता तो जल्दी से जल्दी जमना पर बांध बांधा जा सकता है। इसका फायदा यह भी होगा कि जो हर साल सैलाब आते हैं और जिनसे दिल्ली और पिछले इलाके भी परेशान रहते हैं, हमारे करनाल, रोहतक, इत्यादि के जिले पानी के अभाव में परेशान हैं, उनसे निजात मिल जाएगा और पानी का भी एक बड़ा भारी स्टोरेज होगा जिससे हमारा सारा इलाका सैराब होगा और उत्तर प्रदेश के इलाके को भी फायदा पहुंचेगा और वहां के कुछ जिले भी सैराब हो सकेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बांध के बनाने का ज़िक्र तो नहीं आया है और न इसका सर्वे हो रहा है लेकिन अगर इस पर गौर कर लिया जाए तो मैं समझता हूं यह एक अच्छी बात होगी। बहुत बार इसका ज़िक्र आया है कि जहां जमना नदी मैदान में दाखिल होती है वहां बांध बांधा जाये। इस प्रोजैक्ट पर जल्दी काम शुरू किया जाये।

तीसरी कसौटी जिस पर मैं इस मिनिस्टरी के कामों को परखना चाहता हूं वह यह है कि आया जो रिसोर्सिस उपलब्ध किए गए हैं, उनका इस्तेमाल भी ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सिलसिले में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रिसोर्सिस उपलब्ध किए गए हैं उनमें से केवल ३० प्रतिशत का ही इस्तेमाल हुआ है। यह बड़े अफ़सोस की बात है। वे कौन से कारण हैं कि जिन के होते हुए जब पानी उपलब्ध कर दिया गया है तो उसका केवल ३० प्रतिशत ही इस्तेमाल में आया है और क्यों बाकी पानी का वे इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेस डेवलप हुए उन में से ३० फ़ीसदी का इस्तमाल हो, ४० फ़ीसदी का इस्तेमाल हो या ५० फ़ीसदी का इस्तेमाल हो तो ऐसी बात क्यों हो। अगर सन् १९५६-५७ की रिपोर्ट को देखें तो आप पायेंगे कि मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ के डेवलप करने के रास्ते में जो जो कठिनाइयां आईं उनका इंतज़ाम करने की बात सोची गई लेकिन उन रिसोसज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें और कैसे उनका युटिलाइज़ेशन (उपयोग) करें, इस की ओर खयाल नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो रहा है, वह अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री मू० चं० ैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ३, ४ मिनट समय और लूंगा और उस बीच में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। ४ बजे के पहले मैं खत्म कर दूंगा जबकि मिनिस्टर साहब को आप बुलायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ४ बजे तो मुझे एक और माननीय सदस्य को बुलाना है।

श्री मू० चं० जैन : मुझे बोलते हुए अभी केवल १० ही मिनट हुए हैं, ३.४५ पर मैंने बोलना शुरू किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको तो छोड़िये, आपने ३·४५ पर नहीं बल्कि ३–४३ से बोलना शुरू किया था।

श्री मू० चं० जैन : खैर, जैसी आपकी आज्ञा हो। हां तो मैं कह रहा था कि इन रिसोर्सिज़ का इस्तेमाल और युटिलाइज़ेशन क्यों कम हो रहा है और उसकी वजह यह है जैसा कि कल हमारे दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतलाया था कि किस तरीक़े से एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर्स और जो नहर के महकमे के दूसरे ज़िम्मेदार अफ़सरान हैं उनके पास इस बात का रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधान) पहुंचता है कि फलां channel (नहर) पर सिल्ट (साद) आ गया है या कोई पुराने रजवहों की मरम्मत चाहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता था कि जब तक नहर के अफ़सरान को रिश्वत न दो और खुश न करो तब तक काम नहीं होता था, वही चीज़ आज भी मौजूद है और जब तक कि कैनाल डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों की मुट्ठी गरम न की जाय तब तक उनका काम नहीं किया जाता।

यहां सवाल उठता है कि 'ग्रो मोर फूड' "अधिक अन्न उपजाओ" किया जाये क्योंकि हमारे देश को काफी गल्ले की ज़रूरत है। मसूरी में कान्फ्रेंस की जाती है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि कम्युनिटी प्राजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) का सारा ध्यान 'ग्रो मोर फुड' की ओर हो, जल्दी से जल्दी मुकम्मिल करे ताकि हमारे देश का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़े। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह सब बातें सिर्फ रिपोर्टस और कान्फ्रेंसेज़ तक ही सीमित रह जायेंगी अगर हमारे मुल्क के अफ़सरान का रवैय्या नहीं बदला और उन्होंने वही ब्यूरोक्रेटिक रवैय्या बनाये रक्खा जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में होता था। आज हम देखते हैं कि हमारे काश्तकार परेशान होकर काफ़ी अर्से तक इधर से उधर घूमते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और उनके आउटलेट्स (पानी की नालियां) ठीक नहीं किये जाते। वे कहते हैं कि आपने जो आउटलेट लगाया है वह नीची लेविल पर है और हमारा खेत ऊंचे पर है या गलत जगह पर लगा है इसलिए उसको वहाँ से हटा कर सही जगह पर लगाया जाय लेकिन उसकी कोई पर्वाह नहीं की जाती है। मैं चाहता हूं कि जहां इस रिपोर्ट में ज़िक्र आया है कि हमने अपने अफ़सरों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए यह किया वहां कोई ऐसी भी व्यवस्था हो जिससे इन अफ़सरों को अपना पुराना बुडेन और ब्यूरोक्रेटिक (नौकरशाहाना) रवैय्या बदलने की ट्रेनिंग दी जाये। इन नहर के महकमे के अफ़सरान के लिये रिफ्रशर कोर्स आदि होना चाहिए ताकि वे सेवा की भावना से ओत प्रोत होकर जहां भी जनता को कठिनाई हो और जहां वे कुछ तबदीली चाहते हों, उसको दूर कर सकें और स्वयं जाकर उनकी शिकायतों को रफ़ा कर सकें। मैं चाहता हूं कि रिसोर्सिज़ के डिस्ट्रिब्यूशन और उनके प्रोपर (उचित) युटिलाइज़ेशन का इंतज़ाम किया जाये। इस ओर सेन्ट्रल मिनिस्ट्री का ध्यान बहुत ही कम है।

फ्लड्स के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकूंगा क्योंकि मेरा टाईम हो गया है। नज़फ़गढ़ की झील का ताल्लुक़ हमारे रोहतक और करनाल के ज़िलों से भी है। उस झील और नाले में सिल्ट होने से यहां दिल्ली के देहातों को तो नुकसान होता ही है बल्कि उसमें सिल्ट हो जाने के कारण रोहतक और करनाल के ज़िलों में बरसात के मौसम में फ्लड आ जाता है और मैं चाहता हूं कि इसकी ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाये।

श्री पद्म देव (चम्बा): उपाध्यक्ष महोदय, इस दस साल की स्वतन्त्रता के अर्से में अपने देश के नेताओं ने देश को आगे ले जाने में जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है। इतने बड़े काम में कहीं न कहीं पर कुछ कमियां रह ही जाती हैं और यह सही है कि उनकी ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिए और ध्यान दिलाया जाता है और हर एक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित भी हो जाता है और यथासम्भव उन खामियों को दूर करने की कोशिश की भी जाती है क्योंकि अगर ऐसा न किया गया और उस इलाक़े के लोगों की शिकायत दूर न की गई तो उस क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों का चुनाव खतरे में पड़ने का डर हो जाता है और बदनामी तो सब जगह हो ही जाती है और इसलिए वहां के लिए कुछ न कुछ होता ही रहता है और काफ़ी हो भी रहा है लेकिन यह बात हर जगह के लिए नहीं कही जा सकती। जो इलाक़े पिछड़े हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती प्रान्त या इसी तरह के दूसरे इलाक़े जो कि सड़कों से दूर, लीडरों से दूर और हमारे विशेषज्ञों से दूर हैं, वहां पर अभी बहुत कुछ करने को है। मैं कृतघ्न तो नहीं हूं यह कहूं कि बिल्कुल वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा है लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा वहां पर बहुत कम काम हुआ है। अगर भारत सरकार की नीति यह है कि देश को समान रूप से साथ साथ आगे ले जाना है और उससे यह समझा जाय कि जो लंगड़ा है और जिसकी दो टांगें हैं दोनों को समान रूप से बढ़ाना है तब तो जो वह समानता लाना चाहती है वह नहीं आ सकेगी क्योंकि अगर इस तरह से सबको बराबर नाप तोल करके विकास किया गया तो जो पीछे हैं और लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं वे कभी तेज़ चलने वालों के बराबर नहीं आ सकेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि जो आगे हैं वह और आगे चला जायगा और आर्थिक विषमता जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं वह खत्म नहीं हो सकेगी।

मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं जो एक पहाड़ी प्रदेश है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से पिछले पांच वर्षों में काफी सहायता नहीं मिली लेकिन इतना मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपर्याप्त है। हिमाचल प्रदेश और उस सरीखे जितने पर्वतीय प्रान्त हैं वहां पर अनाज का हमेशा अभाव बना रहता है। वहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वहां के लोग पानी के लिये भी तरसते हैं। नदियां बहुत नीचे चली गई हैं वहां के पहाड़ों को खोदती हुई और लोग ऊपर रह गये हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि कुछ ग्रामों के लोग अपने अपने घरों से ४, ४ मील चल कर पीने का पानी लाते हैं। एक आदमी घर से केवल इसी काम के लिए रक्खा हुआ होता है जो दिन भर पानी लाता रहे। आप अन्दाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि कुछ इलाकों में जहां ४ मील के फ़ासले पर भी पानी नहीं मिलता, लोग बरसात के दिनों में गड्ढों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको वह पीने के काम में और पशुओं के काम में लाते हैं।

मैंने जैसे पहले निवेदन किया नदियां तो वहां पर हैं लेकिन उन नदियों का इस्तेमाल वहां के लोगों के भाग्य में नहीं। कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि वहां पर नहरें बन ही नहीं सकती होंगी। चीनी तहसील में एक वक्टू नाम की नहर बहुत अर्से से बन रही है लेकिन वह आज तक नहीं बन पाई है। हिमाचल प्रदेश में चीनी तहसील में बादाम और पिश्ता पैदा करती है और वहां पर सेव नासपाती दूसरे अनेक फल होते हैं। लेकिन वहां पर पानी की बहुत कमी है। कई स्थानों में नहर आ सकती है कईयों में नहीं आ सकती। गर्मियों में वहां बारिश नहीं होती। सर्दियों में बर्फ बहुत गिरती है। तालाबों के ज़रिये से पानी इकट्ठा करके सिंचाई का काम किया जा सकता है तो यदि कभी ऐसा मौका आये कि भारत वर्ष को बादाम, पिस्ता, अंगूर, अखरोट और इस किस्म के फलों की ज़रूरत हो तो साढ़े तीन हज़ार मुरब्बा मील का इलाका इस काम के लिए अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन यह स्थान तभी सरकार के ध्यान में आ सकता है यदि कभी कभी हमारे केन्द्र के मंत्री लोग इन स्थानों की यात्रा करें। वहां के लोगों के हालात को देखें, उस इलाके को देखें और अनुमान करें कि वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं।

[श्री पद्म देव]

हिमाचल में दो नदियां हैं सतलुज और एक और नदी जिस पर जोगेन्दर नगर का पावर प्लांट (विद्युत कारखाना) बनाया गया है। केवल इन दो नदियों से इतनी बिजली उत्पन्न होती है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर हर स्थान पर, हर गांव में कोई न कोई छोटी बड़ी नदी है। हर नदी से बिजली तैयार की जा सकती है। वहां पर बड़े बड़े जंगल हैं और उनकी लकड़ी मौजूद है और वहां अनेक प्रकार के मिनरल्स (खनिज) हैं। वहां जो लकड़ी पैदा होती है वह नदियों के ज़रिये से नीचे पहुंचायी जाती है। यदि वहां पर बिजली का प्रबन्ध हो जाये तो बने बनाये मकान दिल्ली और दूसरे शहरों में आ सकते हैं इन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करने से वहां के लोगों की गरीबी भी दूर हो सकती है और देश का जो फालतू रुपया खर्च होता है उसकी भी आसानी से बचत हो सकती है।

वैसे भी यह स्थान सीमावर्ती होने से बड़ा महत्व रखता है और आप जानते ही हैं कि इन स्थानों में कई तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। अगर यहां के लोगों की दशा को न सुधारा जाये और इन इलाके के प्राकृतिक साधनों का देश के लिए इस्तेमाल न किया जाये तो देश के लिए इसका अच्छा नतीजा पैदा नहीं हो सकता।

वहां का हाल यह है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, कि अगर शिमला में अनाज का भाव दस रुपया मन है तो उसे चीनी में पहुंचाने में १५ रुपया भाड़े का खर्च होता है। इसका मतलब यह होता है कि वहां पर २५ रुपये मन अनाज पहुंचेगा। अगर वहां पर नहरों का इन्तिजाम हो तो जितना वहां के लोगों के लिए आवश्यक है उतना अनाज पैदा आसानी से हो सकता है। हर साल हिमाचल के लिए अनाज की कमी महसूस होती है और केन्द्रीय सरकार को हमेशा इसके लिए कष्ट दिया जाता है। वहां की पानी की व्यवस्था आसमान पर ही निर्भर करती है। यदि वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये तो अन्न काफी पैदा हो जायेगा और जो भारत सरकार को फालतू रुपया अनाज की महंगाई के लिए देना पड़ता है वह नहीं देना पड़ेगा। वहां पर बड़ी जरूरत अन्न की है और वह तब तक पैदा नहीं किया जा सकता जब तक पानी का पूरा प्रबन्ध न हो। आप लोग हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अपने लिए पूरी रोटी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए सर्दियों में वह अपने बाल बच्चों समेत शिमला या किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहां मजदूरी करते और रोटी कमाते हैं और जितनी बचत सर्दियों में करते हैं उसको खाने के लिए फिर अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"। अपनी पीठ पर सामान उठा कर ले जाते हैं और घर में ले जाकर तीन चार महीने खाते हैं और उसके बाद फिर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस ंग से चीनी और बरमौर के इलाके में आवगमन लगा रहता है। इसलिए मैं इस माननीय सदन से और मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उस ओर भी जरूर ध्यान करें। यद्यपि यह इलाका पहाड़ों से ढका हुआ जरूर है, लेकिन भारत का अविभाज्य भाग है। उसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाये।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्री सर्वप्रथम मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करूंगा कि उन्होंने इस विषय में इतनी रुचि दिखाई। सत्तर कटौती प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और २८ माननीय सदस्य बोल चुके हैं। यदि समय होता तो और भी सदस्य बोले होते। इसी से पता लगता है कि इस विषय में सिंचाई और विद्युत के विषय में जो कि हमारे राष्ट्र निर्माण का आधार है—सदस्यों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न स्थानों तथा राज्यों से आये माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनके ब्योरों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि ऐसा करने पर मैं आप लोगों के सामने स्थिति का वास्तविक स्वरूप नहीं रख पाऊंगा ।

माननीय सदस्यों को पता है कि पिछले दस वर्षों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक प्रयोग के समान है और इस प्रयोग की सफलता तथा असफलता क बारे में इतनी जल्दी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । अतः विवरणों को लेने से पहले मैं आपके सामने उन सभी बातों का उल्लेख संक्षेप में करूंगा जो सरकार पिछले दस वर्षों से कर रही है । बिना इसके हम सफलता का ठीक अनुमान नहीं लगा सकते ।

इन बातों का उल्लेख करते समय मैं अपने देश की नदी सम्पत्ति का उल्लेख करूंगा । हमें अपने देश की नदी सम्पत्ति पर गर्व है और हमारे देश में नदियां ऐसे स्थानों पर हैं जहां हमें नदियों की आवश्यकता है । हमारे मानवीय जीवन के निर्माण में नदियों का बहुत बड़ा हाथ है । यदि यह नदियां न होतीं तो आज हम इतने लाभ न उठा पाते जितने कि उठा रहे हैं । कभी कभी इन नदियों में बाढ़ आने के कारण हमें हानि भी उठानी पड़ती है ।

बाढ़ों का आना भी आवश्यक है क्योंकि उनके बिना हमारे देश में प्राकृतिक उपज नहीं हो सकती । बाढ़ों से जहां हानियां हैं—हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग ४५ करोड़ रुपये की हानि होती है—वहां बहुत लाभ भी होते हैं ।

प्राचीन काल में हमारी तथा संसार की सभ्यतायें नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । ईश्वर के प्रति हमें आभारी होना चाहिये कि हमारे देश में गंगा और सिंधु ऐसी नदियां हैं जिनसे करोड़ों व्यक्तियों को लाभ हो रहा है ।

मैं आपको बताऊंगा कि पिछले ५–६ वर्षों में हमने क्या क्या काम किये हैं और दूसरी योजना में हम क्या क्या काम करेंगे । सरकारी प्राक्कलनों के आधार पर हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं—हो सकता है यह आंकड़े गलत हों—कि अगले दस वर्षों में हम क्या करने जा रहे हैं ।

सिंचाई भारत के लिये कोई नई बात नहीं है भारत इस सम्बन्ध में सभी देशों का अग्रणी रहा है । प्रथम योजना के पूर्व भी भारत सिंचाई का सब से बड़ा देश था । उत्तर पश्चिम भारत तथा पंजाब में काफी सिंचाई होती थी । पंजाब का ७/८ भाग तो पाकिस्तान में चला गया । फिर भी भारत में—विशेषतया उत्तर भारत तथा दक्षिण में—५ करोड़ १५ लाख भूमि में प्रथम योजना के पहले भी सिंचाई होती थी ।

प्रथम योजना के समाप्त होने पर लगभग ६ करोड़ ५५ लाख एकड़ भूमि सिंचाई में आ गई जो कि लगभग ३० प्रतिशत प्रगति है और यह प्रगति काफी महत्वपूर्ण है । दूसरी योजना में हम २ करोड़ १० लाख भूमि और लेना चाहते हैं इस प्रकार इस योजना के अन्त में सिंचाई में ८ करोड़ ६५ लाख भूमि आ जायेगी । यह प्रगति उस प्रगति का ३३ प्रतिशत होगी जो प्रथम योजना के अन्त में थी ।

यदि हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं तो यह बहुत बड़ा काम होगा और यदि केन्द्र तथा राज्यों का सहयोग हमें मिलता रहा और हम जनता में पर्याप्त उत्साह तथा प्रेरणा पैदा करते रहे तो कोई कारण नहीं कि हमें सफलता न मिले । मुझे आशा है कि हमें सफलता मिलेगी । और इससे हमारी खाद्य की कमी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जायेगी । मैं इस बात को आत्म-निर्भरता नहीं मानता कि किसी विशेष वर्ष में इतना उत्पादन हो कि हमें आयात न करना पड़े ।

[श्री स० का० पाटिल]

मैं आत्मनिर्भरता उसे मानता हूं कि कम से कम उत्पादन वाले वर्ष में भी हमें आयात न करना पड़े। कम से कम उत्पादन वाले वर्ष में भी हमारे देश में आवश्यकता से १०० करोड़ रुपये की लागत का खाद्यान्न पैदा होना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य—८ करोड़ ६५ लाख एकड़—पर्याप्त है।

बिजली की समस्या को लीजिये। इसमें हम अग्रणी नहीं हैं फिर भी दोनों योजनाओं में हम ६८७ करोड़ रुपये—प्रथम योजना में २६० करोड़ रुपये व्यय किये गये और दूसरी योजना के लिये ४२७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है—व्यय करने जा रहे हैं। प्रथम योजना को शुरू में हमारे यहां २३ लाख किलोवाट बिजली थी और प्रथम योजना के अन्त में हमारे पास ३३.१ लाख किलोवाट बिजली हो गई। दूसरी योजना के लिये हमने ३५ लाख किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार इस योजना के अन्त में ६८.१ लाख किलोवाट बिजली हो जायेगी। भारत जैसे आर्थिक संकट वाले देश के लिये इतनी प्रगति काफी है। मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

यह मंत्रालय बाढ़ नियंत्रण के काम को भी देखता है। कभी कभी हमें बाढ़ों को रोकने की आवश्यकता पड़ती है। हमारी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं वे अपने साथ रेत बहा कर लाती हैं यह रेत सिंचाई के लिये एक बड़ी भारी समस्या है। यह समस्या हमारे देश में ही नहीं है ; संसार के सभी देशों में यह समस्या है और अमरीका तथा चीन जैसे देशों में इस समस्या का हल ढूंढने के लिये गवेषणायें की जा रही हैं। हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं पर इस कठिनाई के कारण हमारी परियोजनायें नहीं रुकेंगी।

बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन हम बड़ी बड़ी नदियों पर नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ रुपये की राशि इस प्रयोजन के लिये रखी गई थी पर हम उसमें से केवल १० करोड़ रुपये ही व्यय कर सके क्योंकि राज्य सरकारों के पास योजनायें तैयार नहीं थीं। दूसरी योजना में इस काम के लिये ११७ करोड़ रुपये रखे गये थे पर कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे कम करके ६० करोड़ कर दिया गया है।

सरकार बाढ़ों से होने वाली इस हानि—४५ करोड़ रुपये—को रोकना चाहती है। सरकार के प्रयत्नों से लाभ भी हुआ है और कुछ अंशों में बाढ़ का खतरा खत्म हो गया है।

हम भाखड़ा, हीराकुड और दामोदर घाटी आदि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में बातें करते हैं पर सिंचाई और विद्युत की सैंकड़ों परियोजनायें देश में चल रही हैं। भाखड़ा परियोजना इन्जीनियरिंग का एक महान कार्य है और कोई भी देश उस पर गर्व कर सकता है। कुछ वर्षों पहले जब मैंने बाउलडर बांध और टेनैसी घाटी देखा था तो मेरी भी तमन्ना थी कि हमारे देश में भी ऐसे विशाल बांध बनें। १० वर्षों के भीतर ही आज हमारे देश में संसार का सब से बड़ा बांध—७६० फुट तैयार हो गया। बाउलडर बांध केवल ७२८ फुट है। स्विटजरलैंड में एक ९४० फुट ऊंचा बांध बनाने की योजना चल रही है।

हीराकुड जैसा बड़ा बांध संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। यह कुल मिला कर १६ मील लम्बा है इसमें लगभग २८८ वर्गमील फैलाव तक पानी इकट्ठा किया जायेगा जो कि हमारी सिंचाई हमारे नौवहन तथा मत्स्य पालन आदि के काम आयेगा। हीराकुड में हम बिजली भी तैयार कर रहे हैं और बांध से १५ मील नीचे की ओर कुछ और बिजली तैयार की जायेगी।

नागार्जुनसागर बांध में हमारे इंजीनियर कितनी किफायत से काम कर रहे हैं इसे आप देख सकते हैं। यह बांध कृष्णा बैरेज पर बनाया जा रहा है। कृष्णा बैरेज बनकर तैयार हो गया है और जब यह बांध बन कर तैयार हो जायेगा तो आप देखेंगे कि इस बांध से हमारे देश को अन्य बांधों की अपेक्षा अधिक लाभ होगा।

अब देश के विभिन्न भागों की छोटी छोटी परियोजनाओं को लीजिये। दूसरी योजना में कुल ३८२ परियोजनाओं—२००सिंचाई की और १८२ बिजली की—का उपबन्ध किया गया है। इन में १ करोड़ से कम लागत वाली २६५ परियोजनायें—१४५ सिंचाई की, १२० बिजली की; १ करोड़ से ५ करोड़ तक लागत वाली ७९ परियोजनायें—३३ सिंचाई की, ४६ बिजली की; ५ करोड़ से १० करोड़ की लागत वाली १७ परियोजनायें—१० सिंचाई की, ७ बिजली की; १० करोड़ से ३० करोड़ तक लागत वाली १६ परियोजनायें—८ सिंचाई की, ८ बिजली की और ३० करोड़ से अधिक लागत वाली ५ परियोजनायें हैं।

इस विशाल योजना को हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहते हैं अतः जल्दी में हो सकता है कोई गलती हो जाये। यदि किसी परियोजना को शुरू नहीं किया जाता तो हमसे यह प्रश्न किया जाता है कि उसे शुरू क्यों नहीं किया गया और यदि उसे शुरू कर दिया जाता है और कोई गलती हो जाती है तो हमसे यह पछा जाता है कि गलती क्यों हुई। हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है।

गांवों में बिजली लगाने की बात का भी उल्लेख किया गया। प्रथम योजना के शुरू होने के पूर्व लगभग ३००० गांवों में बिजली थी। दूसरी योजना के दूसरे वर्ष तक १६,५०० गांवों में बिजली हो जायेगी। यह काम वास्तव में राज्य सरकारों का है हम तो केवल धन देते हैं। मैं श्री माथुर को विश्वास दिलाता हूं कि गांवों में बिजली लगाने के काम को बड़ी तेजी से चलाया जायेगा। प्रथम योजना में २५०८ गांवों में बिजली लगाई गई। यह वृद्धि ७६ प्रतिशत हुई। प्रथम योजना में १९,००० मील लाइन लगाई गई और दूसरी योजना में ३५,००० लगाने की योजना है। साथ ही साथ छानबीन, सर्वेक्षण, गवेषणा आदि के लिये योजना में लगभग १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतः योजना को सफल बनाना बहुत आवश्यक तथा सरल हो गया है।

सभी महत्वपूर्ण नदियों की जल विद्युतीय छानबीन हो रही है और लगातार होती रहेगी। एक सुव्यवस्थित विद्युत भार सर्वेक्षण भी राष्ट्रीय आधार पर किया जा रहा है। एक इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था खोलने का भी विचार है। यह सब हमने बाढ़ से बचने के लिये किया है। उसके सम्बन्ध में आंकड़े यह हैं। १९५४ से अब तक ५,००० वर्ग मील भूमि २० बड़े शहरों तथा ३२०० गांवों को पानी में डूबने से बचाया गया; १६०० मील लम्बे बांध बनाये गये। दामोदर घाटी निगम के बनने से बाढ़ का खतरा लगभग बिल्कुल खत्म हो गया है। बां ों से काफी रक्षा हो गई है पर अभी भी कई स्थानों पर बांध बनाना बाकी है। गांव वाले इन कामों में रुकावट डालते हैं। बिहार में कोसी नदी के बांध के बनाने में बड़ी कि नाई हो रही है किसान कहते हैं कि जब प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाये तब उनकी जगहों पर काम शुरू किया जाये। कितनी अजीब स्थिति है। मैं बिहार से आने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे वहां की जनता को समझायें ताकि १५ मील लम्बा शेष बां बना कर स नदी को ठीक रास्ते पर ले आयें। यह एक अजीब न ी है और साथ ही बड़ी उपयोगी ी। इसके पान से बिजली बनाने तथा सिंचाई का काम लिया जा सकता है। इन सब परियोजनाओं में हम १,५२९ करोड़ रुप े व्यय करना चाहते ैं और सा ी राज्य सरकारें भी काफी धन व्यय करेंगी। आशा है

[श्री स० का० पाटिल]

कि दूसरो ोजना के समाप्त ोते समय तक ७० तिशत की वृद्धि हो जायगी । इतनी प्रगति हमार लिय ग की बात होगी ।

जिन माननीय सदस्यों े आलोचना की है मैं उनकी बात समझता हूं । पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्हें केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए बल्कि दोनों पक्षों को देखना चाहिये तभी वह ीक स्थिति समझ सकते हैं । जो प्रगति हुई है वह इतनी है कि कोई भी देश उस पर गर्व कर सकता है ।

किसी भी देश से आप तुलना करके देखिये कही भी इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति नहीं हुई है । पिछले पांच या छः वर्षों में इस सरकार ने राष्ट्र निर्माण के लिये जो कुछ भी किया है और दूसरी योजना के अन्त तक सरकार को जितनी सफलता मिलने की आशा है वह संसार में अद्वितीय होगी ।

मैं यह नहीं चाहता कि कोई तारीफ करें पर यह सच है कि देश के हित के लिये बहुत कुछ काम किया गया है । यदि कोई राज्य सरकार अच्छा काम करती है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं क ोंकि एक का हित सारे राष्ट्र का हित है । अतः यदि आप सोचें तो आपको पता लगेगा कि जो काम हुआ है वह सारे राष्ट्र के लिय गर्व की बात है ।

सिंचाई तथा बिजली की तनी उन्नति के साथ हमारे साम और भी अ ेक कठिनाइयां आईं । हमें भय था कि हमारे पास काफी इंजीनियर नहीं ैं । पर हमने देखा कि नहीं हमारे यहां भी इंजीनियर हैं हमने बाहर से ी कुछ ंजीनियर बुलाय । गत सवा छः वर्षों से बड़ी अच्छी गति हुई है । हमा े देश के नवयुवक इंजीनियरों ने पूरी शक्ति, पूरे उत्साह तथा लगन से आश्चर्यजनक का कर दिखाया है । उनके अन्दर आत्मविश्वास है । हमें किसी भी बड़े काम के लिये बाहर से इंजीनियर बुलाने की आवश्यकता नहीं है । हम से पूछा जाता है कि हम बाहर से ंजीनियरों को क्यों बुलाते हैं ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश े इंजीनियर नहीं हैं पर ज्ञान ो सार्वभौमिक है । हमें दूसरों से ज्ञान ले े में कोई शर्म न ीं है । बाहर के विशेषज्ञ आते हैं ो व कहते हैं कि तुम ीक काम कर रहे हो । हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है । अतः हमें इस बात से नहीं डरना चाहिये कि हमें विदेशी विशेषज्ञें को नहीं ुलाना चाहिये । भाखड़ा तथा दामोदर घाटी निगम के अतिरिक्त हमने और किसी काम के लिये विदेशी इंजीनियर नहीं बुलाये । जब ी कभी हम विदेशी विशेषज्ञों को, उनकी राय जानने के लिये बुलाते हैं व यही कहते हैं कि तुम्हारी राय ठीक है । जब कभी मैं परियोजनाओं को देखने जाता ं तो हमारे नव ुवक इंजीनियर आ कर मुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने यह काम किया है हम यह काम करना चाहते हैं तो 'हम' या 'हमने' शब्द में हमें अपनी राष्ट्रीयता का मान होता है । बड़ी खुशी होती है । म न नवयुवक इंजीनियरों को बधाई देता हूं जिन्हों ने गत ६¹/₄ वर्ष में इत े आश्च जनक का कि े हैं ।

अब मैं नहर के पा ी के विवाद को लेता । प्रत्येक माननीय सदस्य स बात के लिये आतुर है कि हम पाकिस्तान को जो १ करोड़ एकड़-फुट पानी देते रहे हैं वह न दिया जाये । मेरा विचार है और भारत सरकार का विचार है कि इस नहर जल विवाद के सम्बन्ध में—दोनों देशों को कितना कितना पानी दिया जाये—भारत पाकिस्तान को एक पैसा भी दे े के लिये बाध्य नहीं है । जब अविभाजित पंजाब में नहरें बनाई गई थीं तब क्या विचार था ? पंजाब

सिचाई के सम्बन्ध में अग्रणी रहा है। सब से पहले पश्चिमी पंजाब में नहरें बनाई गईं क्योंकि वहां बड़ी बड़ी नदियां थीं जिन में सिन्धु, झेलम तथा चिनाब का ८० प्रतिशत पानी काम में लाया जा सकता था। अविभाजित पंजाब सरकार के पास पश्चिमी क्षेत्र में काफी जमीन थी थी जिस पर सुधार शुल्क लगाकर वह करोड़ों रुपये कमाना चाहती थी। इस कारण पश्चिमी पंजाब में पहले नहरें बनी। अब मैं पूछता हूं कि मान लीजिये विभाजन न होता तो क्या संयुक्त पंजाब का यह कर्तव्य नहीं था कि वह पूर्वी भाग में नहरें बनवाये? वहां पहले नहरें बनी थीं अतः उन नहरों से जो लाभ होता उससे पूर्वी भाग की नहरें बननी चाहिये थीं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : पश्चिमी पंजाब में किसानों से सुधार-शुल्क नहीं लिया जा रहा है पर इधर हम सुधार-शुल्क ले रहे हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : उन्हें क्या मिला और क्या न मिला यह अलग मामला है। मैं तो केवल कारण बता रहा हूं। वास्तव में हमारे लिये किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम पाकिस्तान को ये संयोजक नहरें बनाने के बारे में कुछ सहायता दें। कुछ देना हमारा उत्तरदायित्व नहीं था। आप यह पूछेंगे कि फिर आप ने क्यों दिया? हम ने पैसे इस लिये दिये—क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में विश्वास करते हैं। जब यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का बना और जब विश्व बैंक ने अपने सेवायें दीं और कहा कि हमें इस मामले को राजनीति से परे ले जाना चाहिये; हमें इस मामले पर आर्थिक तथा टेकनिकल दृष्टि से विचार करना चाहिये और यदि यह आवश्यक हुआ कि आप को इन के लिये कुछ देना भी पड़ा तो आप को देना चाहिये—हम ने इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लिया यदि हम स्वीकार न करते तो इस मामले के हल में वर्षों गुजर जाते—इस लिये हमने चाहा कि हम उन लोगों की सद्भावना खरीद लें। हम एक तरफा अच्छाई में विश्वास रखते हैं। माननीय मित्रों को समझना चाहिये कि चाहे दूसरा पक्ष अच्छाई करे या न करे आप को भलाई ही करनी चाहिये। आपको कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिये। इसी कारण हमने यह निर्णय किया। यह निर्णय वर्षों पहले किया गया था। हमने यह निर्णय इस कारण किया था कि जो पानी पाकिस्तान पूर्वी नदियों से लेता है उसे उसके स्थान पर आहिस्ता आहिस्ता पानी पश्चिमी नदियों से दिया जाय किन्तु यह काम वैसे ही नहीं होता—इसके लिये नहरें बनानी पड़ेंगी—हो सकता है कि एक पुंज भी बनाना पड़े। विश्व बैंक ने जो बातें १९५४ में हमारे सामने रखीं हम ने उन्हें तुरन्त ही स्वीकार कर लिया था। क्योंकि हम यह सोचते थे कि यदि विश्व बैंक कोई अच्छी बात कर रहा है तो हमें उसें स्वीकार ही करना चाहिये। यह प्रश्न केवल भारत तथा पाकिस्तान का ही प्रश्न नहीं है—बल्कि वास्तविक तकलीफ तो लोगों को हो रही है। लोगों को पानी चाहिये और यदि इस प्रकार कई वर्ष निकल जावें तो लोगों को ही कष्ट होगा मैं श्री माथुर को बताना चाहता हूं कि इस पानी से उनके राज्य राजस्थान को ही लाभ पहुंचेगा। मेरी यह इच्छा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में हम राजस्थान में नहरें खुदवादें तथा राजस्थान के लोगों को सिंचाई और विद्युत की सुविधायें मिल जायें। इस कारण सब से पहले हम सरहंद नहर तथा राजस्थान नहर पर ही कार्य करेंगे।

हमने पाकिस्तान तथा विश्व बैंक को बता दिया है कि हमने बहुत समय प्रतीक्षा कर ली है। आपने पांच साल प्रतीक्षा करने के लिये कहा था। यह समय १९५९ में पूरा हो जाता है। पिछले तीन वर्ष में कुछ नहीं हुआ—हमने इस अवधि को बढ़ा दिया है। हम अब पांच वर्ष से अधिक प्रतीक्षा नहीं करेंगे—आज हम भी नहरों में वहां से पानी नहीं ले सकते—उस समय तक सरहंद तथा राजस्थान नहरें तैयार हो जायेंगी। मैं भारत सरकार की ओर से सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ज्यों ही ये नहरें बनकर तैयार हो जायेंगी तब कोई भी शक्ति हमें पानी लेने के लिये नहीं रोक सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री स० का० पाटिल]

जैसा की एक सदस्य ने कहा यह राजस्थान की नहरें शायद दुनिया की सबसे लम्बी नहर होगी। ५०० मील लम्बी नहर कहां है ? इसको नौवहन के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है—वह हमें कुछ बातें सुझा रहे हैं—चाहे उनपर अधिक व्यय भी हो। इस पर वैसे ६० करोड़ रुपये लगेंगे—यदि इसे नौवहन के योग्य बनाना होगा तो इस पर कुछ अधिक व्यय भी होगा। हम नहीं चाहते कि राजस्थान रेगिस्तान ही रहे। इस नहर से १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी—इससे लगभग २००,००० या ३००,००० टन अनाज पैदा होगा। यह अनाज न केवल राजस्थान के लिये ही पर्याप्त है बल्कि अन्य क्षेत्रों को अनाज मिलेगा। पानी का झगड़ा इसी स्थिति में है।

अब विश्व बैंक के प्रतिनिधि भारत आये थे—और मैं ने समय समय पर सभा को इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। उन्होंने समय समय पर कई योजनायें रखी हैं जो १९५४ की योजाओं से भिन्न नहीं हैं। ये योजनायें ठीक ढंग से कार्यान्वित होने योग्य हैं—मुख्य बात हम ने स्वीकार कर ली है कि पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान प्रयोग करे—हां थोड़ी बहुत हमारी जम्मू आदि की आवश्यकतायें इन से पूरी होंगी। पाकिस्तान भी इनका विरोध नहीं करता। रावी–सतलुज–व्यास भारत के लिये होंगी।

यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है तो हम दूसरी बात पर आते हैं। इंजिनीयर इस बात पर विचार करेंगे कि यह काम कैसे किया जा सकता है। गत वर्षों में पाकिस्तान ने नहरें बनाने के काम पर २५ करोड़ रुपया व्यय किया है—चाहे ज्यादा पानी उन्होंने नहीं लिया है। शायद उन्हें यह मालूम है कि भारत उनकी भाँति अच्छा या बुरा है। इस लिये वह यह सोचते हैं कि भारत पानी रोक सकता है और उन्हें कठिनाई हो सकती है। इस लिये उन्होंने यह काम किया —कि इतना व्यय हो गया। जो नहरें बनाई गई हैं वह ५० लाख एकड़ फीट पानी ले सकती हैं। इस लिये समस्या कोई अधिक कठिन नहीं है। जब नदियों में जल बहुत थोड़ा रह जाता है तब ही कुछ कठिनाई हो सकती है और इसी बात से एक पुंज का प्रश्न पैदा होता है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि आप बड़े नरम हैं—कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। क्या नरम होना गलती है ? क्या शत्रु से भी नरमी करना गलती है ? यदि एक क्रुद्ध हो जाये तो क्या यह जरूरी है कि दूसरा भी—क्रोध ही करे। भारत इस तरह की बातों में अपने उद्देश्य को खोना नहीं चाहता। अब मामलों को तेजी से लिया जा रहा है। गत तीन मास से हमने पर्याप्त प्रगति की है। भगवान ने चाहा हम यह मामला आपस में सुलझा लेंगे—कोई राजनैतिक ढंग से नहीं—बल्कि आर्थिक एवं टेकनिकल आधार पर।

सभा को एक बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये—बोलते समय वह यह भूल जाते हैं कि सिंचाई का विषय केन्द्र का नहीं है–सभी लोग छोटे छोटे बन्धों के बारे में भी हम से यही बात करते हैं। जिस परियोजना पर १० लाख रुपये से कम व्यय होता है हम उसे नहीं लेते। सभी परियोजनायें हमारी १० लाख से ज्यादा की हैं–भाखड़ा पर १७५ करोड़ रुपये व्यय होंगे। क्या आप समझते हैं कि सामान्यतया भारत के एक केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप को सहन करेंगे ? यह तो स्पष्टतया राज्यों का विषय है समवर्ती विषय भी नहीं है। विद्युत् समवर्ती विषय है। बड़े बड़े कामों में हम शामिल होते हैं—राज्य उन्हें नहीं कर सकते। यह परियोजनायें एक से अधिक राज्यों के लिए हैं इस कारण इन की देखभाल केन्द्र करता है—हम उन्हें ऋण दे रहे हैं—उनके ऋणों की प्रत्याभूति दे रहे हैं। यदि आप मुझ से यह कहें कि किसी राज्य का मुख्य मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा तो मेरे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे उसे ठीक किया जा सके—कानूनी दृष्टि से यह बात असंभव है। वह लोग एक दिन के लिये इसे सहन नहीं करेंगे।

और भी बहुत सी बातें कहीं गई हैं। हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत सहायता दे सकते हैं। इससे अधिक हम नहीं कर सकते। फिर कठिनाइयां भी तो होती हैं। कुछ स्थानों पर किसी कानून के अधीन हम शक्ति को सीमित कर सकते हैं किन्तु वह भी थोड़ी ही मात्रा तक—इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। समवर्ती मामलों में भी राज्यों की सलाह के बिना हम अधिक कुछ नहीं कर सकते। कई बार यह भी कहा जाता है कि अमुक निरीक्षक इंजीनियर को अमुक स्थान पर एक वर्ष के लिये क्यों नहीं लगाया गया। यदि हमारे पास ऐसी शक्ति हो तो हम उस काम को तुरन्त कर डालें। जब किसी मुख्य मंत्री को नियुक्त करना होता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि राज्य की चि क्या है और उनका दृष्टिकोण क्या है और क्या वह लड़ेंगे। मैं राज्यों को लिखता हूं किन्तु कहीं से कोई जवाब नहीं आता—यह बातें होती हैं—मेरे से पहले मंत्री महोदय भी रहे हैं—मुख्य मंत्री भी जवाब ही नहीं देते। जब कभी अक्षम्य विलम्ब हो जाता है तो कई बार उसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर नहीं होता। विलम्ब इस कारण से हो जाता है कि दो राज्यों के झगड़े सुलझते ही नहीं हैं।

मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं। आप मुझ से यह आशा न करें कि मैं कोई मोजजा कर के दिखा रहा हूं। यह बांध आदि वैसे तो चमत्कार ही हैं—किन्तु राज्यों को आपस में सहयोग से चलाने का चमत्कार जो हम कर रहे हैं वह भाखड़ा के चमत्कार से भी ज्यादा है। इन कठिनाइयों के कारण हम कोई ठीक काम नहीं कर पाते।

सदस्यों ने उपयोग में कमी की बात भी पूछी है। मैं आप के साथ हूं—यह बड़े शर्म की बात है। किसी सत्ताधारी ने कहा कि उनके पास ६०.३ लाख एकड़ भूमि कार्य के योग्य निकल सकती है—किन्तु उसमें से केवल ४० लाख एकड़ भूमि का ही उपयोग हुआ—शेष का न हो सका। यह बड़े शर्म की बात है—क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि ज्योंही ये सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी हमारा घाटा पूरा हो जायगा और देश समृद्ध हो जायेगा। इस चीज के लिये अकेली सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं। अभी यह परियोजनायें-पूरी नहीं हुई हैं—जब ये पूरी हो जायेंगी—हम भारत में एक नये समाज का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की आदतें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं—उनके विचार पुराने ढ़ंग के हैं। हमने रूढ़िवादी पुरानी विचार-धारा के दल दल से उन्हें बाहर निकालना है और वह काम कराने हैं जिनसे देश का भला हो। यह समस्या इतनी ही कठिन है जैसा कि भाखड़ा बान्ध। इसलिये कार्यवाही यही होनी चाहिये कि जिस दिन भी हम किसी क्षेत्र में कोई परियोजना आरम्भ करें वहां समाज सेवा होनी आरम्भ हो जानी चाहिये। यह कार्य लगभग सभी संगठनों का है। प्रत्येक राजनैतिक संगठन का यह कार्य है कि वह लोगों को समझाये कि अमुक परियोजना आरम्भ हो रही है—इससे आपकी भूमि का सिंचन होगा। जिन किसानों की भूमि इन परियोजनाओं से सींची जायेगी उन्हें ठीक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार करना है। परियोजनाएं पूरी करने के लिये उनसे सहयोग लेना चाहिये। उन सैंकड़ों हजारों लोगों को वहां ले जाया जाय ताकि वह समझें कि वहां उन्हें क्या क्या लाभ होंगे।

पंजाब के किसान सिंचाई को जानते हैं—वहां कोई कठिनाइयां नहीं हैं—दक्षिण में भी किसान हैं। तुंग भद्रा परियोजना के लोगों ने ठीक व्यवहार नहीं किया है—वहां आधी शताब्दी से सिंचाई की सुविधायें हैं—किन्तु आप यह आशा नहीं कर सकते कि सभी स्थानों पर एक ही प्रकार की मनोवृत्ति वाले किसान हैं और यह कि वह सुविधायें मिलते ही इनका उपयोग करना भी आरम्भ कर देंगे। ऐसा नहीं होता। हमने ऐसा तुंग भद्रा परियोजना में नहीं किया। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ये नहरें रेगिस्तानों में से गुजरेंगी—सिंचाई का उद्देश्य यही है कि जिस क्षेत्र की भूमि खेती योग्य नहीं है उसे

[श्री स० का० पाटिल]

खेती योग्य बनाया जाये। यह नहरें ऐसे क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां कोई आबादी नहीं है। भारत में आपने देखा होगा कि सभी बस्तियां लगभग जल के निकट हैं—नदियों के निकट। जहां से नहरें जायें लोगों को वहां लेजाना होगा—भूमि की सिंचाई करनी होगी। यह काम बड़ा भीषण है। यह काम सब से कठिन है। केवल सरकार ही इसे नहीं कर सकती। इस काम को वास्तव में कई संगठनों द्वारा किया जा सकता है। यह तो ठीक है कि कमी रही है किन्तु यह ऐसी बात नहीं जिसमें एक ही पक्ष का दोष रहा हो। आप यह उत्तर चाहते हैं कि इस के लिये सरकार जिम्मेदार है। यह बात नहीं कि मैं यह चाहता हूं कि किसान पानी का फायदा न उठायें—बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि ये सब बातें विद्यमान हैं।

इस बात से सुधार कर तथा पानी के लगान का प्रश्न आता है। यह सुधार कर वास्तव में है क्या? मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि हिसार में कर इतना अधिक है कि रैयत इसे दे नहीं सकती। चलो मैं उनकी बात मानता हूं—यदि आप चाहते हैं कि एक समन्वित ढंग से सुधार कर समान रूप से ल—तो मैं इस बात का परीक्षण करने के लिये तैयार हूं—किन्तु इस कर का सिद्धान्त यह है कि जब आप भूमि में सुधार करते हैं उसमें सिंचाई की सुविधायें देते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है—यदि १०० रुपये एकड़ वाली भूमि की कीमत ५०० रुपये एकड़ हो जाये तो किसान को एक प्रकार की अनर्जित आय तो हो ही गई। क्या राज्य को उस आय का एक भाग ले लेने का हक नहीं है? इस ४०० की आय में एक भाग इसी प्रकार हम ले जाते हैं। आप यह कह सकते हैं कि इतना भाग सरकार ले—वह तो ठीक है और रचनात्मक सुझाव है। हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या एक समान नीति अपनाई जा सकती है—चाहे स्थानीय हालात के अनुसार कहीं कहीं पर विभिन्नता ही क्यों न हो—आंध्र में मैंने देखा है कि एक एक एकड़ की कीमत ५००० रुपये से लेकर १०,००० रुपये तक भी है। आपको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमने पिछले १५ या बीस वर्षों से कुछ भी नहीं लिया—अब वे लोग इसके फल पा रहे हैं। जिन स्थानों पर जमीनों के भाव १०० रुपये प्रति एकड़ से ५०० या ६००रुपये प्रति एकड़ हुए हैं ऐसे स्थानों पर हमें यह देखभाल करनी चाहिये कि वास्तविक कितना सुधार किया गया है और जितनी अनर्जित आय हो उसी का थोड़ा अंश सरकार को ले लेना चाहिये ताकि वह रुपया राष्ट्रीय विकास पर व्यय हो और जो ऋण हमने लिये हैं हम उन्हें वापस दे सकें। यदी वह बात है तो निस्संदेह हम इस पर विचार करेंगे—किन्तु यदि वह कहते हैं कि हिसार के किसान कुछ नहीं देंगे— मुझे विश्वास नहीं कि वह ऐसा कहें—तो यह बात बड़ी असंभव बन जाती है।

इसके बाद दामोदर घाटी का प्रश्न है। आपको पता है हम ने वहां १०,००० एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के लिये कार्य किया। केवल ११,००० का उपयोग हुआ। यह दोष सरकार का था—किस का था —लोगो को ठीक ढंग से वास्तव में ऐसी आदत ही नहीं डाली गई। वहां अच्छी वर्षा होती हो तो वहां पानी कौन खरीदेगा—इसी कारण वे यह सोचते हैं कि वह पानी बिना काम चला सकते हैं। हमें उन्हें यह आदत डालनी है कि वह लगातार सिंचाई करें—यहि देश हित की बात है। खाद्यान्नों के लिये हमें किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं करना है। यह समाज सेवा द्वारा ही हो सकता है।

इस वर्ष २०,००० एकड़ के लिये सुविधा दी—वहां के मुख्य मंत्री ने सोचा कि संभवतया इसका कोई फायदा ही न उठाये। इस लिये इस वर्ष उन्होंने इसे निःशुल्क कर दिया है क्योंकि लोगों को सिंचाई की आदत पड़ जाये। जब एक बार आदत पड़ जायेगी.....।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : आदत तो लोगों को है किन्तु पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं

†**श्री स० का० पाटिल** : हम इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी प्रकार का स्तरीकरण सा किया जाये। यदि एक दो वर्ष पानी मुफत भी दिया जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं—कम से कम बाद में इतना तो मिलना ही चाहिये जिससे कि काम चलाने का खर्चा तो निकले—वहां लाभ का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

कुछ लोगों ने कहा है कि यदि आपको रुपया न मिले तो क्या देश भूखा मरेगा क्योंकि किसान पैसे तो देते ही नहीं। उन्हें तो हम यही कह सकते हैं कि यह देश ऐसे तरीकों पर नहीं चलता जिनपर दूसरे लोग चलते हैं। किन्तु यह सचाई तो है कि हमें अधिक जमीन को खेती योग्य बनाना चाहिये और अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिये। इस लिये यह तो करना ही है। हम यह देख रहे हैं कि इस से कोई समन्वित एकीकृत तरीका निकालें।

यदि हम अपने बचपन में वह गलतियां न करते जो हमने कीं तो हम बड़े बुद्धिमान होते किन्तु जब हमें पता लग जाता है कि यह गलती है तो हम अवश्य ही सुधार करने का यत्न करते हैं।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : मैं समझता हूं कि सरकार बच्चा नहीं है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार अभी बच्चा ही है—केवल १० वर्ष का। सभी लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कराया जाये—किन्तु गलती कोई न की जाय। आपको तैरना आना चाहिये किन्तु पानी में कूदे बगैर। यह बात कैसे हो सकती है। हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा—पानी में कूदना पड़ेगा और जान जोखों में डालनी पड़ेगी—तब कहीं जाकर तैरना आयेगा।

इस पूर्ण उपयोग के न होने के अन्य भी कारण हैं। नहरें पूर्ण तथा वितरण एक ही समय पर नहीं हुआ कई बार पानी तो होता है किन्तु नहर नहीं होती—कई बार नहर होती है तो वहां जल नहीं होता। यह भी एक गलती ही थी। नये वैज्ञानिक तरीकों को किसान शीघ्रता से अपनाना भी पसंद नहीं करते थे।

कुछ सदस्य कहते हैं कि केवल अधिक लगान के ही कारण किसान पानी नहीं लेते थे। इस बात का पता भी चल जायेगा—जब समान दरें निश्चत की गईं तो उसके परिणामों से स्पष्टीकरण होगा। यदि मेरी बात गलत हुई तो मैं क्षमा मांगूंगा। हम किसानों पर कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहते—वह देश की दौलत हैं। आपने उर्वरकों के बारे में भी देखा है। इस मामले में लोगों को यह सिखाना होगा कि इन चीजों को कैसे और कब इस्तेमाल किया जावे।

अब एक नई बात के बारे में कहूंगा। मैंने अभी इस मामले पर अपने मंत्रालय से सलाह नहीं ली है। गांव का किसान कृषि को कैसे जानता है ? कृषि भी तो एक कला है ? कोई एक ही दिन में किसान नहीं बन सकता। यदि आप किसान को वैज्ञानिक तरीकों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं—तो उसके लिये कुछ सहायता देने की आवश्यकता होती है। अब सरकार उन्हें क्या सहायता देती है ? मैं तो देखता हूं कि अब कोई सहायता नहीं दी जा रही है। किसान को यह पता नहीं कि किस वस्तु का प्रयोग करे—बीमारी या किसी ऐसी ही खतरनाक चीज को कैसे दूर करे कब बोये—कब काटे। उनको वैसे तो यह बातें मालूम होती हैं किन्तु अब यह बारह महीने की सिंचाई तथा अन्य बातें आ गई हैं। इन वैज्ञानिक बातों के लिये प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री स० का० पाटिल]

जहां तक कृषि तथा खेती वगैरा का प्रश्न है—अमेरिका आदि देशों में कई कई गांवों के लिये एक कृषि सलाहकार नियुक्त होते हैं। वह लोगों को वहां सब प्रकार की बातें बताते हैं। वह व्यक्ति इतना अच्छा तथा लोकप्रिय होता है कि जब कभी किसी किसान को कठिनाई होती है तब वह उसके पास जाता है और पूछता है कि वह क्या करे—किसी बीमारी को दूर कैसे करे—उर्वरकों का प्रयोग कैसे करे और गवेक्षणा के लाभ कैसे प्राप्त करे। मैं तो स्वयं दोषी हूं क्योंकि हम ने ये सुविधायें लोगों को नहीं दी। ये प्रारंभिक तथा आवश्यक सुविधायें सभी कृषकों को मिलनी चाहियें। हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम यह प्रशिक्षण अन्य सुविधाओं के साथ साथ दे सकें। यह बात विचार करने के योग्य है।

बचत वगैरा की कार्यवाही के लिये भी पूछा गया। इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं केवल यही कहूंगा कि हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने यह महसूस किया है कि दक्षता जरा कम है। यह अधिक होनी चाहिये। कई बातें करनी हैं, किन्तु यह सब हमारे लिये भी नया ही है। ५ साल का कृषि का अनुभव कोई ज्यादा नहीं है। जहां जहां हमें कुछ ऐसी आदतें दिखाई देती हैं वहां उनका विरोध हम अपने ही तरीके से करते हैं। बचत तथा दक्षता बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही हम आजकल कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा।

उदाहरण के लिये आप लागत नियंत्रण का प्रश्न लीजिये। इस प्रयोजन के लिये एक विशेष यूनिट है। प्रत्येक यूनिट का व्यय मालूम कर लिया जाता है जिससे परस्पर तुलना कर यह ज्ञात हो जाय कि गलती कहां पर है। एक पृथक लागत लगाने वाली यूनिट भी है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरों की गोष्ठियां भी होती हैं। हमारे इंजीनियर विदेशों में जाते हैं और विदेशों के इंजीनियर यहां आते हैं। गोष्ठियों में हर प्रकार की समस्या की चर्चा की जाती है।

इसके पश्चात् मशीनों के अधिकतम उपयोग का प्रश्न पैदा होता है। कल मेरे सहयोगी ने आप को बताया था कि किस प्रकार हम मशीनों का एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानान्तरण कर रहे हैं। तथापि यहां भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मशीनों के स्थानान्तरण के समय राज्य सरकारें चुप हो कर बैठ जाती हैं और वे उनके स्थानान्तरण को अनुमति नहीं देती हैं। उन्हें सहमति देने को मनाना होता है क्योंकि हम उन्हें विवश नहीं कर सकते हैं। मैं यह बातें इसलिये कह रहा हूं कि आप सभी लोग प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा आप लोगों का राज्य सरकारों पर पर्याप्त प्रभाव है। आप इस प्रभाव का राष्ट्रीय हित के लिये उपयोग कर सकते हैं जिससे कि मशीनों के स्थानान्तरण की योजना सफल हो सके।

जहां तक मशीनों के प्रमापीकरण तथा योजनाओं की टेकनीकल जांच का प्रश्न है हम इस सम्बन्ध में योजना आयोग की एक सलाहकार समिति है।

जहां तक पानी की दरों और सुधार करों का सम्बन्ध है मैं उनका उत्तर दे चुका हूं। अब मैं विद्युत ग्रिड को लेता हूं। लोगों ने जल क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है। हम केवल क्षेत्र बनाना ही नहीं चाहते हैं अपितु समस्त देश के लिये विद्युत ग्रिड भी बनाना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं।

मैसूर में विद्युत पर्याप्त मात्रा में है। मद्रास भी प्रगति कर रहा है तथापि आन्ध्र प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि अभी हाल आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह शिकायत की थी कि उनके यहां विद्युत की खपत प्रति व्यक्ति केवल १० किलोवाट है जब कि मद्रास में यह खपत ३० किलोवाट और मैसूर में ५० किलोवाट है। इस प्रकार इन तीनों राज्यों को मिला कर इनकी कुल खपत ९० किलोवाट है जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मद्रास के प्रति व्यक्ति खपत के बराबर है। हमें इन राज्यों की बिजली का वितरण ही नहीं करना है अपितु विद्युत शक्ति को बढ़ाना है। जब देश के दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में और रिहिन्द बांध—भाखरा बांध सभी कहीं यही करना है तो इन सभी को मिला कर एक ही ग्रिड क्यों न बना लिया जाय। जिससे समस्त देश एक अखिल भारतीय या राष्ट्रीय ग्रिड के अन्तर्गत आ जाय।

जहां तक जल क्षेत्रों का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये पृथक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है जब लोग यह कहते हैं कि अन्य राज्य उन्हें पानी नहीं देते हैं भले ही वह जल व्यर्थ चला जाय। कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि केरल की कुछ नदियों का पानी व्यर्थ चला जाता है। हम इस प्रश्न की जांच करने को तैयार हैं। व्यर्थ जाने वाले पानी का मद्रास राज्य में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिये हम अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे। तथा मुझे पूरा विश्वास है जब ऐसा रचनात्मक दृष्टिकोण रखा जायेगा तो केरल सरकार उस पर पूरा ध्यान देगी।

अब मैं विद्युत पर लगने वाले सीमा शुल्क को लेता हूं। लोग कहते हैं कि कभी कभी सीमाशुल्क बहुत अधिक होता है। हम पर विद्युत अधिनियम लागू होता है। विद्युत अधिनियम हमें ६ प्रतिशत से अधिक नहीं लेने देता है। हम इससे अधिक नहीं ले सकते हैं। गैर सरकारी समवायों में जहां कोई सुविधायें नहीं हैं और तापीय विद्युत का उत्पादन करना पड़ता है यदि वहां दर ५ १।२ प्रतिशत से अधिक भी हो तो हम उसे कम करने को नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे अपना हिसाब हमारे सामने रख कर यह विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसा करना सम्भव नहीं है। किन्तु जब ग्रिड प्रणाली लागू हो जायेगी तो ये सभी बातें समाप्त हो जायेंगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कलकत्ता विद्युत सम्भरण निगम को, दामोदर घाटी निगम से विद्युत दिये जाने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी पर्याप्त धनवान है अतः इसे विद्युत क्यों दी गई। मेरे विचार से पुरानी कम्पनी होने के कारण उसे बिजली दी गई। वस्तुतः यह राज्य सरकार का मामला है इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कलकत्ता विद्युत सम्भरण निगम को दामोदर घाटी निगम से कुल विद्युत का केवल १० प्रतिशत मिलता है ९० प्रतिशत विद्युत अन्य स्थानों से प्राप्त होती है।

हम उन्हें दामोदर की विद्युत .४५ आने प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं जब कि अन्य स्थानों से उन्हें .३५ प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत प्राप्त होती है। इस प्रकार हम उन्हें अन्य स्थानों से मंहगी विद्युत देते हैं। इसलिये उन्हें सस्ती बिजली देने का आरोप सही नहीं है। निस्संदेह यदि इस मामले में कुछ कठिनाई हो सकती है यथा स्थान के दूर होने के कारण अथवा क्योंकि बिजली उत्पन्न की जा चुकी है इसलिये कीमत कुछ अधिक है जैसे ही ये बातें हमारे ध्यान में लाई जायेंगी हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यह अधिनियम के अधीन स्वीकृत न्यूनतम लाभ के अनुसार ही हो।

[श्री स० का० पाटिल]

एक दो सदस्यों ने भूमि परिरक्षण के सम्बन्ध में कहा है : यह हमारी सबसे बड़ी परेशानी है । यदि हम वैज्ञानिक और सही तरीके से भूमि परिरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी सारी परियोजनायें ३० या ४० वर्ष बाद बेकार हो जायेंगी । यह समस्या भारत तक ही सीमित नहीं है । यह समस्त संसार की समस्या है । हम इसे किस प्रकार हल करें । हजारीबाग में भूमि परिरक्षण पर प्रयोग किये जा रहे हैं मुझे उन्हें ऐसा करते हुये देख कर बड़ा सन्तोष हुआ । वे इसे आश्चर्यजनक ढंग से कर रहे हैं । यह केवल सरकारी फार्म में ही नहीं किया जा रहा है अपितु इससे गेर सरकारी फार्म भी लाभ उठा सकते हैं ।

बाढ़ बचाने के सम्बन्ध में ज्ञान हमें किसी भी ऐसे देश से प्राप्त हो सकता है जहां भूमि परिरक्षण का कार्य किया जा रहा हो । हम उन लोगों से मिलते हैं और उनके कार्यों से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं । इस बात पर गोष्टियों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा की जाती है जिससे कि भूमि परिरक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली हमें उपलब्ध हो सके ।

सुन्दरबन का भी जिक्र किया गया था । सुन्दरबन क्षेत्र को बचाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं पूरी तरह सहमत हूं । यह बंगाल का ही नहीं अपितु समस्त भारत का धान भंडार है । मैं अपने बंगाली मित्रों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कुछ कम चावल खाया करें जिससे चावल दूसरों को उपलब्ध हो सके । हम सुन्दरबन के लिये भी कुछ करेंगे । वहां के जमींदार लोग बन्ध इत्यादि बनाने में करोड़ों रुपये व्यय कर रहे थे । अब हमने ये जमींदारियां ले ली हैं लेकिन हम उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना वे कर रहे थे । इसलिये हमने एक योजना बनाई है । हम उस पर गौर कर रहे हैं जिससे सुन्दरबन की रक्षा हो सके । सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

अब मैं गंडक तथा कोसी नदियों की बात पर आता हूं । पंडित दी० ना० तिवारी ने कहा है गंडक बहुत अच्छी नदी है । वस्तुतः इसके लिये उनके प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात का भी विश्वव्यापी प्रमाण है कि गंडक परियोजना भारत की सर्वोत्तम परियोजना है । यह सबसे मित्त व्ययी परियोजना है । गंडक एक दुधारू गाय की तरह है जो सब को दूध देती है लेकिन किसी को लात नहीं मारती । इसलिये ऐसी नदी पर हस्तक्षेप करना अनुचित है ।

तथापि जैसे ही मैंने कोसी द्वारा होने वाले विनाश का दृश्य देखा तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि उत्तरी बिहार की समस्या का हल कोसी परियोजना नहीं अपितु गंडक और कोसी दोनों की संयुक्त परियोजना होगी । एक नदी ध्वंसात्मक है दूसरी रचनात्मक है । हमें कोसी का विनाश रोकना चाहिये अन्यथा वह वहां की भूमि को नष्ट कर देगी । करोड़ों एकड़ भूमि को सींचने से क्या लाभ, यदि सींची हुई भूमि रेत भर जाने से बेकार हो जाय ।

कोसी मनमाने ढंग से बहती है । वह किसी प्रकार का विधि विधान स्वीकार नहीं करती है । इस प्रकार यह दुहरी समस्या है । एक तो हमें उत्तरी बिहार में कोसी के विनाश को दूसरे गंडक का उपयोग २० लाख एकड़ से अधिक भूमि को सींचने के लिये करना है । इस समस्या की कुछ कठिनाइयां हैं । इसके लिये नेपाल सरकार की सहमति की भी आवश्यकता है क्योंकि ये नदियां अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं । ये किसी एक स्थान से प्रारम्भ हो कर किसी अन्य स्थान को बह जाती हैं । जिस प्रकार गोदावरी और कृष्णा नदियों से दक्षिण तथा आंध्र के लोगों को जल

मिलता है यद्यपि ये नदियां बम्बई राज्य से निकलती हैं। महाराष्ट्र के लोगों को उनसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। उन नदियों से सिंचाई और बिजली की सारी सुविधायें दक्षिण को मिलती हैं। मुझे इससे कोई ईर्षा नहीं है। ये उस पुत्री की तरह है जिसका पालन तथा शिक्षा दीक्षा इत्यादि सभी कुछ किया जाता है किन्तु विवाह के पश्चात् वह अन्यत्र चली जाती है। नदियां भी इसी प्रकार दूसरे स्थानों को चली जाती हैं। ये नदियां निकलती तो महाराष्ट्र से हैं तथापि इनका सारा लाभ अन्य राज्यों को प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये न कि किसी विशेष राज्य की दृष्टि से। हम इसी बात को ध्यान में रख कर कुछ करेंगे।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों का जिक्र नहीं किया है। मैंने उन सभी बातों को लिख लिया है तथापि मेरे लिये उन सभी बातों का उत्तर देना असम्भव है। क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है। अब मैं दामोदर घाटी निगम से सम्बन्धित गम्भीर बातों को लेता हूं जिसका जिक्र श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किया है। मैं उनको यह बता दूं कि उनके द्वारा कही गई अन्य बातों के अलावा मैं निकट भविष्य में ही इस सारी व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। यह परिवर्तन इस कारण नहीं किया जा रहा है कि उसके विरुद्ध कोई आरोप हैं अपितु इसलिये किया जा रहा है कि पंचेत पर्वत के अलावा अन्य सारा काम जो ८० प्रतिशत के लगभग है समाप्त हो चुका है। इसलिये हमें तीन सदस्य तथा उनके अन्य कर्मचारियों की खर्चीली व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इन आरोपों की बार बार दुहराते हुये सुनता हूं तथापि क्या किया जा सकता है। आप मेरी दृष्टि से इस बात पर गौर करें। अपने मंत्रालय का संचालक होने के नाते मैंने सर्वोत्तम ढंग से काम करने का प्रयत्न किया है। यदि ये आरोप सच हैं तो ये बहुत गम्भीर हैं। तथापि ये आरोप समाचार पत्रों में ही लगाये गये हैं। बंगाल के किसी व्यक्ति को भी यह साहस नहीं हुआ कि वह ये आरोप हमारे समक्ष लगाता और उसकी प्रमाण प्रस्तुत करता। हमने उन्हें युगान्तर तथा अन्य समाचार पत्रों में देखा। हमें उनके बारे में पूछताछ करनी पड़ी और यथा सम्भव साक्ष्य एकत्र करना पड़ा। यदि मैं इस नतीजे पर पहुंचूं कि कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं बनता है तो वे मुझे क्या सलाह दे सकती हैं ?

इस बात का एक अन्य पहलू भी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार का मूलोच्छेद किया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार किसी एक विभाग में नहीं है अपितु हमारे राष्ट्र के चरित्र में ही व्याप्त हो गया है। भ्रष्ट व्यक्ति का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र का पतन होने पर सभी कहीं भ्रष्टाचार फैल जाता है। हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम भ्रष्टाचार की वृद्धि न कर राष्ट्रीय चरित्र का सुधार करें जिससे भ्रष्टाचार कम होता जाय। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

मेरे ऊपर सिंचाई और विद्युत विभाग के प्रशासक के नाते पूरा दायित्व है। क्या हमारे अधीन काम करने वाले पदाधिकारी को अपनी इमानदारी और सच्चाई की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ? यदि मैं किसी पत्र पर लगाये गये किसी भी छोटे मोटे आरोप के लिये तत्सम्बन्धी अधिकारी को मुअत्तिल कर दूं या उसे नौकरी से हटा दूं तो क्या इस प्रकार कोई संगठन चल सकता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): किन्तु ये आरोप स्वयं लोक लेखा समिति ने लगाये हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पढ़ा है । उनकी जानकारी गलत है । उसमें ये आरोप नहीं लगाये गये हैं । यदि ये आरोप लगाये गये हैं तो बहुत गम्भीर हैं और उन पर गौर किया जायेगा । उदाहरण के लिये मैं एक दो बातें बताता हूं ।

एक आरोप यह लगाया गया है कि एक पदाधिकारी ने ६३ रुपये ४ आने का एक यात्रा भत्ता बनाया है । ये अधिकारी अथवा मंत्री अपना यात्रा भत्ता स्वयं बनाते हैं । यह काम उनके वैयक्तिक सहायक ही करते हैं एक अधिकारी से गलती हो गई अब बार बार उस बात को उठाया जाता है । उसका उत्तर भी दिया जा चुका है । तो क्या मुझे उस अधिकारी को फांसी दे देनी चाहिये ।

उन २७ नावों तथा ८ इंजिनों का जिक्र किया गया जिन्हें ७०,००० रुपये में वित्तीय सलाहकार की अनुमति के बिना ही खरीद लिया गया था। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मैंने इस सारे मामले का अध्ययन किया है । यदि मैं उस अधिकारी के स्थान पर होता तो मैं भी खरीद लेता। उसने ठीक ही किया। वित्तीय सलाहकार ने भी यही कहा कि आपने ये सब इकट्ठा ही क्यों खरीदे हैं उन्होंने यह कहा कि आप थोड़े से खरीद सकते थे और अन्य भागों के तैयार हो जाने के पश्चात आप बाकी को भी खरीद सकते थे । उसने सलाह दे दी थी निर्णय बोर्ड पर छोड़ दिया गया था ।

मेरी जानकारी यह है कि वह कोई फुटकर बेचने वाला व्यक्ति नहीं था अपितु एक स्थापित कम्पनी थी । उन्होंने कहा कि या तो आपको ये सभी लेने होंगे अन्यथा कोई नहीं मिलेगा । उन्होंने ७०,००० रुपये में ३५ नावें खरीदी अर्थात प्रति का मूल्य २०००) हुआ । २००० रुपये में आप बिजली से चलने वाली नाव तो क्या साधारण नाव भी नहीं खरीद सकते हैं कोई बहुत गम्भीर बात नहीं हुई है ।

एक अधिकारी ने श्रीनगर में १००० रुपये व्यय किये । वह वहां होने वाली गोष्ठी में एक निमंत्रित प्रतिनिधि की हैसियत से गया था । केवल यात्रा व्यय ही १००० रुपये हो सकता है, यदि कोई प्रगट मामला भी होता तो भी कुछ किया जा सकता । कोई ऐसी बात नहीं है तथा प्रमाण भी बहुत कम है । तब आप उस अधिकारी की सच्चाई और इमानदारी पर कैसे संदेह कर सकते हैं । यदि ऐसी बातों पर उन्हें चुनौती दी जाने लगेगी तो प्रशासन करना बहुत कठिन हो जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या आपने कभी किसी को साक्ष्य देने को कहा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं कहां कह सकता हूं ? मैं जहां कहीं भी जाता हूं बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या आपने भी पढ़ा है । मैं उस समाचार पत्र का आदर करता हूं यह पत्र देश की बड़ी सेवा कर रहा है तथापि उसका मत गलत हो सकता है । संभव यह पक्षपात पूर्ण हो या अन्य बातें इसके लिये जिम्मेदार हों ।

चम्बल और कोटा बांध के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं कि दूसरी बार सलाह लेने की आवश्यकता क्यों हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बिजली के उपलब्ध न होने का जिक्र किया था। वे एक विशेष स्थान में बिजली चाहते थे मैं ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है यह हमारी गलती नहीं है। वस्तुतः पुरानी पेप्सू सरकार ने सारी उपलब्ध विद्युत का वितरण कर दिया था इसी से कुछ कठिनाई पैदा हो गई। उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। उस क्षेत्र को बिजली तथा पानी दोनों ही चीजें देने का प्रयत्न करेंगे।

अब में दिल्ली पर आता हूं जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि वहां के लिये अधिक विद्युत क्यों उपलब्ध नहीं हुई है। ११० किलोवाट पृथक रखी हुई विद्युत का भी जिक्र किया गया था। हमें ६०,००० किलोवाट बिजली भाखड़ा -नंगल से और ३०,००० किलोवाट टेकनीकल सहयोग मिशन से प्राप्त होने वाले भाप के संयत्र से प्राप्त होगी। मैं इसके लिये टेकनीकल सहयोग मिशन वालों का कृतज्ञ हूं। २०,००० किलोवाट बिजली डीजल इंजिनों से प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी २०,००० से ३०,००० किलोवाट और विद्युत की आवश्यकता है। देश की विद्युत आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। जहां कहीं भी शक्ति उत्पन्न होती है वह वितरित हो जाती है। तत्काल ही धन भी आ जाता है। इसलिये दिल्ली के सम्बन्ध में हमें तत्काल विचार करना है जिसस राजधानी के लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। मैं भरसक इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को अधिक से अधिक विद्युत प्राप्त हो सके।

कुछ लोगों ने कहा कि सिंचाई इत्यादि पर अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं ऐसे संकीर्ण विचारों का व्यक्ति नहीं हूं कि सिंचाई का प्रभारी होने के कारण मैं जल संभरण इत्यादि का विचार ही छोड़ दूं। भारत एक तथा अभिभाज्य है। यदि राजधानी में जल इत्यादि का अभाव है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसका उपचार करें। मैं ठीक तरह नहीं बता सकता कि हम कैसे इसका उपचार करेंगे तथापि हमारा मंत्रालय इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कि दिल्ली को थोड़ा सा जल और क्यों न दिया जाय जिससे वहां का जल संभरण समुचित हो सके तथा दिल्ली निवासियों की कठिनाइयां दूर हों। इस बात पर यथासम्भव शीघ्र विचार किया जायेगा।

गंगा बांध का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मैं प्रश्नों के उत्तरों में इसे बता चुका हूं। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। यद्यपि कुछ कठिनाइयां हैं तथापि हम उन पर विजय पाने का पूरा उद्योग कर रहे हैं। माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिये। दामोदर घाटी परियोजना के रूप में हम आपको सर्वोत्तम परियोजना दे रहे हैं। उससे बंगाल को लाभ पहुंचेगा। मैं माननीय सदस्य के निमंत्रण पर टाकी और बसीरहाट भी गया। हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ करेंगे उनके छोटे नगर फराका की रक्षा की जायेगी। तथापि इसमें कुछ समय लगेगा।

हमारी समस्यायें अनेक हैं उन सभी का एक साथ हल करने के लिये हमें १०,००० करोड़ रुपये भी पर्याप्त नहीं होंगे। हमें यदि कई स्थानों से सहानुभूति और प्रशंसा प्राप्त हुई है तो कुछ स्थानों में हमारी आलोचना भी हुई है। चर्चा का स्तर पर्याप्त ऊंचा रहा। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है। मैं श्री चर्चिल का यह वाक्य कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि "जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता अपने कर्त्तव्य को भली भांति करने के विचार से प्राप्त होती है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं कटौती प्रस्तावों को लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचीकृत कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६७	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . . .	१०,१३,०००
६८	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें . . .	९३,५३,०००
६९	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	५७,२१,०००
१२२	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय . . .	२,१७,६३,०००
१२३	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	५५,३४,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार तारीख २ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १ अगस्त, १९५७]

विषय		पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		२८४५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	२८४५–७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३०	पंजाब में भूमिहीन श्रमिक	२८४५–४७
५३२	रेलवे कर्मचारियों की व्यथायें . . .	२८४७
५६७	भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ . .	२८४७–४९
५३३	रेलों के लिये विदेशी सहायता . . .	२८४९–५०
५३४	मछली पकड़ने के क्षेत्र	२८५०–५२
५३५	तलकर्षिणी	२८५२–५३
५३६	वन गवेषणा संस्था	२८५४–५५
५३७	ज्योतिषिक वेधशालायें	२८५५–५६
५३८	पोत निर्माण	२८५७–५८
५३९	केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति . . .	२८५८–५९
५४०	रेलवे पार्सल	२८५९–६१
५४१	मछली पकड़ने में विस्फोटकों का प्रयोग . .	२८६१
५४२	चीनी का निर्यात	२८६१–६२
५४३	दामोदर घाटी निगम	२८६२–६३
५४६	कोनार में जल विद्युत संयंत्र (दामोदर घाटी निगम) .	२८६३
५४७	दामोदर घाटी निगम अधिनियम . . .	२८६३–६६
५४४	अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन . . .	२८६६–६८
५४५	बोनगांव-सियालदा रेलवे सैक्शन . . .	२८६८–६९
५४८	बड़ा डाक घर, पटना	२८६९–७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	२८७०–९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४९	सांताक्रुज हवाई अड्डा	२८७०
५५०	भारत में बाल-मृत्यु	२८७०–७१
५५१	भारत ट्रामवे कम्पनी	२८७१
५५२	असैनिक उड्डयन कर्मचारी	२८७१–७२
५५३	जमुना बांध में दरारें	२८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित

प्रश्न संख्या **पृष्ठ**

५५४ पुराने इंजन २८७२
५५५ मचकुण्ड की मिट्टी के कटाव सम्बन्धी योजना . २८७३
५५६ हडलगा बांध . . . २८७३
५५७ गंगा के तल में बालू भर जाना . . २८७३–७४
५५८ खाद्यान्नों का चोरी-छिपे लाया जाना . . २८७४
५५९ बहुप्रयोजनीय योजनायें २८७४
५६० पंजाब में सामुदायिक विकास . २८७४
५६१ मेंढक के मास का निर्यात . . २८७५
५६२ कुष्ठ २८७५
५६३ बिहार में मिट्टी का कटाव २८७५–७६
५६४ पर्यटन २८७६
५६५ अन्दमान की इमारती लकड़ी . . २८७६
५६८ रक्तहीनता २८७७
५६९ टिकटों की कमी २८७७

अतारांकित

इन संख्या

४१७ तम्बाकू का उत्पादन . . . २८७८
४१८ रेलवे में मितव्ययिता २८७८
४१९ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय . . . २८७८–७९
४२० आंध्र में मत्स्य पालन २८७९
४२१ राजस्थान में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २८८०
४२२ राजस्थान में रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण . . २८८०–८१
४२३ कोटा–बीना रेलवे स्टेशन २८८१–८२
४२४ दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस २८८२
४२५ पंजाब में सड़कों का निर्माण . . . २८८२–८३
४२६ बम्बई और मद्रास पतनों से आयात और निर्यात . . २८८३
४२७ मैकेनिकल ब्रैकमैनों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण . . २८८४
४२८ प्रिंटोग्राम सर्विस स्टेशन २८८४
४२९ बर्मा रेलवे अधिकारियों का प्रशिक्षण . . २८८४
४३० कुष्ट-निरोधक कार्य २८८४–८५
४३१ केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें . . . २८८५–८६
४३२ मनीपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . . २८८६
४३३ रेलवे भोजन व्यवस्था कर्मचारी . . . २८८६–८७
४३४ कटनी और बीना के बीच रेलवे सर्विस . . २८८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर: (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

		पृष्ठ
४३५	मास्को में क्षय रोग सम्बन्धी सम्मेलन . .	२८८८
४३६	रेलवे दुर्घटना	२८८८
४३७	मैसूर में मीन क्षेत्रों का विकास . .	२८८८-८९
४३८	निपाती रायगाध रेल सम्पर्क . . .	२८८९
४३९	मद्रास को डीलक्स ट्रेन . . .	२८८९
४४०	ताप्ती लाइन पर रेलवे प्लेटफार्म . . .	२८९०
४४१	पश्चिमी रेलवे में पुराने सवारी डिब्बे . . .	२८९०
४४२	जनता रेलगाड़ियां	२८९०

स्थगन स्ताव और अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २८९३-९१

अध्यक्ष ने दिल्ली में भंगियों की हड़ताल और ३१ जुलाई को पुलिस द्वारा गोली चलाने के बारे में उस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्यता पर, जिसकी सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, अपना निर्णय ३ अगस्त, १९५७ तक स्थगित किया :

सर्वश्री साधन गुप्त, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, नाथ पाई, नारायणन कुट्टी मेनन, गोरे, जगदीश अवस्थी, अचौ० सिंह, सूपाकर, हेम बरूआ, बा० चं० कामले, माने, वाजपेयी और पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" ।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उसी विषय के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाने के लिये दी गयी सूचनायें भी ३ अगस्त, १९५७ तक के लिये स्थगित कर दी गयी :

डा० राम सुभग सिंह, श्री बाल्मीकी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, और सर्वश्री राधारमण और जाधव ।

अनुदानों की मांगें । २८९९-२९३४

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

शुक्रवार, २ अगस्त १९५७ के लिये कार्यावलि—

विधि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।